खण्ड-355, अंक-3
बुधवार, 5 फाल्गुन, शक संवत् 1903
(24 फरवरी, 1982 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 355 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अध्यादेश, 1982 (सदन के पटल पर रखा गया)	351
उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अध्यादेश, 1982 (सदन के पटल पर रखा गया)	351
जिलाधिकारी, हमीरपुर के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	351–352
श्री गोरेलाल शाक्य द्वारा श्री अध्यक्ष को लिखे गये पत्र में उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना को लिये जाने की मांग	352–358
पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 (पुर:स्थापित किया गया)	358
अफीम (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 (पुर:स्थापित किया गया)	359
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	359
1982–83 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान– अनुदान संख्या 7–ऊर्जा विभाग..... (जारी) ..	360–388
श्रीमती महारानी दोहरे के साथ घटी घटना के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	389–392
1982–83 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 7–उर्जा विभाग (स्वीकृत) ..	392–400
नियम 51 के अन्तर्गत सूचना ..	400–401
मानिकपुर–सतना रेल लाइन पर जा रही मालगाड़ी के डिब्बे से 12 पेटी कारतूसों के चोरी के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत अग्रेतर वक्तव्य ..	401–406
539–अप गोरखपुर–लखनऊ पैसेन्जर रेलगाड़ी लूटे जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	406–408
नत्थियां	409–414

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 24 फरवरी, 1982 ई0

विधान सभा की बैठक सभा मण्डल, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 342

अकबर हुसैन, श्री .. मुरादाबाद
अकबाल हुसैन, श्री .. गोंडा
अजहर ईमाम, श्री .. मिर्जापुर
अजीत कुमार सिंह, श्री .. कानपुर
अजीत सिंह सेठी, श्री .. मेरठ
अनवार खां, श्री .. अलीगढ़
अनवार मुहम्मद खां, श्री फर्रुखाबाद
अबुल कलाम, श्री .. आजमगढ़
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री कानपुर
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) फतेहपुर
अमर सिंह, श्री .. सहारनपुर
अमीरुद्दीन, श्री .. बिजनौर
अम्बिका सिंह, श्री .. बस्ती
अम्मार रिजवी, श्री .. सीतापुर
अलमेलु अम्माल, कुमारी बस्ती
इन्द्रजीत, श्री .. फतेहपुर
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) बहराइच
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री इलाहाबाद
उदयवीर सिंह, श्री .. शाहजहांपुर
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (उर्फ सुत्तन भैय्या) .. खीरी
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री .. गोंडा
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी एटा
ऊदल, श्री .. वाराणसी
ए0 सी0 ग्राइस, श्री .. कानपुर
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री आगरा
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री ललितपुर
कन्हैया लाल, श्री .. मथुरा
कन्हैयालाल महेन्द्रू, श्री .. लखनऊ
कमला दरियाबादी, श्रीमती कानपुर
कमला देवी, श्रीमती .. हरदोई
कमला प्रसाद सिंह, श्री .. जौनपुर
कमला साहनी, श्रीमती .. बस्ती
कल्यान सिंह सोलंकी, श्री बरेली
कल्लू राम, श्री मिर्जापुर
किरनपाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
किशोरी शुक्ला, श्रीमती गोरखपुर
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री हमीरपुर
कुंवर सिंह नेगी, श्री चमोली
कुदसिया बेगम, श्रीमती हरदोई
कुबेर भण्डारी, श्री देवरिया
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री रायबरेली
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) फतेहपुर
कृष्ण मगन सिंह, श्री बाराबंकी
कृष्णवीर सिंह, श्री बदायूं
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर आगरा
केदार सिंह, श्री आजमगढ़
केदारनाथ सिंह, श्री गोरखपुर
केशरी प्रसाद, श्री जौनपुर
केशोराम, श्री बदायूं
कैलाश चन्द्र, श्री एटा
कैलाश टण्डन, श्री वाराणसी
कैलाश प्रसाद, श्री गोरखपुर
खरपत, श्री वाराणसी
खान गुफरान जाहिदी, श्री फतेहपुर
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री मुरादाबाद
खुर्शेद अहमद, श्री बहराइच
खैरुल बशर, श्री आजमगढ़
गंगा सागर शंखवार, श्री कानपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री इटावा
गजेन्द्र सिंह, श्री बाराबंकी
गया सिंह, श्री उन्नाव
गुलाब सिंह, श्री देहरादून
गुलाब सेहरा, श्री आगरा
गुलाम नबी, श्री आगरा
गेंदा देवी, श्रीमती बस्ती
गोपाल राम दास, श्री अल्मोड़ा

गोपीनाथ दीक्षित, श्री	उन्नाव
गोपीनाथ वर्मा, श्री	फैजाबाद
गोरे लाल शाक्य, श्री	इटावा
गोवरधन तिवारी, श्री	अल्मोड़ा
गौरी देवी, श्रीमती	गोरखपुर
गौरी शंकर ए डवोकेट, श्री	इटावा
गौरी शंकर भैय्या, श्री	बलिया
चन्दन सिंह, श्री	मथुरा
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो०	बांदा
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री	आजमगढ़
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री	पौड़ीगढ़वाल
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री	लखनऊ
चरन जीत सिंह, श्री	पीलीभीत
चारु चन्द्र ओझा, श्री	पिथौरागढ़
चेतराम गंगवार, श्री	बरेली
छत्तर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
छेदा लाल चौधरी, श्री	खीरी
छेदी लाल, श्री	गोंडा
जंग बहादुर, श्री	जौनपुर
जगदीश सिंह, श्री	शाहजहांपुर
जगदीश सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	गोरखपुर
जफर अली नकवी, श्री	खीरी
जमुना प्रसाद श्री	बाराबंकी
जयदीप सिंह, श्री	बरेली
जस वन्त सिंह विष्ट, श्री	अल्मोड़ा
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
जिया राम शुक्ल, 'विकल साकेती' श्री	फैजाबाद
जीराज सिंह मौर्य, श्री	मुरादाबाद
जैराज गौतम, श्री	सुल्तानपुर
झग्गड़ सिंह, श्री	मेरठ
झिलमिट राम, श्री	गाजीपुर
तपेश्वर, श्री	आजमगढ़
तेज बहादुर सिंह, श्री	जौनपुर
तेज बहादुर गंगवार, श्री	पीलीभीत
त्रिवेनी, श्री	आजमगढ़
थम्मन सिंह गहलौत, श्री	बिजनौर
दलगंजन सिंह, श्री	जालौन
दलजीत सिंह, श्री	रामपुर
दल सिंगार, श्री	आजमगढ़
दामोदर शर्मा, श्री	मेरठ
दीना नाथ, श्री	बस्ती
दीपक कुमार, श्री	मुजफफरनगर
दीप नरागन वन महन्थ, श्री	गोंडा
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री	आजमगढ़
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	बरेली
दूधनाथ राजभर, श्री	आजमगढ़
देवीप्रसाद, श्री	बहराइच
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री	सुल्तलनपुर
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	कानपुर
द्वारिका नाथ धवन, श्री	देहरादून
धनेश्वरी देवी, श्रीमती	वाराणसी
धरमपाल, श्री	बहराइच
धर्मपाल, डाक्टर	अलीगढ़
धर्मवीर सिंह, श्री	मेरठ
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री	मुजपफरनगर
धर्म सिंह, श्री	बुलन्दशहर
ध्रुप राय, श्री	देवरिया
नकली सिंह, श्री	मुजफफरनगर
नत्थू लाल, श्री	हरदोई
नन्द किशोर सिंह, श्री	देवरिया
नन्द राम, श्री	बरेली
नरेन्द्र सिंह, श्री	मेरठ
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री	पौड़ी गढ़वाल
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री	पिथौरागढ़
नरेश चन्द्र अग्रवाल श्री	हरदोई
नाजिर अली, श्री	शाहजहांपुर
नियाज हसन खां, श्री	प्रतापगढ़
नेत्रपाल सिंह, श्री	एटा
पन्ने लाल, श्री	गोरखपुर
परमाई लाल, श्री	हरदोई
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री	बस्ती
परागी लाल चौधरी, श्री	सीतापुर
पहलवान, श्री	जौनपुर
पारवती देवी, श्रीमती	बाराबंकी
पूरन चन्द्र, श्री	अलीगढ़
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री	हमीरपुर
प्रदीप कुमार यादव, श्री	बाराबंकी
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री	प्रतापगढ़
प्रभू नारायण सिंह, श्री	जौनपुर
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रियदर्शी जेतली, श्री	फैजाबाद
प्रेमवती, श्रीमती	बदायूं
फखरे आलम, श्री	बदायूं
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री	गोरखपुर
बंशीधर, श्री	रामपुर
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बच्चा पाठक, श्री	बलिया
बदन सिंह, श्री	आगरा

बनवारी राम, श्री वाराणसी
बब्बन सिंह, श्री बलिया
बलराम सिंह यादव, श्री इटावा
बलवीर सिंह, श्री फर्रुखाबाद
बलवीर सिंह, श्री रामपुर
बल्देव सिंह आर्य, श्री उत्तर काशी
बाबू राम, श्री पीलीभीत
बाबू लाल, श्री गोंडा
बाबू लाल, श्री हमीरपुर
बाबू सिंह, श्री अलीगढ़
बिहारी लाल, श्री नैनीताल
बृज किशोर मिश्र, डा० देवरिया
बैजनाथ कुरील, श्री लखनऊ
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री इलाहाबाद
भगवती सिंह विशारद, श्री उन्नाव
भगवानदीन कुशवाहा, श्री कानपुर
भागीरथ, श्री झांसी
भूधर नारायण मिश्रा, श्री कानपुर
भूपसिंह केन, श्री गाजियाबाद
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री गोरखपुर
भोला पाण्डेय, श्री बलिया
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री बस्ती
मन्जूर अहमद, श्री मेरठ
मलिक मो० जमीर अहमद, श्री एटा
मसरूर जाफरी श्री (उर्फ शबरोज) गोंडा
महाबीर सिंह, श्री सहारनपुर
महाराज सिंह, श्री आगरा
महारानी दोहरे, श्रीमती इटावा
महेश प्रसाद, श्री देवरिया
माधव प्रसाद, श्री फैजाबाद
मानपाल सिंह एडवोकेट श्री एटा
मान बहादुर, श्री गोंडा
मारकण्डय चन्द्र, श्री गोरखपुर
मित्रसेन, श्री फैजाबाद
मुईद अहमद, श्री, सुल्तानपुर
मुख्तार अनीस, श्री सीतापुर
मुन्शी लाल, श्री मैनपुरी
मुरलीधर मुनीम, श्री गोंडा
मुहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
मेंहदी असगर, श्री मुजफ्फरनगर
मोती लाल देहलवी, श्री कानपुर
मोहन सिंह, श्री देवरिया
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री बदायूं
मोहम्मद उमरों, डाक्टर गोंडा
मोहम्मद नबी, श्री बस्ती
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री लखनऊ
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारीश्री, वाराणसी
यदुनाथ सिंह, श्री मिर्जापुर
यशपाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
यशपाल सिंह, श्री सहारनपुर
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी) गोरखपुर
योगेन्द्र सिंह, कुंवर फर्रुखाबाद
योगेश चन्द्र, श्री वाराणसी
रईसउद्दीन वारसी, श्री मुरादाबाद
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री गोंडा
रघुवीर सिंह यादव, श्री मैनपुरी
रणजीत सिंह, जूदेव, श्री झांसी
रती राम, श्री बिजनौर
रमा कान्त मिश्रा, श्री इलाहाबाद
रमेश चन्द्र, श्री रायबरेली
राज किशोर राव, श्री बहराइच
राज कुमार राय, श्री आजमगढ़
राजमंगल पाण्डेय, श्री देवरिया
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री सीतापुर
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री इलाहाबाद
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
राधेश्याम पटेल, श्री इलाहाबाद
राधे श्याम वर्मा, श्री फर्रुखाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री बस्ती
राम आसरे वर्मा, श्री हरदोई
राम औतार दीक्षित, श्री हरदोई
राम करन, श्री वाराणसी
राम कुंवर सिंह, श्री आजमगढ़
राम कुमार भार्गव, श्री सीतापुर
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० जौनपुर
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री मुरादाबाद
राम गोविन्द, श्री बलिया
राम चन्द्र, श्री वाराणसी
राम चरण सिंह, श्री मिर्जापुर
राम जनम सिंह, श्री वाराणसी
रामजी राम, श्री फैजाबाद
राम धनी, श्री गाजीपुर
राम नरेश शुक्ल, श्री प्रतापगढ़
राम नारायण पाठक, श्री कानपुर
राम प्यारे पाण्डेय, श्री फतेहपुर
राम प्रसाद, श्री जालौन
राम प्रसाद, श्री जालौन
राम भजन लाल, श्री खीरी
राम यश सिंह, श्री सहारनपुर

राम रतन सिंह, श्री	सीतापुर	शिवराज सिंह, श्री ..	अलीगढ़
राम लाल, श्री	सीतापुर	शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर	पौड़ी गढ़वाल
राम लाल वर्मा, श्री	हरदोई	शेर बहादुर, श्री ..	फ़ैजाबाद
राम शिरोमणि, श्री	जौनपुर	शौनाथ सिंह, श्री ..	बिजनौर
राम समुझावन, श्री	जौनपुर	श्याम लाल वाजपेयी, श्री ..	बाराबंकी
राम सागर, श्री	बाराबंकी	श्याम सिंह, श्री ..	बिजनौर
राम सिंह, श्री	सहारबपुर	श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
राम सिंह खन्ना, श्री	बरेली	श्री कृष्ण गोयल, श्री ..	बदायू
राम सिंह रावल, श्री	एटा	श्रीनाथ सिंह, श्री ..	वाराणसी
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर	श्रीपति मिश्र, श्री ..	सुल्तानपुर
राम स्वरूप निम्म, श्री	सहारनपुर	संकठा प्रसाद शास्त्री श्री ..	वाराणसी
राम स्वरूप वर्मा, श्री	कानपुर	सतीश अजमानी, श्री ..	खीरी
राम हर्ष मिश्र, श्री	बहराइच	सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री	इलाहाबाद
राम हर्ष राय, श्री	गाजीपुर	सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री ..	नैनीताल
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री	बरेली	सन्त बक्स रावत, श्री ..	लखनऊ
रामेश्वर प्रसाद, श्री	बांदा	सन्तोष कुमारी, श्रीमती ..	बदायूं
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री	बाराबंकी	सरदार सिंह, श्री ..	मथुरा
रियासत हुसैन, श्री	मुरादाबाद	साहब सिंह, श्री ..	गाजीपुर
रूप राम, श्री	शाहजहांपुर	सिकन्दर अली खां, श्री ..	शाहजहांपुर
लटूरी सिंह, श्री	एटा	सुखदा मिश्रा, श्रीमती ..	इटावा
लल्लू सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी	सुग्रीव सिंह, श्री ..	देवरिया
लाल प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़	सुजान सिंह बुन्देला, श्री ..	ललितपुर
लालसा, श्री	आजमगढ़	सुनील शास्त्री, श्री ..	गोरखपुर
लोकमणि शर्मा, श्री	मथुरा	सुन्दर सिंह, श्री ..	बहराइच
विजय कुमार, श्री	लखनऊ	सुमन लता दीक्षित, कुमारी	कानपुर
विजय पाल सिंह, श्री	गाजियाबाद	सुरेन्द्र कपिल, श्री ..	सहारनपुर
विजय प्रकाश, श्री	इलाहाबाद	सुरेन्द्र कुमार श्री, (उर्फ़ मुन्नी)	गाजियाबाद
विजय शंकर सिंह, श्री	गाजीपुर	सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री ..	बस्ती
विजय सिंह, श्री	मिर्जापुर	सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री ..	अलीगढ़
विद्या भूषण, श्री	मुजफ्फरनगर	सुरेश दत्त पालीवाल, श्री ..	जालौन
विद्या सागर नौटियाल, श्री	टिहरी गढ़वाल	सुल्तान सिंह, श्री ..	मुरादाबाद
विमल प्रसाद तिवारी, श्री	फर्रुखाबाद	सूबेदार सिंह, श्री ..	मैनपुरी
विशन लाल, श्री	बिजनौर	सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री ..	जौनपुर
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री	बांदा	सोमांश प्रकाश, श्री ..	मुजफ्फ़रनगर
विश्राम दास, श्री	इलाहाबाद	स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती	लखनऊ
विष्णु दयाल वर्मा, श्री	मैनपुरी	स्वामी प्रसाद सिंह, श्री ..	हमीरपुर
वीर बहादुर सिंह, श्री	गोरखपुर	हंसराज सिंह वर्मा, श्री ..	एटा
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री	सीतापुर	हर गोविन्द वर्मा, श्री ..	सीतापुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर	हरदेव, श्री ..	बलिया
वृद्धि नारायन सिंह, श्री	वाराणसी	हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री ..	बांदा
शंकर सिंह, श्री	जालौन	हरिद्वार पाण्डेय, श्री ..	गोरखपुर
शम्भूनाथ, श्री	आजमगढ़	हरि प्रसाद, श्री ..	उन्नाव
शरीयतुल्ला, श्री	मुरादाबाद	हरिवंश सहाय, श्री ..	देवरिया
शिरोमणि, श्री ..	बांदा	हरि सिंह, श्री ..	बुलन्दशहर
शिव दर्शन, श्री ..	रायबरेली	हरी किशन श्रीवास्तव, श्री ..	कानपुर
शिव नरेश, श्री ..	बांदा	हरीशंकर, श्री ..	हरदोई
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री	नैनीताल	हाफ़िज मोहम्मद सिद्दीक, श्री	मुरादाबाद
शिवबालक, श्री ..	रायबरेली		

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 24 फरवरी, 1982

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

परिवहन आयुक्त कार्यालय तथा संभागीय परिवहन कार्यालय के कर्मचारियों की प्रोन्नति

*1--श्री रियासत हुसैन--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1975-76 में लोक सेवा आयोग (इलाहाबाद) ने शासन को आर0 टी0 ओ0 एवं कार्यालय परिवहन आयुक्त के कर्मचारियों के संवर्गीकरण किये जाने का सुझाव दिया था ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

परिवहन मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

1-जी हां ।

2--उक्त सुझाव परिवहन आयुक्त कार्यालय तथा संभागीय परिवहन कार्यालय के कर्मचारियों की प्रोन्नति में असमानता दूर करने के सन्दर्भ में प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश कराधान (अधीनस्थ) सेवा नियमावली, 1980 में यात्रीकर/मालकर अधीक्षक के पदों पर परिवहन आयुक्त कार्यालय तथा संभागीय कार्यालयों के कर्मचारियों को पात्रता के अनुसार क्रमश: 22 और 28 के अनुपात में प्रोन्नत किये जाने का प्राविधान है। संवर्गीकरण के संबंध में समुचित विचारोपरान्त उसे उपयोगी नहीं पाया गया ।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री जी, जैसा कि उन्होंने अन्त में कहा कि उपयोगी नहीं पाया, उसके वजूहात बतायेंग जिन की वजह से यह सुइटेबिल नहीं पाया ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, हमारे जो विभागाध्यक्ष कार्यालय है वहां पर काम करने वाले और जो संभागीय कार्यालय हैं, रीजन्स में काम करने वाले लोग हैं उनके काम के नेचर में अन्तर है, इसलिये यहां पर इस तरह की व्यवस्था पहले से बनी हुई है , हर जगह व्यवस्था है । इसलिये नई व्यवस्था पैदा करना उपयुक्त नहीं है ।

नेपाल राज्य में सेमरी स्थल पर सेमरी रेगुलेटर का निर्माण

*2--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि गोरखपुर जिले में गण्डक नदी पर बी-गैप बन्धे पर सेमरी गुलेटर का निर्माण विगत 3 वर्षों से किया जा रहा है परन्तु उसे पूरा नहीं किया जा सका ? यदि हां, तो उसके निर्माण में विलम्ब का कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सेमरी रेगुलटर का निर्माण गोरखपुर जिले में नहीं बल्कि नेपाल राज्य में गंडक नदी के सेमरी स्थल पर दिनांक 14-2-80 को प्रारम्भ किया गया था। नेपाल राज्य की नहरों टेल में सदैव पानी आने के कारण पूरे वर्ष में निर्माण कार्य के लिये केवल चार महीने ही मिलते है। इसके अतिरिक्त निर्माण सामग्रियों की कमी एवं उनका कार्य स्थल पर विभिन्न प्रशासनिक एवं न्यायिक अड़चनों क कारण समय से न पहुंचने से कार्य की प्रगति में बाधा हुई है। अब कार्य प्रगति पर है तथा उसे शीघ्र पूरा कराने हेतु हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

श्रीमती गौरी देवी--

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्रशासनिक और न्यायिक अड़चनें क्या हैं तथा इनके निराकरण के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, यह नेपाल राज्य में पड़ता है । तो यहां से डीजल, सीमेंट, लोहा, ये सब चीजें लायी जाती हैं । लाये जाने पर जो कस्टम वहां पड़ता है उससे अड़चन पैदा होती है जिससे ये समय से नहीं पहुंच पाती । तमाम लिखा पढ़ी में लम्बा समय लगता है । पहुंचने में दिक्कत होती है, इसलिये विलम्ब होता है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में । क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिस समय योजना प्रारम्भ की गई थी उस समय जो स्टीमेंट बनाया गया था वह कितने का था और कार्य पूरा होने पर कितना हो जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इस्टीमेट तो यहां पर अभी नहीं है इसे नहीं बता सकूंगा लेकिन यह शुरु किया गया था 81 में और जून 82, तक ूरा.....

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

इस्टीमेट शुरू में कितना था और अब कितना है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना की आवश्यकता है ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्पष्ट किया कि काम प्रगति पर है । तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि पूरे काम का कितना हिस्सा हो चुका है और कितना होना बाकी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

श्रीमन्, जो सूचना आयी है उसके अनुसार 70 प्रतिशत कार्य बाकी है, और 30 प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है । जहां तक मैटीरियल का सवाल है, वह सारा वहां पर पहुंच गया है और जून, 1982 के पहले यह कार्य समाप्त कर दिया जायेगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि इसके बारे में समय-समय पर जनप्रतिनिधियों ने शिकायतें की हैं और सीमेन्ट, डीजल आदि सामान जो वहां पर दिया गया उसके बारे में काफी घपला हुआ है । क्या इसके बारे में भी आपने कोई जांच की है ? यदि हां, तो उसकी क्या रिपोर्ट है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, घपले की बात नहीं है । डीजल जो वहां जा रहा था उसको कस्टम के लोगों ने रोक लिया । उसके बाद जब काफी लिखा-पढ़ी की गई कि वह काम के लिये जा रहा है तो उसको छोड़ दिया गया । घपले की कोई बात नहीं है ।

पर्वतीय जिलों में मोटर मार्ग की प्रगति तथा स्वीकृत धनराशि

*3--डा0 शिवानन्द नौटियाल--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि 18 पर्वतीय जिलों में वर्ष 1980-81 और 1981-82 में कौन-कौन मोटर मार्ग स्वीकृत हुए और 31 दिसम्बर, 1981 तक प्रत्यक मोटर मार्ग की प्रगति कितनी हुई है और उनमें से प्रत्येक के लिये कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है ?

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी)--

वांछित सूचना संलग्न तालिकानुसार है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 409--413 पर ।)

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो सूचना दी है उसको आप भी कृपा करके देख लें। एक लम्बी सूची मंत्री जी ने दे दी और इसमें 31-12-81 तक की भौतिक प्रगति के लक्ष्य दिखाये गये हैं। आप भी देखते चले जांय। मैंने प्रश्न किया था कि वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 में पर्वतीय जिलों में कौन-कौन से मोटर मार्ग स्वीकृत किये गये हैं और उनमें क्या प्रगति हो रही है ? मान्यवर, पूरे पौड़ी गढ़वाल में 4 किलो-मीटर, चमोली में डेढ़ किलोमीटर तथा इसी प्रकार अन्य जिलों में भी 4 तथा 5 किलो-मीटर से ज्यादा की प्रगति नहीं हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इसी को वे प्रगति समझते हैं ? क्या माननीय मंत्री जी इसको बताने की कृपा करेंगे कि विभाग द्वारा क्यों शिथिलता बरती जा रही है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

श्रीमन्, सन् 1980-81 में वहां पर 630 किलोमीटर सड़कें बनायी गई थी। माननीय सदस्य जानते हैं कि पहाड़ों में किस तरह से कार्य होता है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना का कार्य भी चल रहा है और उसके तहत भी सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है और गत वर्ष जैसा मैंने निवेदन किया 630 किलोमीटर सड़कें बनायी गई और इस साल 570 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो रहा है ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

इस 570 किलोमीटर सड़क की प्रगति के बारे तो मैं बाद में बताऊंगा लेकिन जो कि मेरा प्रश्न था कि पिछले दो सालों में वहां पर सड़कों के निर्माण की क्या प्रगति है और 82-83 का बजट आप प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जो सड़कें बनीं हैं उनकी प्रगति इतनी न्यून क्यों है ? मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब 1/2 साल में केवल 4/5 किलोमीटर सड़कें ही बनी हैं तो 570 किलोमीटर सड़कें बनाने में आपको कितना समय लगेगा ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

श्रीमन्, यह तो इस बात से ही स्पष्ट है कि हम फिफ्थ फाइव इयर प्लान की सड़कें भी इस साल बनवा रहें हैं। सन् 78-79 तथा 79-80 की सड़कों का स्पिल ओवर वर्क चल रहा है। जो एक परिपाटी है उसको इस समय बदलना सम्भव नहीं है। पुराने कार्य को भी हम पूरा कर रहें हैं।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि चमोली जिलें में जो वर्ष 1980-81 में डेढ कि० मी० सड़क बनी है उस पर कितना धन व्यय हुआ है ?

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी--

श्रीमन्, यह प्रश्न वैसे काफी विस्तृत है। इस तरह की सूचना इसमें मांगी नहीं गयी है, इस समय यह सूचना नहीं है ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

माननीय मंत्री जी ने अभी मूल प्रश्न से हट कर उत्तर दिया । हमारे यह जो प्रमुख सड़कें थीं उन पर उनका विशेष ध्यान है जिसके कारण वह सड़कें नहीं बनाई गयीं । तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो इंटर डिस्ट्रिक्ट की सड़कें पहल वर्षों में मंजूर की गयी थीं उनको कितना-कितना किलोमीटर मंत्री जी ने बनवाया है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी---

मान्यवर, इसमें बड़ा सीधा सवाल है 1980-81 में कितनी सड़कें स्वीकृत हुईं, कितनी प्रगति हुई जिसमें 8 जिलों को सूचना मांगी गयी है जो काफी विस्तृत है। इसका उत्तर देना इस समय संभव नहीं है।

श्री विद्यासागर नौटियाल---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन 20 मोटर मार्गों का नाम इसमें लिया गया है जिसमें घेड़ाखूटी--नैनग्राम 0.50 कि0 मी0 निर्मित हुआ और कम।द ज्वारना 3 कि0 मी0 निर्मित हुआ गूलर, चमेली, कखूरखा-गजा दो कि0 मी0 निर्मित हुआ कुल 5 कि0 मी सड़कों का निर्माण हुआ बाकी मार्गों पर कोई निर्माण नहीं हुआ इसका क्या कारण है जब कि धन स्वीकृत था ? अब कितना समय और लगेगा ?

श्री अध्यक्ष---

सब का उत्तर उन्होंने दे दिया है।

श्री विद्यासागर नौटियाल---

बाकी सड़कों पर निर्माण कार्य क्यों नहीं हुआ इसका कारण बतायेंगे ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी---

श्रीमन्, सड़कों के निर्माण में कई प्रक्रिया होती है। जैसे 1980 के वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि के लिए एक प्रोफार्मा भरना पड़ता है जिस पर रेवेन्यू विभाग और वन विभाग से उसको सहयोग प्राप्त करना पड़ता है फिर भारत सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। तो इन सब प्रक्रियाओं में कुछ समय लगता है उसके बाद इस्टीमेट आदि बनाना यह सब प्रक्रियायें हैं इसलिये यह निश्चित नहीं कहा जा सकता है कि इस समय तक निर्माण कार्य हो जायेगा।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी---

मान्यवर, मंत्री जी बताने कृपा करेंगे की कि पौड़ी गढ़वाल में 1980-81 में कुल 5 करोड़ रु0 के करीब सड़कें स्वीकृत की गयी हैं और केवल 4 कि0 मी0 सड़कें उन्होंने निर्मित की हैं तो मैं स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि यह जो सड़कें स्वीकृत की गयी हैं यह कब तक पूरी कर दी जायेंगीं ?

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी---

श्रीमन्, मैंने स्पष्ट कहा कि इसमें बहुत सी प्रक्रियायें हैं प्री-फिफ्थ फाइव इयर प्लान की सड़कें भी हमने दिखा रखी हैं। इसमें समय लगता है इसलिये निश्चित समय बताना सम्भव नहीं है।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट---

मान्यवर, मुझे जो जानकारी है उसको देखते हुये 80-81 में जब से मैं विधायक हुआ हूं, तब से एक इंच भी नई सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, इसलिये मैं जानना चाहता हूं जो आपने नई सड़कों की स्वीकृति दी है और अब जो 81-82 में दे रखी हैं इसमें जो निर्माण कार्य नही हुआ है और आपकी ओर से कहा जा रहा है कि हुआ है, तो क्या इसकी आप जांच करायेंगे ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी---

निश्चित करायेंगे।

राज्य सड़क परिवहन निगम के लखनऊ क्षेत्र के सहायक कोषाध्यक्षों द्वारा वेतन निर्धारण हेतु प्रत्यावेदन

*4---श्री मित्र सेन (अनुपस्थित)---

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के लखनऊ क्षेत्र के कितने सहायक कोषाध्यक्षों न राजाज्ञा संख्या जी-9-813-दस; दिनांक 28-2-66

के पैरा 6 के अन्तर्गत अपने वेतन निर्धारण हेतु प्रत्यावेदन किये हैं ? अब तक इस संबंध में किसी प्रकार का निर्णय न लिये जाने का क्या कारण है ? संबंधित कर्मचारयों की क्षति पूर्ति के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

केवल एक सहायक कोषाध्यक्ष ने प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया था। चूंकि एक ही कार्यालय में एक से अधिक सहायक कोषाध्यक्षों में से केवल एक ही को वेतनमान रुपये 120-220 अनुमन्य है अतः उक्त प्रत्यावेदन अस्वीकार कर दिया गया। क्षतिपूर्ति का प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य सड़क परिवहन निगम को होने वाले घाटे व बढ़ने वाले कर्ज के बारे में विधायक श्री रामस्वरूप वर्मा का पत्र

*5--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें किसी विधायक ने उत्तर प्रदेश रा0 स0 परिवहन निगम को होने वाले घाटे व बढ़ने वाले कर्ज के बारे में कोई पत्र नवम्बर, 1980 के अन्तिम सप्ताह में लिखा था ? यदि हां, तो उक्त पत्र की मुख्य बातें क्या है और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां, माननीय श्री राम स्वरूप वर्मा, विधायक का पत्र दिनांक 29-11-80 को माननीय मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ था जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

उक्त पत्र में उठाये गयें बिन्दुओं का परीक्षण किया गया और वस्तुस्थिति से माननीय विधायक जी को मेरे अ0 शा0 प0 सं0 1076/तीस-1-81, दिनांक 17-9-81 के द्वारा अवगत करा दिया गया था।

देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 414 पर ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मंत्री जी बतायेंगे कि हमने समाजीकरण करने की मांग की थी और माननीय मंत्री जी ने कहा था कि समाजीकरण के लिये विस्तृत विचार की आवश्यकता है, तो क्या अब वह समाजीकरण करने के लिये तैयार है, ताकि यह घाटा समाप्त हो ? हमारे पत्र के अनुसार आप समाजीकरण करने से क्यों कतरा रहे हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इनके पत्र में बहुत सी बातें हैं। वर्मा जी का जो सवाल था, आज हमारे प्रदेश की जो स्थिति है, जितनी हमारी क्षमता है, जितना कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारी पालिसी रही है कि जैसे-जैसे हमारे साधन बढ़ते जायेंगे हम नेशनलाईजेशन की तरफ बढ़ते जायेंगे और बढ़ते भी जा रहे हैं, लेकिन यह सब धीरे-धीरे ही होगा। यह संभव नहीं हो सकता है कि एक दम से कोई बात करके सरकार उसे अपने अन्दर ले ले और प्राइवेट लोगों को निगम से बाहर कर दें। यह हमारी मंशा तो है, लेकिन इस दिशा में एक दम से हम कुछ नहीं कर सकते हैं।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

हमने यह कहा था कि कंडक्टर्स, ड्राइवर्स और मैकेनिक्स के 5-5 आदमी यानी कुल 15 आदमी, इस विषय के अच्छे-अच्छे जानकार 15 आदमी सरकार के और 15 विधायकों को लेकर-इस तरह से 45 आदमियों का आप उसका एक प्रबन्ध बोर्ड बना दें। तो विधायक तो उसमें उपभोक्ता का हित रक्षण करेंगे और ड्राइवर, कंडक्टर और मैकेनिक के आदमी बसों और आपरेटर्स स्टाफ का ध्यान रखेंग तथा सरकार अपने धन की सुरक्षा का हित देखगी। इन आदमियों के बहुमत से जो निर्णय हों, उनको लागू किया जाय, वह उसका

प्रयोग करेंगे, ताकि उसका घाटा समाप्त हो और सभी अपनी-अपनी जिम्मेदारी निभायें तो इसमें आपको क्या दिक्कत है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह व्यवस्था वर्तमान व्यवस्था से अच्छी होगी ऐसी बात नहीं है। जो इस समय चल रहा है उससे तो अच्छी यही है। निगम में सरकारी और गैर सरकारी सभी आदमी हैं और फिर सब मिलकर बैठकर निचिश्त करते हैं कि क्या हो। इसलिये किसी नई व्यवस्था से इससे अधिक कोई फायदा होने वाला नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

वर्मा जी का जो पत्र है उसमें जो मांगें हैं, उसमें समाजीकरण के अतिरिक्त भी कुछ मुद्दे उठाये गये हैं। जैसे निगम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है और जो प्राइवेट बसें निर्बन्धित होती हैं उनको रूट्स एलाट करने में बड़ा पैसा लिया जाता है तो इन मुद्दों पर भी क्या आपने कोई जांच कराई है ? यदि कराई है तो किससे कराई है और क्या उसमें कुछ तथ्य प्रकाश में आये हैं ? एक बात और जो आपने वर्मा जी को उत्तर दे दिया कि आपके पत्र का उत्तर दे दिया गया है तो वह उत्तर सदन में आना चाहिये था ? आपने उनको क्या उत्तर दिया है इसकी जानकारी आप हमें दे दें ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जब यह शिकायत आयी तो जो अच्छे रूट्स थे उन पर से हमने प्राइवेट बसेज को हटाकर निगम की बसों को कर दिया। तो जहां पर 1000 प्राइवेट बसेज अनुबंधित थीं वहां पर अब 400-450 बसों की संख्या हो गयी है अर्थात् धीरे-धीरे कम हो गयी है। आपका यह कहना कि अच्छा रूट देने के लिये 10,000 रुपया रिश्वत मांगी जा रही है, निराधार है। जब बसों को हमने टेन्डर दिया तो कुछ रूट्स पर आयीं लेकिन रेस्पोंस अच्छा नहीं रहा।

श्री हरगोविन्द वर्मा--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि नेशनलाइज्ड रूट्स बढ़ाते जा रहे हैं। क्या माननीय मंत्री जी को विदित है कि जो बसें चल रही हैं वे पैसेन्जर्स को सही समय पर सुविधा नहीं दे रही हैं। एक-एक बस में 150-150 आदमी बंट कर जाते हैं। तो जो प्राइवेट बसेज को निकाल लिया गया और रोडवेज बसों को बढ़ाने की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है, वहां पर यात्रियों की सुविधाओं के लिये क्या किया जा रहा है और विभाग में जो घाटा होता जा रहा है, उसके क्या कारण हैं ? आज विभाग मे अधिकारियों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन कर्मचारी घटते जा रहे हैं। हर डिपो में एक आर0 एम0 ओ0 को नियुक्त किया जा रहा है। तो जब हर जिले में एक अधिकारी की नियुक्ति होगी तो उस पर निश्चित रूप से हजार रुपये का व्यय होगा तो क्या यह भी घाटे का एक कारण नहीं है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

माननीय सदस्य ने इतना लम्बा चौड़ा सवाल किया है तो किस किस का उत्तर दूं समझ नहीं पा रहा हूं। फिर भी कुछ प्रश्नों का उत्तर में दे रहा हूं। उन्होंने बताया कि घाटा क्यों हो रहा है। इसका एक कारण यह है कि प्राइस राइज के कारण चीजों क दाम बढ़े रहे हैं। टाटा चैसिस का दाम 50.41 प्रतिशत बढ़ा है, लेलैंड चेसिस का दाम 56 प्रतिशत बढ़ा है, टायर्स का दाम 59.91 प्रतिशत बढ़ा है, इसी प्रकार से स्टील का दाम 66.12 प्रतिशत बढ़ा है, आयरन शीट्स का दाम 53.31 प्रतिशत बढ़ा है, बैटरीज का 60.48 प्रतिशत, डीजल का 110 प्रतिशत, पेट्रोल का 66 प्रतिशत, स्प्रिन्ग लोब्स का दाम 188.89 प्रतिशत, अल्युमुनियम का दाम 54.82 प्रतिशत, परिचालक व्यय में 60.50 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है। इनके अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिया जाता है और कर्मचारियों को सुविधायें भी दी जाती हैं। तो इन तमाम चीजों से प्राइस राइज हो जाती है। इसके अलावा जो हम नयी टायर व बसें खरीदते हैं। जो प्राइस राइज होता है उससे भी उनकी

कास्ट बढ़ जाती है। एक ओर जो हम इम्प्रूवमेंट करते हैं तो दूसरी ओर प्राइस राइज से हमारी दिक्कत बढ़ जाती है।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारी जो व्यवस्था है वह इससे बेहतर है और माननीय वर्मा जी ने जो सुझाव दिया तो इन दोनों बातों की जांच के लिये क्या सरकार कोई आफिशियल्स या नौन आफिशियल्स की कमेटी बनाने पर विचार करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिह –

घाटे का एक कारण यह भी है कि हमारी जो सिटी बसेज और हिल पर चलने वाली बसे हैं, उनमें हमें घाटा होता है। तो घाटे का जहां तक प्रश्न है वह सिटी बस के घाटे के कारण ज्यादा है और सिटी बस का घाटा 2.54 करोड़ है। अगर दूसरे कारपोरेशन्स को आप देखें तो वहां भी घाटा है। उनके मुकाबले हमारे कारपोरेशन की स्थिति अच्छी है। आन्ध्र में वहां के कारपोरेशन को 11.55 करोड़ का घाटा है। कर्नाटक में 7.82 करोड़ का घाटा है। इसी तरह महाराष्ट्र और गुजरात में भी काफी घाटा है। अन्य प्रदेशों की भी स्थिति अच्छी नहीं है। हमारा घाटा तो सबसे कम है। यह बात जरूर है कि कुछ कमियां हैं, इनको दूर करने का हम प्रयास करेंगे।

श्री रियासत हुसैन---

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैंने यह पूछा था कि एक तो व्यवस्था वह है जो आपकी है जिसे आप अच्छा समझते हैं, दूसरी व्यवस्था एक और माननीय रामस्वरुप वर्मा जी ने बतायी, तो इन दोनो में कौन सी व्यवस्था अच्छी है इस पर विचार करने के लिय क्या आप कोई कमेटी बनायेंगे जिसमें आफिशियल्स भी हों और नान आफिशियल्स भी हों ?

श्री वीर बहादुर सिह---

इसकी भी आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं।

श्री बिहारी लाल---

मान्यवर, हमारे यहां नैनीताल से देहली तक एक डीलक्स बस चलती है। उसमें फोरमैन, मैकेनिक तथा अन्य लोग भी चलते हैं। उसमें बड़ा भ्रष्टाचार है। क्या उसके भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये आप कोई कदम उठायेंगे। अभी बनबसा में एक भयानक दुर्घटना दो रोडवेज की बसों के टकराने के कारण हुई, क्या उसकी आप जांच करवायेंगे ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री नरेशचन्द्र अग्रवाल---

एक प्रश्न मान्यवर, करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न माननीय रामस्वरुप वर्मा जी का है, इस पर 10 मिनट हो गये। फिर आपके प्रश्न स्वीकार हुये और जब यहां वे लिये गये तो आप अनुपस्थित रहे, उस समय आप नहीं रहते हैं। दूसरों के प्रश्न पर आप खड़े हो जाते हैं।

श्री राज मंगल पांडेय---

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि क्या उनके शासन की नीत यह है कि हर इन्डस्ट्रीज में वर्कर्स पार्टीसिपेशन होना चाहिये और यू0 पी0 एस0आर0टी0सी0 को इन्डस्ट्री मानकर उसमें भी वर्कर्स पार्टीसिपेशन की नीति को समन्योजित करने को कोशिश करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिह---

मान्यवर हम तो यह कर रहे हैं। निगम का एक आदमी हम तो करने जा रहे हैं।

श्री दलगंजन सिंह--

मान्यवर यह जो भूसा की तरह से रोडवेज की बसों में सवारियां भर ली जाती हैं, इनकी बसें इतनी क्राउडेड होती हैं कि जितनी कैपेसिटी बस की है, उससे अधिक सवारियां उसमें भर ली जाती हैं। क्या यह नहीं हो सकता है कि जितनी कैपेसिटी बस की है, उतनी ही सवारी बस में चलें और यह जो ओवर लोडिंग हो रही है, क्या यह मोटर वेहिकल्स ऐक्ट को वाइलेशन नहीं हो रहा है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

जेल कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान अवकाश प्राप्त जेलर, डिप्टी जेलर की नई भर्ती

*6---श्री मोहन सिंह----

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, 1981 के जेल कर्मियों की हड़ताल के दौरान कितने जेलर, डिप्टी जेलर तथा वार्डरों की नई भर्ती हुई थी ? यदि हां, तो उसमें से कितनों ने काम किया और कितने पुनः निकाल दिये गये ?

जेल एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)--

अक्टूबर, 1981 की जेल कर्मियों की हड़ताल के दौरान एक अवकाश प्राप्त जेलर, एक डिप्टी जेलर को सेवा करने का अवसर दिया गया तथा 658 वार्डरों की नयी भर्त्ती की गयी। इन सभी ने काम किया। हड़ताल की समाप्ति पर अवकाश प्राप्त जेलर व डिप्टी जेलर तथा 49 वार्डरों को सेवा से हटा दिया गया।

श्री मोहन सिंह---

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने इस सदन के अन्दर और इस सदन के बाहर लगातार आश्वासन दिया कि हड़ताल के दौरान जो जेल कर्मी वापस आना चाहते हैं, उनको काम पर आने से रोका नहीं जायगा और उनके खिलाफ़ कोई उत्पीड़क कार्यवाही नहीं की जाएगी। मान्यवर, आज जब उस पर ठोस सवाल हुआ, तो मालूम हुआ कि सैकड़ों वार्डर जो भर्ती किये गये थे, वह अपने पदों पर मौजूद हैं, अर्थात् जो कर्मचारी आना चाहते हैं, उनको काम पर आने का मौका नहीं दिया गया। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो 658 वार्डर आपने भर्ती किया, उन वार्डरों की जो निर्धारित योग्यता है, क्या वह उसको निर्धारित पूरा करते हैं ?

श्री राम सिंह खन्ना---

मान्यवर, आपने यह जानना चाहा कि हमने आश्वासन दिया और हमने कहा कि कोई उत्पीड़न नहीं किया जायगा। आज भी हम वही बात कह रहे हैं। व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिये हमने यह व्यवस्था की। जिस वक्त हड़ताल समाप्त हुई थी, हमने उनसे कहा था कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। जो होम गार्ड्स थे, उनमें से जो योग्यता रखते थे, उनको भर्ती किया गया और जो नहीं योग्यता रखते थे उनको हटाया गया। आज भी जो काम पर आना चाह रहे हैं, उनको लिया जा रहा है ।

श्री अकबाल हुसैन---

मान्यवर, जो हड़तालो कर्मचारी थे, उनमें से अब तक कितनों को काम पर नहीं लगाया गया और उनको काम पर न लगाने का क्या कारण है ?

श्री राम सिंह खन्ना---

मान्यवर, आज की तारीख में 140 लोग हैं जिनमें से 137 वार्डर, 3 असिस्टेंट जेलर। 8 लोग निलंबित हैं। यह स्थिति है और इस पर भी विचार किया जा रहा है। नीचे स्तर पर कमेटी जिले में भी बनी है, जिल की कमेटी इसको देखकर जो सिफ़ारिश करेगी, जिनके खिलाफ़ कोई भी इस तरह की कोई अनुशासनात्मक, दण्डात्मक कार्यवाही नहीं होगी, किसी को नौकरी से वंचित नहीं किया जाएगा। केवल हड़ताल पर जाने के कारण।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो जेल कर्मचारी 140, जिनको माननीय मंत्री जी ने बताया, जिनको नौकरी पर नहीं लगाया। मान्यवर, शासन ने जेल विभाग में कुछ नये पद सृजित किये हैं, क्या मंत्री जी उनको उस पद पर लगाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना---

मान्यवर, मैंने बताया कि छानबीन हो रही है जिनके खिलाफ़ यह कार्यवाही नहीं है उन सबको लिया जायेगा।

श्री दामोदर शर्मा---

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के पत्र 5 दिसम्बर, 1981 में जो समझौता हुआ था। यह था कि कर्मचारियों के उत्पीड़ित किये जाने का विचार शासन द्वारा कभी नहीं किया गया, न किया जा रहा है, न भविष्य में किया जायेगा। स्पष्ट शब्दों में मैं कई बार कह चुका हूं। माननीय मंत्री से उनके पत्र के संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि हड़ताल के दौरान कितने जेल कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया और उसी जगह रोक दिया गया था अन्यत्र कर दिया गया ?

श्री राम सिंह खन्ना---

व्यवस्था को सामान्य करने के लिये वहां के अधिकारियों ने अगर यह उचित समझा कि अमुक व्यक्ति के रहते हुए सामान्य प्रशासन नहीं होगा तो उसको हटाया गया। किसी को द्वेष-भावना से नहीं बल्कि काम सुचारु रूप से चलाने के लिये किया गया। जब सामान्य स्थिति हो जायेगी और यह समझा जायेगा कि किसी के साथ अन्याय हुआ है तो शासन उनके प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हड़ताली कर्मचारी जो काम पर लाये गये, क्या उनको उसी वेतन-क्रम में रखा गया ?

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न वास्तव में यह था कि क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, 1981 के जेल कर्मियों की हड़ताल के दौरान कितने जेलर, डिप्टी जेलर तथा वार्डरों की नई भर्ती हुई थी उसमें से कितनों ने काम किया और कितने पुनः निकाल दिये गये। प्रश्न दूसरा होता चला जा रहा है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

नई भरती के संबंध में जो जेल कर्मचारियों की हड़ताल पर की गई मंत्री जी ने बताया कि 130 है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों को निकाला गया और फ़िर सेवा में लिये गये क्या उनको पुनः उसी वेतन-क्रम में रखा गया है और किसी प्रकार की वटौती नहीं की गई है और जो समिति बनाई गई है उसको शासन द्वारा क्वेश्चनेयर टाइप की कोई सामग्री दी गई है ?

श्री मोहन सिंह---

मैंमंत्री के उत्तर के सिलसिले में जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने कहा कि वार्डरों की भरती होमगार्ड से की गई। नियम यह है कि होमगार्ड अपने जिले में रहता है और वार्डर के लिए नियम यह है कि वह अपने जिले में नहीं रह सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि जिन होमगार्डस को एवजी के तौर पर भरती किया गया उनको अपने जिले में रखा गया या वार्डरों को नियमावली के अनुसार दूसरे जिलों में पोस्ट किया गया ?

श्री राम सिंह खन्ना---

मैंने कहा कि व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिये एकदम आवश्यकता थी। होम-

गार्ड्स में से रखे गये। अब इसका क्या औचित्य है, कौन रह सकता है और उनको भी आप्शन दिया जायेगा। जो रहना चाहेंगे नियम के अनुसार उनको ट्रान्सफ़र किया जायेगा जो कानून कहता है वही किया जायेगा।

श्री माधव प्रसाद---

मैं मंत्री जी यह जानना चाहता हूं कि किन-किन जिलों से और कितने कितने वार्डरों की भर्ती की गई और उनमें हरिजनों का प्रतिशत क्या है?

श्री अध्यक्ष---

आपका प्रश्न बेहद है, किन-किन जिलों से और कितने-कितने लिये गये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, मूल प्रश्न में पूछा गया है कि नई भर्तियां कितनी की गयी हैं जिसका मतलब है कि कुछ पद थे जिन पर प्रोमोशन किये गये तो वह भी नयी हो गयीं। इसीलिये मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि शासन की ओर से गृह सचिव ने कारागार महानिरीक्षक को इस आशय का पत्र भेजा है कि जितनी प्रोन्नति हुई हैं, नयी भर्ती में, उनका पुनरीक्षण किया जाय? यदि हां, तो क्या उस आदेश का कारागार महानिरीक्षक ने कार्यान्वयन किया है? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

श्री राम सिंह खन्ना---

मान्यवर, सारी व्यवस्था को सामान्य करने हेतु वह कार्यवाही की गयी है। शासन का दृष्टिकोण है कि किसी के साथ अन्याय और उत्पीड़न न हो, लेकिन हड़ताल में जाने की वजह से कोई बात होती है तो उसको देख लेंगे, प्रोन्नति हुई है और सही लोगों को नहीं हुई है तो उसको भी देख लेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, शासन ने निर्देश दिये हैं लेकिन उसका आई0जी0 प्रिजिन्स ने पालन नहीं किया है, शासन सही है। इसलिये उसके तहत होम सेक्रेटरी ने आई0जी0 प्रिजिन्स को 11-10-81 को पत्र भेजा है, तो उसमें शासन की प्रोग्रेस क्या है?

श्री राम सिंह खन्ना---

मान्यवर, जो हमारा दृष्टिकोण था वह आपके सामने है, उसके अलावा कोई बात नहीं होगी। जब व्यवस्था सामान्य हो जायेगी और सुचारु रूप से काम चलने लगेगा तो उसे देख लिया जायेगा। इस बीच प्रशासन को चलाने के लिये जो उचित समझते हैं, वह करेंगे। उसमें शासन कोई दखलन्दांजी नहीं करेगा।

अधिकारियों को प्रतिमाह भुगतान करने पर सरकारी गाड़ी के निजी प्रयोग करने की व्यवस्था को विधायकों में लागू करने का विचार

*7---श्री राम आसरे वर्मा---

क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि शासन के विभागाध्यक्षों को उनसे 100 रुपये प्रतिमाह लेकर कार ड्राइवर और पेट्रोल मुफ्त दिये जाने की व्यवस्था है? यदि हां, तो क्या यही व्यवस्था विधायकों के लिए भी लागू करेंगे यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह---

अधिकारियों को 150 रुपया प्रतिमाह भुगतान करने पर अधिकतम 200 कि0 मी0 प्रतिमाह तक की दूरी के लिए सरकारी गाड़ी के निजी प्रयोग करने की व्यवस्था की गयी है।

अधिकारियों को सरकारी कार्य के लिए गाड़ियां दी गयी हैं और इनका निजी प्रयोग में

दुरुपयोग न होने पाये अतः उक्त व्यवस्था भी कर दी गयी है। विधायकों को सरकारी गाड़ियां आवंटित नहीं हैं अतएव यह व्यवस्था उनके लिए लागू करना संभव नहीं है।

(बुधवार दिनांक 24 फरवरी, 1982 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न)

फैजाबाद बस स्टेशन पर कैन्टीन का ठेका न दिये जाने से हानि

*1--श्री अकबर हुसैन तथा श्री रियासत हुसैन--

क्या परिवहन मंत्री को यह विदित है कि फैजाबाद बस स्टेशन पर कैन्टीन का ठेका 1800 रुपये प्रतिमाह पर देने के लिए मुख्यालय से आदेश भेजे गये थे परन्तु उन आदेशों का पालन अब तक नहीं हुआ है जिससे विभाग को दिसम्बर, 1980 से अब तक 1800 रुपये प्रतिमाह का नुकसान हो रहा है ? यदि हां, तो आदेश पालन न करने का क्या कारण है ? आदेशों की अवहेलना किये जाने पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री रियासत हुसैन--

प्रश्न को मान्यवर, देखें तो किस चीज की सूचना एकत्र कर रहे हैं। एक आदेश गया है उसका पालन हुआ है कि नहीं, सिर्फ इसका जवाब मिलना है, तो सूचना क्या एकत्र कर रहे हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, उत्तर अभी नहीं आ पाया है।

*2--श्री रामस्वरूप वर्मा--

[25-2-81 को अतारांकित प्रश्न संख्या-1 द्वारा उत्तरित।]

बेगर होम, इलाहाबाद में कन्टीजेन्ट फण्ड निकालकर खरीदारी की जांच

*3--श्री ऊदल (अनुपस्थित)--

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधीक्षक, बेगर होम, इलाहाबाद ने जब से बेगर होम खुला है, प्रत्येक वर्षों में कन्टीजेंट फंड निकाल कर फर्जी खरीददारी दिखाया है ? यदि हां, तो क्या पूरे मामले की जांच सी0आई0डी0 से कराने की कृपा करेंगी ?

समाज कल्याण राज्य मन्त्री (श्री गुलाब सेहरा)--

जी नहीं। इस प्रकार के तथ्य प्रकाश में नहीं आये हैं। अतः इस विषय में जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश व्यापी जेल कर्मचारियों की हड़ताल की वापसी तथा मांगों की पूर्ति व दिये गये आश्वासन

*4--श्री मित्रसेन (अनुपस्थित)--

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश व्यापी जेल कर्मचारियों की हड़ताल वापस में उनकी कौन-कौन सी मांगें मान ली गयी हैं ? किन-किन मांगों की पूर्ति के क्या-क्या आश्वासन दिये गये हैं ? क्या हड़ताल में शामिल होने वाले दंडित सभी कर्मचारियों को काम पर वापस ले लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामसिंह खन्ना--

जेल कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल बिना शर्त वापस ली थी, अतः हड़ताल वापसी के संदर्भ में किसी मांग के माने जाने अथवा उसकी पूर्ति का आश्वासन देने का प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

जिन्हें काम पर वापस नहीं लिया गया, उनके मामले विचाराधीन हैं।

जिला कारागार, एटा में लटकती हुई लाश की जांच

*5--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायें कि 13-1-82 को अथवा उसके आस-पास किसी दिन एटा जिला कारागार में सींकचों की सलाखों में लटकती हुई कोई लाश प्राप्त हुई ? यदि हां,तो लाश किस की थी तथा घटना पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

दिनांक 14-1-1982 को अपराह्न जिला कारागार, एटा के हाता नं 0-1 के शौचालय की छत में लगी लोहे की छड़ से विचाराधीन बंदी नेत्रपाल, पुत्र टेक चन्द्र निवासी उसीरा, थाना भरथना, जिला इटावा ने अपने तहमत से फांसीलगाकर आत्म हत्या कर ली थी। अन्य बंदियों द्वारा शौचालय में उसको लटकते देखकर उसे उतारा गया किन्तु जेल के डाक्टर के द्वारा उसे मृत पाया गया। इस घटना की जांच क्षेत्रीय उप कारागार महानिरीक्षक द्वारा की गई है। इस संबंध में असतर्कता के दोषी दो बंदी रक्षकों को निलम्बित कर दिया गया है। जेलर तथा अधीक्षक का स्पष्टीकरण मांगा गया है। कारागार महानिरीक्षक को आदेश दे दिये गये हैं कि दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करके शासन को सूचित करें।

इस घटना की जांच मैजिस्ट्रेट द्वारा भी कराई जा रही है। उनकी रिपोर्ट प्रतीक्षित है। लाश का पोस्टमार्टम कराया गया जिसमें मृत्यु का कारण "एसकिफिसिया ऐज ए रिजल्ट आफ हैंगिग" बताया गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की जेलों में भी जीवन सुरक्षित नहीं है इसकी घटनायें रोज प्रकाश में आ रही हैं चाहे वह बरेली की जेल हो या मैनपुरी की जेल हो। मैं इस संबंध में यह जानना चाहता हूं कि जेल मैनुअल की धारा 658 और 659 में यह व्यवस्था है कि जब भी इस तरह की मृत्यु की सूचना मिलेगी तो जेल अधीक्षक और डाक्टर को दी जायगी और उनके आने तक शव स्पर्श नहीं किया जायगा। वह शव फांसी से लटक रहा था जिसके पैर जमीन पर लगे थे। तो वह शव क्यों हटाया गया और इस संबंध में कोई जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना--

इसकी जांच करा लेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, जो जांच करायी गयी उसमें क्या तथ्य प्रकाश में आये। जिस समय उस मृत्यु की सूचना कैदियों ने जाकर कारागार अधीक्षक को दी तो बजाय इसके कि कारागार अधीक्षक मौके पर तफसीश करते वह जेल के रिकार्ड में लिखकर घर चले गये और दूसरे अधिकारी वहां पर गये। डी0आई0जी0 की जांच में यह तथ्य कैदियों ने बताये हैं। यदि यह तथ्य आया है तो उनके खिलाफ शासन ने क्या कोई कार्यवाही की ?

श्री राम सिंह खन्ना--

ऐसा तो कोई तथ्य डी0आई0जी0 की रिपोर्ट में आया नहीं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

आप देख लीजिये।

श्री राम सिंह खन्ना--

इसमें ऐसा तो कुछ दिया नहीं है। लेकिन मैं इसकी जांच करा लूंगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

जिला अधीक्षक और जेलर से स्पष्टीकरण कब मांगा गया है। उनका कोई जवाब आया है कि नहीं ?

श्री राम सिंह खन्ना--

मान्यवर, 14-1-82 को उनकी डेथ हुई और मृतक बंदी नेत्रपाल के भाई श्री गोरेलाल के प्रार्थना-पत्र पर मृतक की लाश उसको 15-1-1982 को दी गयी । घटना के संबंध में उप कारागार निरीक्षक, कानपुर क्षेत्र, कानपुर द्वारा विभागीय जांच की गयी । उनकी जांच रिपोर्ट दिनांक 25-1-82 का निष्कर्ष निम्नवत् हैं ।

श्री जर्नादन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है । मने पूछा था कि स्पष्टीकरण कब मांगा गया था ।

श्री राम सिंह खन्ना--

डी0आई0जी0 ने उसी दिन उनसे बात की और रिपोर्ट भेज दी ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, अंडर ट्रायल कैदी की मृत्यु बैरक के अंदर संदेहजनक शक्ल में हुई और लाश लटकती हुयी गयी । तो इस सारी चीजों को देखते हुये कोई जुडीशियल इन्क्वारी कराने के आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जो जांच कराई जा रही है उसकी रिपोर्ट आ जाय और अगर आप उससे संतुष्ट नहीं होंगे तो शासन उस पर भी विचार कर लेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जेल रिकार्ड के अनुसार कारागार अधीक्षक को इसकी जानकारी कब मिली ? पुलिस को एफ0 आई0 आर0 कब लिखायी गयी ? और पुलिस वहां कब पहुंची ? वैसे जल मैनुअल में यह व्यवस्था है कि मैजिस्ट्रट के द्वारा इसकी जांच होनी चाहिये, लेकिन चूंकि कारागार अधीक्षक को लेकर यह हत्या का मामला बनता है, तो क्या सी0 बी0 आई0 से इसकी जांच करायेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना--

शासन द्वारा 12-2-82 को जिला मैजिस्ट्रट, एटा को आदेश दिये गये हैं कि मामले की जांच कर रिपोर्ट तुरन्त उपलब्ध करायें । कारागार महानिरीक्षक को आदेश दिये हैं कि दोषी पाये गये अधिकारियों और कर्मचारियो के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही तुरन्त की जाय और कृत कार्यवाही से तुरन्त अवगत करायें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

सुपरिण्टेण्डेण्ट ने मामले को दबान की कोशिश की है । इसीलिये मैंने प्वाइन्टेड सवाल पूछा है कि कारागार अधीक्षक को कब जानकारी मिली ? पुलिस को कब रिपोर्ट की गयी और पुलिस कब आयी ? यह तीन सवाल हैं, इनके द्वारा स्थिति स्पष्ट हो जायगी ।

श्री राम सिंह खन्ना--

14 तारीख को अधीक्षक को सूचना हुई । इसके अलावा जो कुछ आप कह रहे हैं, इसको मानते हुए मैं इस नुक्ते-नजर से इसकी छानबीन करा लूंगा ।

हरदोई जनपद के पिहानी कोतवाली, सुरसा व बे टा गोकुल थानों में नलकूपों के लगाने में रोक

*6--श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि मुख्य अभियन्ता, नलकूप ने अपने अ0शा0 पत्र संख्या 3166/सी0ई0टी0 डब्लू0 (मध्य), तारीख 14-12-81 द्वारा हरदोई जनपद

बधौली सुरसा, कोतवाली तथा पिहानी थाने के अन्तर्गत आन वाले गांवों में ट्यूबवेल बनाने के लिये रोक लगा दी ? यदि हां, तो इस आदेश का आधार क्या है ? क्या मंत्री जी इस आदेश को रद्द करने का आदेश देगें ? यदि नहीं, तो क्यों।

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां, इस पत्र द्वारा पिहानी कोतवाली, सुरसा व बेहटा गोकुल थानों के क्षेत्रों को छोड़ कर नलकूपों के स्थल चयन करने के निर्देश दिये गए थे। इन थानों के क्षेत्रों में राजकीय नलकूपों पर ट्रांसफार्मर व अन्य सामानों की चोरी अत्यधिक घटनाओं पर विचार कर के यह निर्णय लिया गया था कि इन क्षेत्रों में फिलहाल राजकीय नलकूप न लगाये जायें। यह आदेश दिनांक 20-1-82 को निरस्त कर दिये गये हैं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, सर्वप्रथम तो आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसे आदेश निरस्त कर दिये, जिससे कि क्षेत्र का विकास रुकता। मैं मा0 मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या शासन की कोई ऐसी नीति है कि जिन क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर या बिजली के तारों की चोरी होने की रिपोर्ट हैं, उन क्षेत्रों में नलकूप नहीं लगेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यह नियम तो नहीं है, लेकिन यहां पर इतनी अधिक चोरी हो रही थी कि वर्ष 1980-81 में 55 कण्डेक्टर और 60 ट्रांसफार्मर चोरी हो गये, जो लगा दिया जाय चोरी हो जाता है। बिजली डिपार्टमेंट ने कहा कि हमारा इतना नुकसान हो रहा है, इसलिये अगर ऐसा रोज होगा तो हम बरदाश्त नहीं कर पायेंगे। इसी आधार पर पहल यह आदेश दिये गये थे कि फिलहाल राजकीय नलकूप न लगाये जायं। बाद में इन आदेशों को निरस्त कर दिया गया और अब यह आदेश दिये गये हैं कि नलकूप लगाये जायं, परन्तु ट्रांसफार्मर की चोरी न होने पाये, इसके लिये आवश्यक कदम उठाये जायं।

कानपुर से बहराइच जाते हुए घाघरा पैन्टून ब्रिज पर गिरी बस की दर्ज रिपोर्ट

*7--श्री मोहन सिंह (अनुपस्थित)--

क्या परिवहन मंत्री को इस बात की जानकारी है विगत 26 दिसम्बर, को प्रात: लखनऊ से बलरामपुर जाने वाली गाड़ी नम्बर (यू0पी0एक्स0 6187) घाघरा पैण्टून ब्रिज में यात्रियों सहित गिर गई थी ? यदि हां, तो इसका सुरक्षा कार्य किसने किया और उस व्यक्ति को शासन ने क्या पुरस्कार दिया ? इस संदर्भ में रामनगर थाना बाराबंकी की जी0 टी0 में भी कोई घटना दर्ज कराई गई ? यदि हां, तो शासन ने इस संदर्भ में क्या कार्यवाही की ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

बस संख्या यू0 पी0 एक्स 6187 दिनांक 26-12-81 को कानपुर से बहराइच जाते हुए यात्रियों सहित घाघरा "पैन्टून ब्रिज" में गिरी नहीं वरन् बस का अगला बांया पहिया पुल को पार करने के बाद, बालू पर रखे पटरे से फिसल गया और गाड़ी धीरे-धीरे नीचे सरकने लगी। स्थानीय जनता एवं ट्रक की सहायता से गाड़ी ऊपर खींच ली गयी। चूंकि बस सामूहिक प्रयास से ऊपर खींची गयी थी, अत: इसमें किसी व्यक्ति विशेष को पुरस्कार देने का प्रश्न नहीं उठता।

थाना रामनगर, जिला बाराबंकी में श्री राम आश्रय सिंह, इन्सपेक्टर, विशेष अनुसंधान शाखा (सहकारिता) फैजाबाद ने दिनांक 27-12-81 को एक सूचना जनरल डायरी में दर्ज कराई थी जिसके अनुसार उन्होंने भी सहायता कार्य में मदद की थी।

यह एक सामूहिक सहायता कार्य था। अत: इस संबंध में किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

*8--श्री कुंवर सिंह नेगी तथा श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी--

[8 वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में सत्याग्रही को दी गयी बीती अवधि की औषधि तथा चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

*9--श्री सन्त बक्स रावत--

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, 1981 के अन्तिम सप्ताह में लोक दल के सत्याग्रहियों को वाराणसी केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में बीती अवधि की औषधियां विभिन्न रोगों के निदान के लिए दी गयीं थीं ? जिसकी शिकायत डी0 आई0 जी0 जेल से प्रश्नकर्त्ता ने की जिस पर दवा सील की गयी थी ? यदि हां, तो उन औषधियों को राजनैतिक बंदियों को देने का क्या औचित्य था और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

केवल प्रश्नकर्त्ता को छोड़कर लोकदल के किसी सत्याग्रही को केन्द्रीय कारागार वाराणसी में बीती अवधि की औषधि नहीं दी गयी थी। प्रश्नकर्त्ता को बीती अवधि की एक दवा कारागार के चिकित्सा अधिकारी द्वारा दी गयी थी। जो उनकी शिकायत पर उप कारागार महानिरीक्षक गोरखपुर क्षेत्र द्वारा सील कर दी गयी और उसका प्रयोग नहीं हुआ। बीती अवधि की दवा देने का कोई औचित्य नहीं था। चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करने हेतु निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को लिखा गया है ।

श्री सन्त बक्स रावत--

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में इस बात को स्वीकार किया है कि प्रश्नकर्त्ता को बीती अवधि की दवा दी गयी थी। मान्यवर, मुझे उस दवा में बीस गोलियां दी गयी थीं जिसमें से मेरी शिकायत के बाद दस गोलियां सील कर दी गयी थीं। मान्यवर, जिस समय की यह घटना है उस समय वहां पर लोकदल के 200 सत्याग्रही बन्द थे। वहां के जेल रजिस्टर में प्रतिदिन 200 सत्याग्रहियों की हाजिरी दर्ज है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि वह लोग जो वहां थे वे बार-बार दवा लेते थे। मंत्री जी के उत्तर से प्रमाणित होता है कि स्टाक में बीती अवधि की दवायें थीं जो कि वहां के लोगोंमें वितरित की जाती थीं। तो जिन्होंन बीती अवधि की दवाओं को रोगियों को दिया, क्या आप उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना--

मान्यवर, बीती अवधि की दवा लेकर गलत काम किया गया है। अब निर्देश दे दिये गये हैं। प्रशासनिक दृष्टि से यह बात स्वास्थय निदेशक के अन्तर्गत आती है, उनको निर्देश दे दिये गये हैं कि वे तुरन्त इस पर कार्यवाही करें और कृत कार्यवाही से शासन को सूचित करें।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, वाराणसी में जो घटना हुई, उसकी चर्चा इसी सदन में हुई थी कि वहां पर एक सत्याग्रही बन्द थे, उनकी मृत्यु इसी तरह से हुई थी। माननीय मंत्री जी ने यहां स्वीकार किया था कि उनके परिवार की यथोचित सहायता करेंगे। तो माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जेल के स्टाक में जो दवा होती हैं, उनके वितरण का काम डाक्टर की रिकमन्डेशन के द्वारा होता है ।इसलिये आपने चिकित्साधिकारी के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करने हेतु निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को लिखा है परन्तु जो दवाओं की खरीद होती है वह जेल सुप्रीन्टेन्डेन्ट के द्व_ या जल के अधिकारियोंके जरियसे ही होती है। तो मैं माननीय

[श्री मोहन सिंह--]

मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जिन दवाओं की अवधि समाप्त हो गयी थी वह दवायें स्टाक में कैसे पड़ी हुई थीं, उनके वितरण की जिम्मेदारी जेल कर्मचारियों पर आया होती है। डाक्टर के खिलाफ तो आपने स्वास्थ्य विभाग को लिख दिया परन्तु जो लोग उस दवा का रख रखाव करते हैं और जिन्होंने बीती हुई अवधि की दवाओं को स्टाक में रख छोड़ा था, उनके विरुद्ध आपने क्या कार्यवाही की ?

श्री राम सिंह खन्ना--

इसकी देख-भाल स्वास्थ्य विभाग ही करता है। उनको आदेश दे दिये गये हैं, कोई भी नर्मी नहीं बरती जायेगी, उनके विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही की जायेगी। डी0अ0ई0 जी0 स्वयं जाकर देखेंगे कि क्या बात है और यदि इस प्रकार की कोई-दवा उपलब्ध हुई तो जेल अधिकारी और डाक्टर के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी क्योंकि जिम्मेदारी दोनों की होगी।

श्री सन्त बक्स रावत--

मान्यवर, इसी सदन में 3 फरवरी को माननीय मंत्री जी ने उत्तर-दिया था कि गौरी शंकर की मृत्यु के बारे में इन्होंने कहा था कि उनका इलाज बीस दिनतक पेचिश का हुआ और उन्हें दवा दी गयी थी परन्तु कंट्रोल नहीं हो पाया। मान्यवर, दवा ने कन्ट्रोल इसीलिये नहीं किया कि उसका असर समाप्त हो चुका या अवधि बीत जाने के कारण और इसीलिये उनके शरीर में रक्त की कमी हो गयी और जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गयी। तो क्या माननीय मंत्री जी इस संबंध में विस्तृत जांच करवायेंगे और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश देंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना--

मैंने पहले ही बता दिया। आप उस दिन की बात को इसमें जोड़ रहे हैं। पर यह बात नहीं है। शासन कटिबद्ध है, किसी के दोष को छिपाने की कोई बात नहीं है।

श्री हुकम सिंह--

दोष छिपाकर ही तो आपने उस व्यक्ति की हत्या कर दी।

श्री राम सिंह खन्ना--

कैसी बात कर रहे हैं, किसी की हत्या नहीं की गयी। मृत्यु सामान्य हुई।

श्री हुकम सिंह--

बीती हुई अवधि की दवा दे दी और कहते हैं कि हत्या नहीं की ?

श्री राम सिंह खन्ना--

किसी की हत्या करने की हमारी मंशा नहीं है।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, नवम्बर में उसकी हत्या कर दी गयी और एक महीने प हले इस पर विचार करने का आश्वासन दिया था, तो अगर इन्हें विचार करने में महीनों लगते हैं तो ये आगे सरकार क्या चलायेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

नोट:--तारांकित प्रश्न संख्या 9 के उपरांत तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

आटो ट्रैक्टर्स लि0, प्रतापगढ़ के जनरल मैनेजर के पद का चुनाव---

**1 श्री रियासत हुसैन, मुहम्मद कमाल यूसुफ तथा श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

क्या उद्योग मंत्री बतान की कृपा करेंगे कि आटो ट्रैक्टर्स लि0, प्रतापगढ़ के जनरल मैनेजर के पद के चुनाव के लिये 19–2–82 को साक्षात्कार होने जा रहा है ? क्या यह सही है कि इसमें एच0 ए0 एल0, लखनऊ तथा स्कूटर इंडिया कुछ के व्यक्तियो के प्रार्थना-पत्र आये हैं ? यदि हां, तो निष्पक्ष चुनाव के लिये सरकार इस बात पर विचार करेगी कि उक्त साक्षात्कार में एच0ए0एल0 तथा स्कूटर्स इंडिया के कोई मेम्बर या एक्सपर्ट न रखे जांय ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्योग मंत्री (श्री नियाज हसन खां)--

जी ह ां।

एच0 ए0 एल0 के सदस्य विशेषज्ञ होने के कारण निष्पक्ष चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि चयन समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव हैं तथा उद्योग सचिव, नियुक्त सचिव, महा-निदेशक सार्वजनि . उद्योग ब्यूरो सदस्य हैं ।

श्री रियासन हुसैन–

श्रीमन्, अब तो तारीख भो निकल गई है, अब तो यह बता दें कि कौन चुना गया है जनरल मैनेजर ?

श्री नियाज हसन खां--

सेलेक्शन हो चुका है और हमारे माननीय सदस्य को कुछ न कुछ शंका रहती ही है, अच्छे से अच्छा कैण्डीडेट होने के बावजूद भी, एच0 ए0 एल0 का कैन्डीडेट होने के कारण चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा, यह समझना ठीक नहीं है । सेलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष मुख्य सचिव तथा सदस्य उद्योग सचिव, नियुक्ति सचिव, महानिदेशक सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो हैं और ब्रिगेडियर के एस0 एस0 भगत का चयन हुआ है तथा ये एच0 ए0 एल0 के नहीं है ।

गढ़वाल का संसदीय उप चुनाव करवाने के सम्बन्ध में पत्र

**2 --श्री मुख्तार अनीस, श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री प्रदीप कुमार यादव तथा डा0 शिवानन्द नौटियाल–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गढ़वाल का संसदीय उप चुनाव करवाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश शासन को कोई पत्र वर्ष 1982 में लिखा है ? यदि हां, तो वह पत्र क्या है तथा क्या सरकार ने गढ़वाल संसदीय उप चुनाव करवाने के लिय चुनाव आयोग को सम्पूर्ण व्यवस्था उपलब्ध कराने के अपने उत्तर दायित्व पूरा कर लिया है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर,गढ़वाल का चुनाव सरकार ने रोक दिया और चुनाव आयोग ने जो बैठक बुलाई थी उसमें दोनों पक्षों के प्रतिनिधि मौजूद थे और चुनाव आयोग ने कहा था कि 22 नवम्बर की तारीख उसने तय की है तथा 14 नवम्बर को ही उत्तर प्रदेश शासन से एक प्रतिनिधि और गृह मंत्री जैल सिंह चुनाव आयोग से मिले और जैसा दोनों सदनों,विधान सभा और विधान परिषद्, के अन्दर सरकार ने अपने वक्तव्य में कहा कि हम चुनाव इसलिये नहीं करवा पा रहे थे क्योंकि विश्वविद्यालयों में परीक्षायें हो रही थीं, फसल नष्ट हो गई थी, जेल कर्मचारियों की हड़ताल थी, जैसे चुनाव उन को कराना था, वोटर लिस्ट बन रही थी और कुम्भ का मेला आ

गया तो मैं स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि गढ़वाल का चुनाव करा पाने में ये कब तक सक्षम हो जायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

चुनाव आयोग के जिस समय आदेश होंगे और जनहित में तथा प्रदेश की जनता के लिये जब भी शासन उचित समझेगा कि वह सक्षम है, चुनाव कराया जायेगा।

श्री मुख्तार अनीस—

मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि इस संबंध में चुनाव आयोग और इनके मध्य 22 नवम्बर के बाद कोई पत्राचार हुआ है और चुनाव आयोग ने कोई निर्देशन दिया है ?

श्री अम्मार रिजवी—

इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं हुआ है शासन से।

डाक्टर शिवानन्द नैटियाल—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि गढ़वाल के इस चुनाव को लगभग 2 साल से टाला जा रहा है और मान्यवर, आप और हम सब जानते हैं कि चुनाव तब तक नहीं हो सकते, जब तक कि सरकार उसके लिए तैयार न हो, क्या माननीय मंत्री जी इसको नैतिक कर्त्तव्य नहीं समझते के गढ़वाल के लोगों का भी प्रतिनिधित्व लोकसभा में हो ? क्या वह आश्वासन देगें कि निर्वाचन आयोग को लिखेंगे कि चुनाव के लिये हम फलां दिन तक तैयार हो जायेंगे।

श्री अम्मार रिजवी—

जहां तक टालने की बात कही गयी, यह सत्य नहीं है और जहां चुनाव कराने की बात है, शासन की नीति यह है कि चुनाव होने चाहिये लेकिन जहां निश्चित तिथि का सवाल है तो आप के माध्यम से इस सम्मानित सदन और सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि निश्चित तिथि चुनाव आयोग निर्धारित करता है वह हमारी परिधि के बाहर की चीज है। शासन का अपना जो कर्त्तव्य है, उसके प्रति जागरूक है और जो कुछ भी होगा इस संबंध में किया जायगा।

श्री हुकम सिंह—

गढ़वाल का चुनाव कराने के लिये क्या प्रदेश सरकार प्रशासनिक प्रबन्ध करने के लिए तैयार है और यदि है तो इस परिपेक्ष में चुनाव आयोग को यथा शीघ्र संस्तुति करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

मैंने निवेदन किया कि चुनाव कराने का जहां तक संबंध है, सरकार इस प्रश्न पर जागरूक है और आवश्यक कार्यवाही करेगी, लेकिन चुनाव कमीशन को हम कहें, चुनाव कमीशन सारा काम स्वयं करता है। जो भी परिस्थितियां हैं उन को देखते हुए सारी प्रक्रिया करेगा।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, मेरा प्रश्न बड़ा साफ और सुनिश्चित था कि यदि ये प्रशासनिक तौर पर सक्षम हैं और कानून व्यवस्था ठीक है तो क्या संस्तुति करेंगे चुनाव आयोग को कि यथाशीघ्र चुनाव करा दें ?

श्री अम्मार रिजवी—

जो भी उचित समय होगा, चुनाव कराया जायेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, मैं आपका ध्यान मूल प्रश्न की ओर आकर्षित करता चाहता हूं। मान्यवर, इसके पहले हिस्से में पूछा गया है कि क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गढ़वाल का संसदीय उप-चुनाव करवाने के संबंध में केन्द्रीय चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश शासन को कोई पत्र वर्ष 1982 में लिखा है ? यदि हां, तो वह पत्र क्या है ? और इसके संबंध में इन्होंने कहा जी नहीं। तो मैं इनके इस प्रश्न के दूसरे हिस्से के बारे में जानना चाहता हूं कि यह सरकार ने अपने उत्तरदायित्व का पूरा नहीं किया है, प्रशासनिक व्यवस्था को पूरा करने में यह सक्षम नहीं है, तो मैं इस दूसरे हिस्से का अर्थ जानना चाहता हूं।

श्री अम्मार रिजवी--

जो आपने एक हिस्सा बताया है, मैं समझता हूं यह सम्पूर्ण प्रश्न है। अगर कोई पत्र शासन को मिला है तो उसी के संबंध में दूसरा प्रश्न आता है और इसका उत्तर जी नहीं, दिया गया है। जहां तक चुनाव कराने का प्रश्न है शासन.....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जी नहीं, मान्यवर, मेरा प्रश्न यह नहीं है। मैंने बहुत साफ बात पूछी है कि सम्पूर्ण व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिये, जब आप चुनाव कराना चाहें, करायें, इसमें कोई बहस नहीं है लेकिन आप कहते हैं कि पूरा नहीं किया है, इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि उत्तरदायित्व को पूरा करने में जो आपने जी नहीं कहा है उस का मतलब क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जहां तक चुनाव करवाने का प्रश्न है, कराया जायेगा। दूसरी बात है कब कराया जायेगा, इसके बारे में माननीय गुप्त जी ने पूछा है, तो जिस समय परिस्थितियां अनुकूल होंगी, जनहित में होगा, चुनाव कराया जायगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मेरा स्पष्ट प्रश्न है कि शासन चुनाव कराने के लिये तैयार है या नहीं ? इसका उत्तर दिला दें।

श्री अध्यक्ष---

मूल प्रश्न है कि क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गढ़वाल का संसदीय उप चुनाव करवाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश शासन को कोई पत्र वर्ष 1982 में लिखा है ? यदि हां, तो वह पत्र क्या है तथा क्या सरकार ने गढ़वाल संसदीय उप चुनाव करवाने के लिये चुनाव आयोग को सम्पूर्ण व्यवस्था उपलब्ध कराने के अपने उत्तरदायित्व को पूरा कर लिया है ? इसमें उत्तर "जी नहीं" दिया हुआ है पूरे प्रश्न का।

श्री मोहन सिंह---

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस समय उत्तर प्रदेश शासन ने अपनी एक मजबूरियों का पुलिन्दा चुनाव आयोग को बिना उनके मांगे हुए भेजा था। अब स्थिति बदल गई है और जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने बार-बार कहा है कि हमारे हाथ मजबूत हैं, हमारी कानून व्यवस्था ठीक है तो अब क्या कोई पत्र चुनाव आयोग को उत्तर प्रदेश सरकार अपनी ओर से लिखेगी कि कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक है, हम चुनाव करवाने का आग्रह करते हैं क्योंकि हमें इस बात की शंका है कि जिस तरहसे 5 चक्रों में चुनाव का कार्यक्रम आया है उसी बहाने यह गढ़वाल का चुनाव भी नहीं करायेंगे इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अपनी तरफ़ से उत्तर प्रदेश सरकार चुनाव आयोग को अपने उसी पुराने पत्र के रिफ़रेंस में नया पत्र लिखेगी कि अब हम चुनाव करवाने केलिये तैयार हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव---

जैसा कि अभी 5 चक्रों में चुनाव की बात कही गई तो वह कोई नई बात नहीं है। इससे पहले सन् 72 में भी 5 चक्रों में ही चुनाव हुए थे।

श्री अम्मार रिजवी---

जो चुनाव आयोग को पत्र लिखने की बात कही गई तो जिस समय जो जनहित में कार्य उचित होगा वह कार्य किया जायेगा ।

श्री रियासत हुसैन---

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि चूंकि इस समय मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं इसलिये अच्छा होता यदि वहीं जवाब दे देते कि क्या यह सही है कि 22 नवम्बर को जो चुनाव होने वाले थे गढ़वाल के उस समय उस सम्बन्ध में प्रदेश के आई० जी० और प्रदेश के होम सेक्रेटरी व्यक्तिगत रूप से इलेक्शन कमीशन के पास गए ? अगर यह सही है तो उनको किस डाइरेक्शन के साथ प्रदेश की सरकार ने भेजा था ? क्या मा० मंत्री जी जनहित का मतलब केवल यही लेते हैं कि जब कांग्रेस का कोई कैंडीडेट जीतेगा तभी जनहित होगा ?

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) ---

माननीय अध्यक्ष जी, आई० जी० पुलिस और गृह सचिव इलेक्शन कमिश्नर से मिले प्रदेश में जो स्थिति थी और जो डिप्लायमेंट था उसके बारे में उन्होंने इलेक्शन कमीशन को अवगत कराया।

मान्यवर, जहां तक प्रजातन्त्र की सुरक्षा की बात है, जनता सरकार द्वारा जो इन इंस्टीट्यूशंस का हनन हुआ ब्लाक स्तर पर, जिला परिषद् स्तर पर, उसको हम लोग पुनः जीवित कर रहे हैं और प्रजातांत्रिक किसी भी प्रक्रिया को चाहे वह गढ़वाल के चुनाव के बारे में हो, चाहे ब्लाक के बारे में हो, चाहे जिला परिषद् का हो, हम उसके पूरे दायित्व का निर्वहन करेंगे।

श्री रियासत हुसैन---

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग, यदि यह सही है तो माननीय आई० जी० और गृह सचिव शासन की तरफ़ से एलेक्शन कमीशन के पास चुनाव सम्बन्धी कोई निर्देश लिख करके दिया गया था तो वह क्या था ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह---

सत्य को बतलाने का निर्देश था।

श्री फ़खरे आलम---

क्या 22 नवम्बर के बाद कोई चिट्ठी चीफ़ एलेक्शन कमिश्नर को गढ़वाल चुनाव के सम्बन्ध में यू० पी० सरकार ने लिखा था ? अगर कोई चिट्ठी एलेक्शन कमिश्नर की सरकार के पास आयी तो उसका क्या जवाब सरकार ने दिया ?

श्री अम्मार रिजवी---

शासन की ओर से कोई पत्र चीफ़ एलेक्शन कमिश्नर को उसके बारे में नहीं लिखा गया था। आप जानते हैं कि जो पत्राचार होता है उसकी अलग एजेंसी है, उसके द्वारा होता है।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

एलेक्शन कमीशन ने 22 नवम्बर गढ़वाल चुनाव के लिये तय किया था, लेकिन बाद में इस सरकार ने अपनी मजबूरी व निकम्मापन दिखलाते हुए उनको लिखा कि हम अभी चुनाव

नहीं कराना चाहते हैं, तो अब अपने को सक्षम समझते हुए कि हम दक्ष हो गये, इस सम्बन्ध में पुनः एलेक्शन कमीशन को लिखने में क्या आपत्ति है कि हम इस लायक हो गये हैं और अब चुनाव कराना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न इससे नहीं उठता है। इसका उत्तर वे दे चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस—

मैं जानना चाहता हूं कि 22 नवम्बर के बाद से आज के चुनाव आयोग ने गढ़वाल चुनाव कराने के सम्बन्ध में शासन को कोई पत्र लिखा है ? यदि लिखा है, तो वह क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय सदस्य का प्रश्न 1982 वर्ष में पत्र लिखने तक सीमित है। तो 1982 में कोई पत्राचार शासन और चुनाव आयोग में नहीं हुआ है।

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस—

सरकार चुनाव से भाग रही है। सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है क्योंकि समझती है कि चुनाव हार जायेगी। इसके विरोध में मैं अपनी पार्टी के साथ सदन का त्याग करता हूं।

(श्री मुख्तार अनीस अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

(श्री विद्या सागर नौटियाल अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गए)

(श्री फ़खरे आलम भी सदन त्याग कर चले गये।)

अतारांकित प्रश्न

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत विकास खण्डों के चयन का आधार

1—श्री लल्लू सिंह चौहान—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार ने विशेष समन्वित योजना के निमित्त जिन 106 विकास खण्डों का चयन किया है उसका चयन आधार क्या है ? इस योजना को मैनपुरी जनपद के कौन-कौन से विकास खण्डों में कार्यान्वित किया जायगा ? सन्दर्भित विशेष योजना पर प्रत्येक चयनित ब्लाक में पांच लाख रुपया व्यय किया जायेगा ? क्या इस पांच लाख रुपए को किन-किन मदों पर व्यय किया जायेगा बताने की कृपा माननीय मंत्री जी करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के निमित्त विकास खण्डों का चयन उनमें अनुसूचित जातियों के बाहुल्य के आधार पर किया गया है। मैनपुरी जिले में अनुसूचित जातियों की सबसे अधिक जनसंख्या वाले किसनी विकास खण्ड का चयन 1980–81 में तथा बेवर विकास खण्ड का चयन 1981–82 में हुआ है।

नोट:—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

प्रत्येक विकास खण्ड के लिये आंवटित 5 लाख रुपये का उपयोग मुख्यतः अनुसूचित जातियों के सामूहिक लाभ के लिये आर्थिक योजनाओं पर किया जाना है, उदाहरणार्थ उत्पादन एवं विक्रय केन्द्र के भवनों का निर्माण, लघु सिंचाई की व्यवस्था इत्यादि। इस धन से पात्र परिवारों को आर्थिक बैंकेबल योजनाओं में अनुदान भी दिया जाता है। जिन हरिजनों के पास अपनी भूमि नहीं है उन्हें कृषि भूमि भी क्रय करके दी जा सकती है।

अल्मोड़ा जनपद में स्वीकृत मार्गों का निर्माण

2--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अल्मोड़ा जनपद में राजस्व विभाग, वन विभाग एवं निर्माण विभाग के बीच सामंजस्य न होने से कितने मोटर मार्गों का निर्माण 1980-81 में रुका पड़ा है ? सरकार कोई ऐसा विकल्प ढूंढेगी जिससे मार्गो का निर्माण तुरन्त हो ? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी---

अल्मोड़ा जनपद में राजस्व विभाग, वन विभाग तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के बीच सामंजस्य न होने की कोई सूचना शासन के पास नहीं है और न ही इस कारण किसी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य रुका पड़ा है। स्वीकृति मार्गो के निर्माण कार्य को तुरन्त आरम्भ कराने के लिये शासन सदैव प्रयत्नशील है

जिला चमोली गढ़वाल के क्षेत्र कुनीगाड में मोटर मार्ग के निर्माण पर विचार

3--श्री रियासत हुसैन---

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चमोली गढ़वाल के क्षेत्र कुनीगाड के लिये कोई मोटर मार्ग निर्माण करने का प्रश्न शासन के विचराधीन है ? यदि हां, तो इसका निर्माण कब तक हो जायेगा ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी---

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ में कार्यरत अध्यापिकाओं/कर्मचारियों की वेतन वृद्धि का भुगतान

4--श्री दलगंजन सिंह---

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रगति आश्रम हाई स्कूल बालागंज, लखनऊ में कार्यरत (30-6-81 तक) कितने अध्यापकों/कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धियों/अवकाश वेतन/वेतन भत्ते आदि के बकाया देय भुगतान लम्बित थे ? बकाया देयों का भुगतान कराये जाने के बारे में सरकार क्या कार्यवाही की है ?

श्री गुलाब सेहरा--

प्रगति आश्रम हाईस्कूल बालागंज, लखनऊ में कार्यरत (30-6-81) अध्यापकों/कर्मचारियों में से केवल एक अध्यापिका की वार्षिक वेतनवृद्धि रोकी गयी है। इस अध्यापिका का कार्य असंतोषजनक पाये जाने के कारण उसकी वेतनवृद्धि स्वीकृत नहीं की गयी है और इसी कारण उनकी वेतनवृद्धि का भुगतान नहीं किया गया है।

बौद्ध मन्दिर, फर्रुखाबाद में महाबीर हनुमान की मूर्तियों की स्थापना का औचित्य

5--श्री गोरेलाल शाक्य--

क्या सरकार को जानकारी है कि अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध मन्दिर संकिसा, जिला फर्रुखाबाद में बौद्ध मन्दिर में महाबीर की हनुमान की मूर्तियों की स्थापना गत जनता सरकार के शासन

काल में की गई थी ? यदि हां, तो ऐसे स्थान पर अन्य धर्म की मूर्तियां लगाने का औचित्य क्या है ?

श्री गुलाब सेहरा---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कनहर परियोजना हेतु ली गयी भूमि के प्रतिकर का वितरण

6---श्री विजय सिंह (मिर्जापुर)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मिर्जापुर के दुद्धी तहसील में निर्माणाधीन कनहर परियोजना में अमवार बांध के बीपत हरिजन की 1.2बीघे भूमि अधयाप्त कर ली है और अभी तक उसका मुआवजा बीपत हरिजन को नहीं मिला ? उस भूमि पर फील्ड हास्टल का निर्माण भी हो चुका है ? क्या सरकार बीपत को मुआवजा दिलाने की कृपा करेगी ? यदि हां तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

कनहर परियोजना हेतु ली गई भूमि का प्रतिकर वितरित किया जा चुका है ।

संविधान निर्माता डाक्टर भीमराव अम्बेदकर के सारे साहित्य को पुस्तकालयों में रखने का सुझाव

7---श्री राम स्वरूप वर्मा---

क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि संविधान निर्माण वोधिसत्व बाबा साहब डाक्टर भीमराव अम्बेदकर के सारे साहित्य को प्रदेश के हरिजन छात्रावासों, हरिजन पुस्तकालयों, सरकारी अनुदान प्राप्त पुस्तकालयों में रखने जा रही है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा---

जी नहीं । छात्रावास एवं पुस्तकालय स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा चलाये जाते हैं जिन्हें विभाग सहायता देता है, स्वैच्छिक संस्थाओं को वाध्य नहीं किया जा सकता कि वे किसी अमुक लेखक की पुस्तक क्रय करें । उन्हें केवल सुझाव भेजा जा सकता है ।

ग्राम दौलतपुर, जिला सुल्तानपुर की सीमा पर स्थित नाले पर पुलिया के निर्माण पर विचार

8---श्री दीपनारायण ---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम दौलतपुर--रसूलपुर,विकास खण्ड जगदीश-पुर, जिला सुल्तानपुर की सीमा पर एक बड़ा नाला है जिससे ग्राम बरसन्डा--मगरौती लगभग 50 ग्रामों के निवासियों को जाफर गंज मंड़ी आने-जाने में बड़ी असुविधा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम दौलतपुर के पुरवा--पूरे बाबू बहादुर एवं ग्राम रसूलपुर पर स्थित नाला पर एक पुलिया का निर्माण कराने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद की टांडा और अकबरपुर तहसीलों में थिरुआ नाले पर निर्माण कार्य

9---श्री राम आसरे वर्मा---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद की टांडा और अकबरपुर तहसीलों में थिरुआ नाला को 14--4 किलोमीटर दूरी तक गहरा और चौड़ा करने का कार्य कितना शेष

[श्री राम आसरे वर्मा]
रह गया है, और यह कब तक पूरा हो जायगा ? क्या सम्बन्धित क्षेत्र में उक्त नाले की बाढ़ एवं जल भराव से हर वर्ष होने वाली अपार क्षति की ध्यान में रख कर सरकार इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र और बरसात के पहिले पूरा कराने का प्रयास करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह--
जनपद फैजाबाद की टांडा और अकबरपुर तहसीलों में थिरूआ नाला को 14-4 कि0 मी0 दूरी तक गहरा और चौड़ा किये जाने का कार्य लगभग आधे भाग में शेष रह गया है जिसे भूमि उपलब्ध होने पर शीघ्र पूर्ण करा दिया जायेगा ।

थिरुआ नाले पर प्रस्तावित एक ग्रामीण पुल का निर्माण

10--श्री राम आसरे वर्मा--
क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद की टांडा तहसील के ग्राम भारीडीहा के निवासियों को ग्राम के पूरब थिरूआ नाला पर कोई पुल न होने के कारण तहसील तथा ब्लाक मुख्यालयों और थाने पर पहुंचना बरसात के मौसम में असम्भव हो जाता है ? यदि, हां तो उक्त क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर वहां एक पुल बनवाने में शासन को क्या कठिनाई है ? यह कार्य कब तक पूरा कर दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--
जी हां ।

थिरूआ नाले के कि0 मी0 28-0 पर प्रस्तावित एक ग्रामीण पुल के निर्माण की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है । जिसे शीघ्र ही पूरा करा दिया जायेगा ।

खंजावा ड्रेन के अन्तर्गत नाले को चौड़ा व गहरा करने का प्रस्ताव

11--श्री राम आसरे वर्मा--
क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद की अकबरपुर तहसील में ग्राम खजावां के उत्तर स्थित टीकमपारा तालाब के निकल कर एक नाला टांडा तहसील के ग्राम भारीडीहा में थिरुआ नाला में मिलता है ? क्या यह सही है कि उक्त नाले के गहरा व चौड़ा होने से हर वर्ष बरसात में उक्त क्षेत्र की हजारों एकड़ फसल नष्ट हो जाती है ? यदि हां, तो उक्त नाले को गहरा व चौड़ा करने का कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--
जी हां ।

समस्या के निराकरण हेतु 3.6 कि0 मी0 लंबी खजावां ड्रेन प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत प्रश्नगत नाले को चौड़ा व गहरा करने का कार्य भी सम्मिलित है । भूमि अध्याप्ति हो जाने के पश्चात् यह कार्य शीघ्र कराया जायेगा ।

लखनऊ के मोहम्मदापुर खमी (कुर्सी रोड) में राजकीय नलकूप बनवाने का आदेश

12-- श्री हरिवंश सहाय--
क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि 26 सितम्बर, 1979 को विशेष परिस्थितियों में शासनादेश संख्या 2517-टी/79-23सि-5 ओ0 स0 2034 टी-79-23 सि-5, दिनांक 19 अगस्त, 1979 लखनऊ के मोहम्मदापुर खमी (कुर्सी रोड) में राजकीय नलकूप बनवाने का आदेश हुआ था ? यदि हां, तो नलकूप कब तक लगा दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जी हां। प्रश्नगत क्षेत्र में सक्षम अधिकारी उपान्त क्षेत्र नगर सीमा रोपण , लखनऊ द्वारा जमीनों की अधिग्रहण नोटिस जारी हो जाने के कारणवश इस नलकूप के निर्माण का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया है।

जनपद जौनपुर एवं वाराणसी के समिति क्षेत्र में बहने वाली नान्द नदी की खुदाई में अनियमितता की जांच

13---श्री प्रभू नारायण सिंह---

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर एवं वाराणसी के समिति क्षेत्र में बहने वाली नान्द नदी उस क्षेत्र की जल निकासी और सिंचाई का माध्यम है ? क्या यह भी सत्य है कि वर्ष 1980-81 में इस नदी की खुदाई करने में घोर अनियमितता की गयी है ? क्या सरकार इस अनियमितता की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जी हां।

काश्तकार निजी व्यवस्था द्वारा नदी का पानी सिंचाई के लिये भी प्रयोग करते हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री माता प्रसाद, ग्राम धमोलिया की बस दुर्घटना से मृत्यु तथा आश्रितों को सहायता

14---श्री मित्रसेन---

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि माता प्रसाद पुत्र करिया, ग्राम धमोलिया की मृत्यु दिनांक 6-12-81 को रोडवेज, फैजाबाद बस नं0 7887 यू0 पी0 एक्स0 से हुई दुर्घटना में हो गयी जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध सं0 261, धारा 204-ए, थाना इनायत नगर, फैजाबाद में दर्ज कराई गयी है ? यदि हां, तो मृतक के परिवार व आश्रितों को सरकार द्वारा क्या आर्थिक सहायता की गयी और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

सूचना एकत्र की जा रही है।

जेल कर्मियों की हड़ताल की समाप्ति पर उन्हें रिक्त पदों पर नियुक्ति करने के निर्देश

15---श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या कारागार मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछले दिनों जेल कर्मियों ने जो हड़ताल की थी, उससे उत्तर प्रदेश में कितन जेल कर्मी नौकरी से हटाये गये थे और सरकार ने हड़ताल समाप्त के बाद उनमें से कितने कर्मचारियों को नौकरी पर वापस लिया और कितने कर्मचारी अभी सरकार द्वारा नौकरी पर नहीं लिये गये और नौकरी पर उन कर्मचारियों को न लेने का क्या कारण है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

पिछले दिनों जेल कर्मियों द्वारा की गयी हड़ताल के दौरान 1122 जेल कर्मी नौकरी से हटाये गये थे। 673 जल कर्मियों को हड़ताल की समाप्ति पर नौकरी में वापस ले लिया गया है, 106 को रिक्त पदों पर नियुक्ति करने के निर्देश दे दिये गये हैं शेष 343 की नियुक्ति विचाराधीन हैं।

ग्राम रेहटी में रेलवे लाइन की सुरक्षा हेतु स्केप चैनल का निर्माण

16--श्री प्रभु नारायण सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर के अन्तर्गत ग्राम रेहटी में खुदाई हेतु एक ऐसी ड्रेन प्रस्तावित है, जिससे मात्र कृषकों के खेत नष्ट होंगे और जल निकासी नहीं होगी ? क्या यह सत्य है कि इस ड्रेन को न खोदने के लिये क्षेत्रीय जनता ने प्रश्नकर्ता के माध्यम से माह सितम्बर, 81 में जिलाधिकारी, जौनपुर एवं अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई प्रखण्ड, जौनपुर को प्रार्थना--पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नगत ग्राम में कोई ड्रेन प्रस्तावित नहीं है बल्कि एक स्केप चैनेल का निर्माण रेलवे लाइन की सुरक्षा हेतु प्रस्तावित है।

जी हां।

रेलवे लाइन की सुरक्षा हेतु स्केप चैनेल का निर्माण अनिवार्य पाया गया ।

श्री वी0पी0 गोयल, मुख्य अभियन्ता (नलकूप), नलकूप मण्डल, लखनऊ के कार्यकाल में नलकूपों के निर्माण एवं रख-रखाव हेतु व्यय

17--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बी0 पी0 गोयल, मुख्य अभियन्ता (नलकूप) जब नलकूप मण्डल, लखनऊ में अधीक्षण अभियन्ता के पद पर कार्यरत थे, तो उक्त मण्डल एवं उसके अधीन खण्डों, उप-खण्डों में नलकूपों के निर्माण एवं रख-रखाव हेतु कितने रुपए की प्रति वर्ष की दर से टी0 ए एण्ड पी0 पार्ट्स व विभिन्न मशीनों की आवश्यकता थी तथा इन आवश्यकताओं के विपरीत कितने कितने रुपए का क्रय किया गया तथा इस क्रय किये गये सामान में से कितने सामान का अब तक उपयोग हो चुका है तथा कितना सामान उपयोग हेतु शेष है ? इस शेष सामान में कितने मूल्य का सामान अब उपयोगी नहीं रह गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

बस स्टेशन, कैसरबाग, लखनऊ के जलपान गृह व अन्य ठेकों के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

18--श्री अकबर हुसैन--

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 3-12-81 को मा0 विधायक श्री झिलमिट राम को शिकायती-पत्र बस स्टेशन, कैसरबाग, लखनऊ के जलपान गृह व अन्य ठेकों के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां। सदस्य महोदय का पत्र प्राप्त हुआ है। उल्लिखित पत्र में प्राप्त शिकायतों की जांच कराई जा रही है।

जिला देवरिया के सोनदिया ग्राम में दक्षिण नहर टूटने से कृषि भूमि एवं फसल की क्षति

19--श्री कुबेर भण्डारी तथा श्री श्याम नरायन तिवारी--

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जिला देवरिया के पडरौना तहसील स्थित सोनादेया राजबाहु पर सोनदिया ग्राम लगभग 3 फर्लांग दक्षिण नहर टूटने से पचासों एकड़ कृषि

भूमि एवं जल नष्ट होने से बचाने हेतु 26 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 11-5-81 के साथ किसी विधायक का पत्र दिनांक 12-5-81 शासन को प्राप्त हुआ है यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

राज्य सड़क परिवहन निगम के पूर्वी जोन में घाटा तथा अधिक डीजल खर्च होने के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

20--श्री पंचानन राय---

क्या विधान सभा के प्रथम सत्र 81 के 4थे बुधवार के लिये निर्धारित अता० प्र० सं० 42 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करगें कि 1 अप्रैल, 1980 से 30 नवम्बर, 1980 तक 2,07,85,850 रुपए के घाटे के लिये कौन से अधिकारी उत्तरदायी थे ? बैट्री के अभाव का क्या कारण था तथा इस कारण रु० 1,14,08,807 का अधिक डीजल खर्च होने के लिये कौन से अधिकारी उत्तरदायी है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

गोरखपुर क्षेत्र में परिचालकों का चयन, ट्रेनिंग तथा जमानत की धनराशि

21---श्री हरिवंश सहाय--

क्या परिहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर रीजन में वर्ष 1980 में कितने परिचालकों को चयनित किया तथा उसमें से कितने अभ्यर्थी ट्रेनिंग किए तथा कितने परिचालकों ने जमानत की धनराशि जमा की ? कितने व्यक्तियों को सेवा में लिया गया ? क्या सूची के क्रम संख्या के अनुसार नियुक्ति की गयी ? इनमें से कितने अभ्यर्थी अभी शेष हैं जिनकी नियुक्ति नहीं की गयी ? उसका कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

गोरखपुर क्षेत्र में वर्ष 1980 में 356 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया। 326 अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग की गयी। 325 अभ्यर्थियों ने जमानत की धनराशि जमा की। 257 अभ्यर्थिशों को नियुक्तियां की गयी। प्रतीक्षा सूची के क्रमांक के अनुसार नियुक्तियां नहीं दी गयी बल्कि जिन अभ्यर्थियों ने तैनाती की शर्तें पूरी की उसी क्रम में नियुक्तियां दी गयी।

15-7-1980 को प्रतीक्षा सूची निरस्त कर दिये जाने के कारण 68 अभ्यर्थियों को एक अभ्यर्थी द्वारा प्रतिभूति वापस लेने के कारण तथा 30 अभ्यर्थियों द्वारा औपचारिकतायें पूरी न करने के कारण नियुक्त नहीं दी गयी।

राज्य सड़क परिवहन निगम, गोण्डा के कर्मचारियों तथा क्षेत्रीय प्रबन्धक, गोंडा के बीच समझौता

22---श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य सड़क परिवहन निगम, गोण्डा के कर्मचारी 15 जुलाई 1981 को हड़ताल किए थे जिसके सम्बन्ध में स्थानीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच कोई समझौता हुआ था ? यदि हां, तो क्या समझौते का परिपालन नहीं हुआ था ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां। गोंडा डिपो के कर्मचारियों ने दिनांक 15 जुलाई, 1981 को आंशिक रूप से हड़ताल की थी। इस पर कर्मचारी प्रतिनिधियों व सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, गोंडा के बीच वार्ता के पश्चात् एक समझौता उसी दिन होने पर हड़ताल समाप्त हो गई। समझौते का परिपालन कर दिया गया है।

देवरिया बस डिपो में चालकों की भर्ती के लिये आवेदन-पत्र तथा चयन

23--श्री कुबेर भण्डारी तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि देवरिया बस डिपो में दिनांक 24-11-81 में जो बस चालकों की भर्ती हुई उसके प्रार्थना-पत्र कब पड़े और कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन-पत्र दिए और कितनों का टेस्ट लिया गया तथा प्राप्त नम्बर के किस आधार पर परिणाम घोषित किए गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

चालकों की भर्ती के आवेदन-पत्र दिनांक 20-11-81 को लिये गये। 221 अभ्यर्थियों ने आवेदनपत्र दिये। दिनांक 24-11-81 को अहर्ताओं के आधार पर 117 अभ्यर्थियों को चुनाव के लिये आमंत्रित किया गया। बस चालन की कुशलता के आधार पर 28 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया।

उ0 प्र0 रा0 स0 प0 निगम, गोरखपुर में कर्मचारियों के वेतन का बकाया भुगतान

24--श्री कुबेर भण्डारी तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 रा0 स0 प0 निगम क्षेत्र, गोरखपुर में कितने कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्हें जुलाई, 1964 से जुलाई, 1972 तक के अवधि का वेतन नहीं मिला, परन्तु वार्षिक बढ़ोत्तरी का पैसा पा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

हसनपुर से मुरादाबाद चलने वाली रोडवेज की बस

25--श्री जीराज सिंह मौर्य--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हसनपुर से मुरादाबाद चलने वाली रोडवेज की बसों का चलना बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

हसनपुर-मुरादाबाद के बीच चलने वाली सेवा को स्थायी रुप से बन्द नहीं किया गया था। गत वर्ष 1981 में बसों की खराबी तथा बसों की कमी की विशेष परिस्थिति के कारण यह सेवा कुछ समय तक स्थगित रही। हसनपुर से मुरादाबाद सीधी सेवा कायम है।

लखनऊ-गोरखपुर रोड पर बस दुर्घटना में मृत तथा घायल व्यक्ति तथा कृत कार्यवाही

26--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 10-12-81 को कानपुर से गोरखपुर जानेवाली सड़क परिवहन निगम बस लखनऊ-गोरखपुर रोड पर स्थित मुमताज नगर कस्बे में ट्रक से टकरा गयी है और एक व्यक्ति मर गया तथा 17 घायल हो गये है ? यदि हां तो इसमें क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

नगरपालिका फतेहगढ़ की आवंटित भूमि को अनियमित तरीके से बेच देने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही

27—श्री भीखा लाल—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सत्य प्रकाश, पुत्र श्री जगनाथ, निवासी ग्राम तिलिया ग्वाल टोली, फतेहगढ़, जिला फर्रुखाबाद का प्रार्थना-पत्र दिनांक 19-9-81 प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 19-9-81 के साथ उनको प्राप्त हुआ है जिसमें यह शिकायत की गयी है कि प्रार्थी के नाम वर्ष 1976 में नगरपालिका, फतेहपुर की आवंटित भूमि नगरपालिका द्वारा हरिजन छात्रावास बनाने के लिये अनियमित तरीके से बेच दी गयी है यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी हां, माननीय सदस्य महोदय का पत्र दिनांक 19-9-81 प्राप्त हुआ था। नगरपालिका फतेहगढ़ (न कि फतेहपुर) की आवंटित भूमि के संबंध में एक सिविल वाद नं0 11 सत्यप्रकाश बनाम प्रशासक, म्यूनिसिपल बोर्ड, धारा 229-बी0 के अन्तर्गत परगनाधिकारी छिबरामऊ के न्यायालय में विचाराधीन है।

भूतपूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाने के सम्बन्ध में विचार

28—श्री बंशीधर—

क्या सरकार इस विषय पर विचार करने की कृपा करेगी कि जिस हिसाब से विधायकों का वेतन और भत्ता बढ़ा दिया गया है उसी हिसाब से भूतपूर्व विधायकों की पेंशने बढ़ा दी जावें ?

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री राम रतन सिंह)—

इस प्रकार का कोई प्रश्न इस समय शासन के विचाराधीन नहीं है।

29—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

(3-2-82 के अतारांकित प्रश्न संख्या 114 द्वारा उत्तरित)

जनपद सहारनपुर के हरिद्वार बस स्टेशन कैन्टीन के ठेके की निलामी

30—श्री अकबर हुसैन —

क्या परिवहन मंत्री को विदित है कि जनपद सहारनपुर के हरिद्वार बस स्टेशन कैन्टीन के ठेके की नीलामी दिनांक 7-12-81 क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा कराई गयी तथा अधिकतम बोलने वाले ठेकेदार से दि0 7-12-81 को ही जमानत के रूप में 13995.00 रु0 जमा करा लिये थे ? यदि हां, तो अब तक कैन्टीन चलाने हेतु स्वीकृति प्रदान न करने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। हरिद्वार बस स्टेशन पर स्थित कैन्टीन के ठेके की नीलामी दिनांक 7-12-81 को सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक तथा सहायक लेखाधिकारी द्वारा कराई गयी थी। तदनुसार उच्चतम बोली बोलने वाले ठेकेदार से रु0 13,995.00 की अग्रिम जमा कराई गयी थी। उक्त नीलामी में जो उच्चतम बोल लगाई गयी थी, वह पिछले ठेके की कुल राशि से कम थी। इस कारण उप प्रधान प्रबन्धक (पश्चिमी जोन) द्वारा उक्त नीलामी को रद्द कर दिया गया तथा पुनः नीलामी की तिथि 17 मार्च, 1982 को निश्चित कर दी गई है।

[समय 12 बजकर 20 मिनट]

प्रसिद्ध शायर, श्री शब्बीर हसन खां उर्फ "जोश मलिहाबादी" के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

मान्यवर, जोश मलिहाबादी हमारे बीच नहीं रहे इतिहास का एक शायर हम लोग के बीच से उठ गया। जोश मलिहाबादी मान्यवर, आजादी और इंकलाब के आंधी व आग थे कि जिस दिल और दिमाग को वह छू देता था उस में क्रांति की लपट पैदा कर देता था।इसीलिए उन्होंने कहा कि "चौकिए जरा गर्म आने वाली है जर्रा-जर्रा आग में तबदील होने वाला है"। मान्यवर, जोश मलिहाबादी इंसान नहीं थे जमाने की रूह थे एक दिवानगी थे एक क्रांति थे कोई भी इंकलाब बन्दूक के नालों से शुरू नहीं होता। इंकलाब दिल और दिमाग और तमन्ना से पैदा होता है और वह उस तमन्ना के जोश थे उस अंजुमन जोश थे जिस जोश ने उन क्रांतिकारियों को उन स्वतन्त्रता सेनानियों को वह ताकत दी कि अंग्रेजों की गोलियां खत्म हो गईं। एक नई क्रांति के आने पर एक नये जमाने के आने पर उन्होंने कहा था कि एक दिन एक कहानी वक्त लिखेगा नये मजमून में। उस नए मजमून से लिखने की ताकत, नए मजमून में बदलने की ताकत जोश मलिहाबादी के स्वरों में थी उनकी आवाज में थी। अपनी जिन्दगी में वह वतन से बाहर भी गये, पाकिस्तान गये। लेकिन "यादों की बारात" उनको वापस ले आई। फिर वतन वापस आये। हैदराबाद में रहे। वतन उन को हमेशा खींचता रहा। अपनी आखरी सांसों में उन्होंने कहा कि "दफन करना अपने शायर को वतन की खाक में"। मान्यवर, उनका पार्थिव शरीर यहां नहीं आ सका लेकिन उनके वतन वालों का हर दिल मजार हो रहा है। जिस मजार से एक ही आवाज आ रही है कि जिस जिन्दगी में जोश नहीं है उसमें जान नहीं है।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि शोक सन्तप्त परिवार के पास हम लोगों की समवेदना पहुंचाने का कष्ट करें।

*श्री मोती लाल देहलवी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्री शब्बीर खां उर्फ जोश मलिहाबादी साहब के निधन पर माननीय नेता सदन ने जो अपने दुःखी अल्फाज अदा किये हैं मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं।

मान्यवर, जैसा कि माननीय नेता सदन ने कहा यह बिल्कुल सही है कि जोश साहब अपने तखल्लुस के मुताबिक अपनी शायरी में जोश पैदा कर देते थे आजादी की लड़ाई के लिये भी उन्होंने काफी जोश मुल्क में लोगों में पैदा किया। यह सही है कि जोश साहब शायरी की दुनिया में एक टिमटिमाते हुए सितारे की तरह थे। उनके निधन से इस देश को ही नहीं दूसरे देशों को भी काफी धक्का लगा और मैं समझता हूं कि निकट भविष्य में उनकी पूर्ति होना सम्भव नहीं है। मान्यवर, मैं व मेरा दल उनके निधन से दुखी है। हम उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारी इन भावनाओं को उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अकबाल हुसैन—

मान्यवर, शब्बीर हसन खां जोश मलिहाबादी इस अवध के मलिहाबाद कस्बे में सन् 1894 में पैदा हुए थे। वे इल्म और अदब की दुनिया में एक आफताब बनकर रह रहे थे। वे एक शायर थे—

गया वक्त सरमायादारी गया
तमाशा दिखा कर मदारी गया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उन्होंने देश की आजादी में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की । अब केवल उनकी याद बाकी रह गयी है । मान्यवर, वे इस देश और प्रदेश के ही नहीं बल्कि पूरे संसार के इंकलाबी शायर माने गये । उन्होंने इंसानियत की सेवा की जो कि बहुत ही सराहनीय है। मान्यवर, उनका देहान्त पाकिस्तान में 22 फरवरी, 1982 को हुआ। उनके देहान्त से पूरे हमारे देश और प्रदेश तथा संसार की इन्सानियत की जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति होना मुश्किल है । मैं अपनी और अपने दल की ओरसे उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना है कि हमारी इन भावनाओं को दुखी परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री मुख्तार अनीस---

माननीय अध्यक्ष जी, आज सम्पूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में शायरे-इंकलाब जोश मलिहाबादी की मौत पर लोग दुखी हैं । हमारे हिन्दुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में जो लोग लड़े थे उनकी एक मजबूत कड़ी जोश मलिहाबादी थे । वे आज़ हमारे बीच में नहीं हैं उन्होंने अपनी कलम के जरिए देश के नौजवानों के अन्दर जो रूह फूंकी है वह कायम रहेगी ।

उनको हिन्दुस्तान छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ा । जिस आदमी ने सारी जिन्दगी पाकिस्तान बनाने की मुखालफत की सांम्प्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ी उनको पाकिस्तान जाना पड़ा । पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोश मलिहाबादी को समझाया कि तुम पाकिस्तान क्यों जाते हो ? मत जाओ । तो जोश साहब ने कहा कि पंडित जी मैं यहां रह कर क्या करूंगा । मैंने जो कुछ लिखा है उसको मेरे बच्चे यहां नहीं पढ़ पायेंगे वहां कम से कम वे उसको पढ़, लिख तो पायेंगे इसलिये मैं पाकिस्तान जा रहा हूं । मान्यवर, जिस दिन से जोश साहब पाकिस्तान गये उन्होंने उसी दिन से अपने को मरहूम लिखना शुरू कर दिया । आज हम इस सदन में उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं लेकिन जोश साहब तो 20 साल पहले ही मरहूम हो चुके थे । मान्यवर, वे एक ऐसे शायर थे जिसने हिन्दुस्तान के किसानों का दर्द महसूस किया, हिन्दुस्तान की आजादी के गीत गाये मजदूरों को ललकारा साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के खिलाफ, अंग्रज तानाशाहों के खिलाफ उनका मुकाबला किया वे आज हमारे बीच में नहीं हैं । जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो अंग्रजों ने हिन्दुस्तान से मदद मांगी, कांग्रेस के नव-युवकों ने कहा कि जब हम खुद गुलाम हैं तो हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं? जोश इसी राय के था उन्होंने हिटलर को पैगाम भेजा और कहा---

बकिंघम की खबर लेने को अब की बार जब जाना,
हमारे नाम का भी एक गोला फेंकते आना।

जोश साहब ने "ईस्ट इंडिया कम्पनी के फरजन्दों के नाम" एक लम्बी नज्म लिखी और उनसे फौरन हिन्दुस्तान को आजाद करने की अपील की वह गुस्से में कहते हैं---

खैर अमा सौदागरों अब है तो बस इस बात में,
वक्त के फरमान के आगे झुका दो गरदनें,
एक कहानी वक्त लिखेगा नये मजमून की,
जिसकी सुर्खी की जरूरत है तुम्हारे खून की ।

इस नज्म को लिखने के बाद उनके घर की तलाशी ली गयी तो जोश ने अंग्रेजों को ललकरते हुए कहा---

घर में दुर्वेशों के क्या रखा हुआ है बदनेहाद,
आ मेरे दिल की तलाशी ले जो बर आये मुराद,
जिसके अन्दर नाग हैं ऐ दुश्मन हिन्दोस्तां,
शेर जिसमें गरजते हैं कौदती हैं बिजलियां ।

आज हमारे मुल्क में साम्प्रदायिकता और जातिवाद की भावना व्याप्त है । मुसलमान, मुसलमान को सुधारना नहीं चाहता, हिन्दू, हिन्दू को सुधारना नहीं चाहता ।हिन्दुओं के अन्दर

[श्री मुख्तार अनीस]

इतनी जातिवाद पनप गयी है इतनी साम्प्रदायिकता बढ़ गयी है कि जो कभी नहीं रही होगी। जोश, हिन्दू, मुसलमानों की एकता के हामी थे। जब उनका बच्चा पैदा हुआ, तो वह जेल में थे। जेल से उन्होंने अपने बच्चे को संदेश भेजा---

बाज आया मैं तो ऐसे मजहबी ताऊन से,
भाईयों का हाथ तर है भाइयों के खून से,
मान भी लूं मैं कि हिन्दू हिन्द का रुसवाई है,
लेकिन इसको क्या करूं वह भी तो मेरा भाई है,
कब्र में रुहे पिदर को शाद करने के लिए,
सर कटाना मुल्क को आजाद करने के लिए।

जब कोई मरता है तो उर्दू में मरसिया कहा जाता है। गांधी जी की मौत पर जोश का मर्सिया उर्दू साहित्य में सदा याद रहेगा वही मैं यहां कह रहा हूं---

हिन्दू है मातम बुतां तो गिरयाख्वा मुसलिम भी है
असलाम ऐ काबओ-काशी के दरवां अस्सराम।

जोश हिन्दुस्तान को इतना प्यार करने वाले थे कि उसी की याद में हिन्दुस्तां सरकार ने जोश मलिहाबादी को पद्मभूषण का खिताब दिया था। मैं जब पिछले दिनों पाकिस्तान गया था तो मैंने उनसे मिलने की कोशिश की और वे इस्लामाबाद में थे जब उन्होंने बीमारी की हालत में सुना कि कोई लखनऊ से आया है तो वे बड़े हर्ष से मिले और लखनऊ की एक-एक बात मुझसे पूछने लगे, मालूम होता था कि वह हिन्दुस्तान को भूले नहीं हैं। आज यह सदन उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। मान्यवर, मैं अपनी पार्टी को इस गम में शरीक करता हूं और नेता सदन ने जो प्रस्ताव रखा है उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर आज स्व0 जोश मलिहाबादी के सम्मान में जो उद्गार नेता सदन तथा अन्य नेताओं ने व्यक्त किये मैं उनसे अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, जोश मलिहाबादी क्रांति के प्रणेता थे उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से आजादी की लड़ाई में नवयुवकों में क्रांति की भावना पैदा की। इसी कारण उनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। अभी उनके जजबात श्री मुख्तार अनीस साहब ने कहे। उन्होंने ईस्टइंडिया कम्पनी के फरजन्दों के नाम जो शेर लिखा उसे पढ़ देना चाहता हूं---

वक्त का फरमान अपना रुख बदल सकता नहीं,
मौत टल सकती है यह फरमान टल सकता नहीं।

जो उनकी आवाज थी उसकी वजह से देश में नयी क्रांति आई उनका एक शेर और पढ़ दूं---

वह भगत सिंह के गम में आह दिले नाशाद है
उसकी गर्दन में जो डाला था फंदा वह फंदा याद है।

यह उनकी चेतावनी थी अंग्रेजों के नाम और इसके माध्यम से उन्होंने अंग्रेजों को बताने की चेष्टा की थी यह चेतावनी दी थी कि हिन्दुस्तान की तरुणाई याद करती है कि तुमने भगतसिंह के गले में फन्दा डाला था, जिसका बदला लिए बगैर वह नहीं रहेगी। भारत भूमि के प्रति उनके मन में कितना प्रेम और आदर था, इस हिन्दुस्तान के लिये उनके मन में क्या भावना थी, यह उनकी इस बात से पता चलती है---

आ गले मिल लें कि आंवेंजें बरस आने को हैं,
तेरे घर से एक जिन्दा लाश उठ जाने को है।"

उनके हृदय में एक वेदना थी। यही भाव देश हिन्दुस्तान के प्रति उनके मन में आजीवन रहा और आजादी की लड़ाई में हिन्दुस्तान ने उनसे और उनकी शायरी से प्रेरणा ली है जो कभी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भुलाई नहीं जा सकती है। आज वह हमारे बीच में नहीं हैं हम सब उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भगवान् से प्रार्थना करते हैं कि वह उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनकी कविताओं और भावनाओं से पूरे देश को नसीहत मिले।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

मान्यवर, माननीय नेता सदन और अन्य माननीय नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये हैं जोश मलिहाबादी के निधन पर, मैं अपने को और अपने दल को उनसे सम्बद्ध करता हूं। जोश मलिहाबादी शायरे इन्कलाब ही नहीं शायरे आजम और शायरे शबाब भी थे। वह एक मात्र ऐसे साहित्यकार हिन्द-पाक में इस समय मौजूद थे, जिसकी तुलना केवल काजी नजरूल इस्लाम से की जा सकती है। जोश मलिहाबादी न सिर्फ शायर थे, बल्कि वह एक नेक दिल इन्सान भी थे। इस विषय में उनसे मिलने वाले लोग तमाम तरह के किस्से सुनाया करते हैं। भाषा की शुद्धता पर वह बहुत जोर दिया करते थे और जब कोई नया शायर या साहित्यकार उनसे मिलने जाता था तो वह अपनी भाषा की अशुद्धियां जोश साहब से ठीक करवा लाता था। जोश साहब जिस उम्मीद पर पाकिस्तान गये थे, वहां जाने से वह उम्मीद पूरी नहीं हुई, बहुत से साहित्यकारों की उम्मीदें पूरी नहीं हुई। इससे इन्हें बहुत निराशा हुई थी। जोश साहब हिन्दुस्तान में रहने वाले हिन्दू मुसलमान एकता के कट्टर समर्थक थे। जोश साहब पाकिस्तान के अन्दर गये थे, वे इसलिये गये थे कि शायद उनके वहां रहने से वहां के दबे और पीड़ित लोगों को कुछ सहारा मिले। जोश साहब के वे अरमान पूरे नहीं हुए। लेकिन हिन्द-पाक के महान कवि फैज ने अपने दिल में उठती हुई तड़फन को इन अल्फाज में व्यक्त किया है--"रवां है नब्जे दा तरां गर्दिशों के आस्मां, जो तुम कहते हो, सब कुछ हो चुका ऐसा नहीं होता।" मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारी शोक संवेदना को उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, श्री शब्बीर हसन खां जोश मलिहाबादी के वफात पर, नेता सदन, नेता विरोधी दल और अन्य दलों के नेताओं ने अपने-अपने जो विचार व्यक्त किये हैं, मैं अपने को और अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं। श्रीमन्, जो मलिहाबादी मलिहाबाद से ताल्लुक रखते थे। मलिहाबाद के कस्बे को यह फक्र हासिल हुआ। जहां वह एक तरफ दशहरी मीठे आम पैदा करता था, उस कस्बे ने जोश साहब जैसे शायर आजम को भी पैदा किया। जिसने अपनी शायरी से पूरे हिन्दुस्तान को हिला दिया। जब कूच इंडिया का मूवमेन्ट 8 अगस्त, 1942 को हुआ था, तो उस समय मैं बरेली कालेज के अन्दर पढ़ता था। अंग्रेज सरकार ने जोश मलिहाबादी की उस नज्म को, जिसका हवाला अभी लोगों ने दिया--ईस्ट इंडिया कम्पनी के फर्जन्दों के नाम, उसको बन्द कर दिया था और उस नज्म को सरे आम पढ़ना एक जुर्म था मुझे याद है कि बरेली कालेज के अन्दर ही उस नज्म को जब कुछ लड़कों ने पढ़ा तो वे पकड़े गये थे जोश मलिहाबादी की शायरी में बड़ा ही जोश था और उनकी शायरी ने मुल्क की आजादी में जो रोल अदा किया वह बेमिसाल है। उसके साथ ही साथ यह उनकी खुसूसियत थी और वे अपनी अमान के बहुत बड़े ख्वाहिशमन्द थे और बहुत बड़े प्रचारक भी थे। उन्होंने अपने एक शेर में कहा है कि--

"जिसको तुम कहते हो हिटलर, भेड़िया है भेड़िया,
भेड़िए को मार दो गोया पए अम्नो बका।"

उसी नज्म के अन्दर आजादी से मुताल्लिक सारी ही बातों को कहा। उसमें उन्होंने इस मुल्क की आजादी की पहली लड़ाई जो 1857 में हुई और जिसको गदर भी कहते हैं, जो अंग्रजों के खिलाफ पहली लड़ाई लड़ी गयी थी। उन्होंने उस समय एक शेर पढ़ा था, जो इस प्रकार से है--

तीसरे फाके से गिरते हुए को थामने,
किनके सर लाए थे तुम शाहे जफर के सामने।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन--]

यह भी उन्होंने उसी नज्म में कहा था लेकिन इस मुल्क की बदनसीबी है कि इस शायर के जिस्में खाकी को हम हिन्दुस्तान की जमीन में दफन नहीं कर सके । वक्त के हालात ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी । हमारे लिए फक्र की बात होती अगर उनका जिस्मे खाकी, हमारी जमीन में दफन हो जाता । उन्होंने अपने शेर में अपने पूरे हालात की, हिन्दुस्तान से मुहब्बत की और बाहर जाकर जो उन्होंने किया, कैसे-कैसे किया, जिक्र किया है । उसको मैं आपको सुनाना चाहता हू । उन्होंने उसमें कहा कि--

"अपनी उस आखरी जिन्दगी का हाल क्या बताऊ,
जान की अमां पाऊं तो जुबां हिलाऊं,
अल्लाह अल्लाह यह हवा की सासाजगारी,
यह करांची की इल्म बेजारी,
ये पुरानी यादों की कटारियां,
यह नये माहौल की आरियां,
ये मौलूद व मंशा से दूरी,
यु गुरबत की रंजूरी,
सीने में खटकती फांसें,
यह हालात की उखड़ी सासें,
ये दिल पर चलते बान,
यह सर पर कड़कती बान,
ये अखबारों की रेशा दवानियां,
ये हुकूमत की सरे गिरानियां,
ये दोस्तों का फुकदान,
ये माशी बोहरान,
और अब चेहारये जिन्दगी पर,
गर्द गुब्बार का गाजा,
और यह जोश पर,
इज्जते नफस का जनाजा ।"

इन लाइनों के अन्दर हिन्दुस्तान से अपना प्रेम और पाकिस्तान के अन्दर उनकी क्या हालत हुई, सब चीजों का बयान किया है । अब तो हमारे देश और मलिहाबाद की खुश-नसीबी यह है कि उनकी बहिन शौकत जहां हमारे यहां पर मौजूद हैं । जोश मलिहाबादी की, इन्सान की शक्ल में, हम बराबर कद्र और कीमत करते रहे हैं । उन्नत मकीं, पद्मविभूषण शब्बीर हसन खां के प्रति हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे जजबात को उनके दुखित परिवार तक पहुंचाने की कृपा करेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता सदन और अन्य माननीय नेताओं ने जो अपने-अपने विचार स्वर्गीय जोश मलिहाबादी के सम्बन्ध में व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं । जोश एक ऐसे शायर थे, जिन्होंने देश की आजादी के लिये और इन्कलाब के लिये जो विचार उनके मन में आये थे, उनको स्वतन्त्रतापूर्वक बिना किसी खौफ के व्यक्त किये और उनका असर भारत और दूसरे देशों पर भी पड़ा । गरीबी, आजादी, विचारों की स्वतन्त्रता, हर तरफ उनकी निगाह गयी और उस पर उनकी कलम चली और बड़े ही जोरदार ढंग से वे लिखते थे इसीलिये उनको शायर-आजम और शायर इन्कलाब कहा गया । उनके बारे में जो कुछ भी कहा गया वह उससे अधिक थे । ऐसे आदमी के उठ जाने से सभी को महान दुख होना स्वाभाविक है । मैं अपनी और आप सब की भावनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचा दूंगा । अब हम दो मिनट मौन खड़ होकर दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिये प्रार्थना करेंगे ।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए ।)

निर्वाचन क्षेत्र बिल्हौर, जिला कानपुर के विकास खण्ड ककवन तथा रसूलाबाद के कतिपय ग्रामों म ओलावृष्टि से क्षति तथा राहत की मांग क सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

(समय 12 बजकर 47 मिनट)

श्री अध्यक्ष--

नियम 301 के अन्तर्गत 17 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 5 को स्वीकार किया गया है।

*श्री मोतीलाल देहलवी--

मान्यवर, मैं आप के माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान निम्न दुखद घटना की ओर आकृष्ट कर शासन से त्वरित कार्यवाही का आग्रह करता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र बिल्हौर, जनपद कानपुर, विकास खण्ड रसूलाबाद से सम्बन्धित गांव मित्रसेनपुर कहिजरी व गांव माल का पुरवा व मकरन्दपुर कहिजरी तथा गांव असालतगंज आदि अनेकों गांवों में फरवरी, 1982 के दूसरे व प्रथम सप्ताह में घनघोर ओला गिरे हैं। इसी प्रकार विकास खंड बिल्हौर व विकास खण्ड ककवन से सम्बन्धित कई गांवों में भी ओलों की बरसात हुई है। ओलों की घनघोर वर्षा से गेहूं लाही व आलू तथा खेतों में खड़ी फसलें पूर्णत: नष्ट हो गई हैं। फसलों की इस बरबादी से हजारों किसानों के घरों पर मातम छाया हुआ है और वह अपने भविष्य की चिन्ताग्नि में झुलस रहे हैं। ऐसी दुखद अवस्था में शासन को तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं शासन से सानुरोध मांग कर रहा हूं कि जिन किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं उनका लगान माफ करते हुए अन्य सभी वसूली स्थगित की जाये तथा आने वाली खरीफ की फसल तक ऐसी व्यवस्था की जाय कि कोई किसान भूख से न मरने पाये। मैं यह भी आशा करूंगा कि पीड़ित किसानों की सान्त्वना केलिये इस प्रकार की घोषणा भी अविलम्ब कर दी जायेगी।

लैंसडाउन (गढ़वाल) में हरिजनों पर हुए अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने वाले भूतपुव सनिक संगठन के पदाधिकारियों पर पुलिस अत्याचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मुख्तार अनीस--

महोदय, इस समय सम्पूर्ण गढ़वाल क्षेत्र के भूतपूर्व सैनिकों में व्याप्त असन्तोष की ओर मैं शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। लैंस डाऊन के एक सम्पन्न व्यक्ति ने कोटद्वारकी पुलिस से मिलकर हरिजनों की भूमि परबलात अधिकार करलिया हरिजनों का रास्ता रोक दिया। जब इस अत्याचार के विरुद्ध हरिजनों ने आवाज उठाई तो उनको बुरी तरह मारा पीटा गया। कई गम्भीर रूप से घायल हो गये। उनका सामान लूट लिया गया भूतपूर्व सैनिक कप्टन बलवन्त सिंह तथा अन्य सैनिक संगठन के पदाधिकारी हरिजनों के साथ जब इस घटना की रपट लिखाने कोटद्वार थाने गये तो उनको अकारण ही बन्द कर दिया गया तथा लैंस डाऊन जेल में भेज दिया गया। इस घटना पर रोष व्यक्त करने के लिये जब भूतपूर्व सैनिक संगठन के पदाधिकारी जिलाधिकारी, पौड़ी के मिले तो उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। इस समय इस घटना को लेकर भूतपूर्व सैनिक संगठन के लोगों में रोष व्याप्त है ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि यदि इस सारे मामले को शासन ने सावधानीपूर्वक हल नहीं किया तो पुलिस प्रशासन एवं भूतपूर्व सैनिक संगठन के लोगों के मध्य कोई भी दुर्भाग्य पूर्ण घटना हो सकती है। शासन को तुरन्त हस्तक्षेप करना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देवरिया जिले के लार थानान्तर्गत ग्राम सतोतर में डकैतों द्वारा लूटपाट तथा हत्या व पुलिस निष्क्रियता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरिवंश सहाय--

मान्यवर, देवरिया जिले के लार थानान्तर्गत ग्राम सतोतर में गत 20-21 फरवरी, 1982 की रात में एक साथ तीन घरों में भीषण डकैती पड़ी जिसमें लगभग 5 लाख रुपये की लूट हुई। डाकुओं ने जतन, श्री कृष्ण और सरजू प्रसाद के घर टूटे बर्तन और फटे कपड़े छोड़कर सब कुछ लूट लिया तथा परिवार और गांव वालों को आतंकित करने के लिये धुआंधार डाकुओं ने गोलियां चलाई। सरजू प्रसाद अध्यापक को डाकू उठाकर श्री कृष्ण के आंगन में ले गये जहां उन्हें गोली मार दी जिससे तत्काल उनकी मृत्यु हो गयी। मुन्नी, पारस, राम नाथ, श्री कृष्ण तथा कुमारी राधिका गोलियों से बुरी तरह घायल होकर आज भी गम्भीर अवस्था में पड़े हैं। अब तक न तो किसी की गिरफ्तारी हुई और न इस मामले की छानबीन में पुलिस की सक्रियता ही दिखाई पड़ रही है।

इसी प्रकार कुछ दिन पूर्व इसी थाने के सरकरा गांव में गौरी शंकर के घर 50 हजार और काशी सिंह के घर 1 लाख की डकैती हुई। रपट के बाद भी पुलिस द्वारा कोई धर पकड़ नहीं हुई। परिणामस्वरूप निष्क्रिय और अकर्मण्य पुलिस की सह पाकर डाकू पूरे थाना क्षेत्र में आतंक मचाये हुए हैं तथा जनजीवन असुरक्षित हो गया है।

अस्तु उक्त लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय गृह मन्त्री से कार्यवाही की मांग करते हैं।

मथुरा नगर में व्याप्त गन्दगी व यमुना का पानी दूषित हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, मैं आपके एवं माननीय सदन के संज्ञान में एक अति लोक महत्व की घटना की जानकारी देना चाहता हूं। आजकल नगर मथुरा में घोर गन्दगी व्याप्त है। भरतपुर दरवाजा मनोहर पुरा, डिगगैट, बद्रीनगर, ब्रजनगर, बहादुरपुरा, झींगुरपुरा, नया नगला, सदर बाजार अन्तपाड़ा विश्रामघाट, जनरलगंज, आदि बस्तियों में गन्दगियों के ढेर लगे हैं। इन बस्तियों में बहने वाले नाले एवं नालियां गन्दगी से भरे पड़े हैं। इस कारण गन्दा पानी सड़कों के ऊपर बहता है। सड़कें भी नगर के अन्दर टूट गयी हैं, जिससे रिक्शा चालकों, तांगे वालों एवं अन्य सवारियों को भारी परेशानी होती है। यमुना नदी में यह गन्दे नाले, नालियां गन्दगी को पहुंचाते रहते हैं। इस कारण यमुना जल भारी दूषित हो गया है। जमुना नदी में साड़ी कारखाने वाले साड़ियों को बड़ी संख्या में धुलवाते हैं जिससे पवित्र जमुना जल में भारी मात्रा में केमिकल मिल जाते हैं। बाहर से आने वाले धार्मिक यात्री एवं नगर निवासी जो कि प्रातः काल ही यमुना स्नान करते हैं व आचमन लेते हैं उनके लिये यह जल हानिकारक हो गया है।

घोर गन्दगी के कारण जमुना जल का आचमन लेने में धार्मिक लोग हिचकिचाते हैं। इस वर्ष इन्हीं कारणों से बाहर से आने वाले धार्मिक यात्रियों की संख्या बहुत कम हो गयी है। संख्या कम होने के कारण वहां के व्यवसायियों एवं पण्डा, पुजारियों में भारी चिन्ता व्याप्त है।

मैं इस सम्मानित सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस धार्मिक नगरी में गन्दगी के साम्राज्य को खत्म करें, टूटी हुई सड़कों को सुधारें तथा गन्दगी के कारण फैली हुई बीमारियों के लिये उचित दवाइयों एवं अस्पतालों की व्यवस्था शीघ्र करायें।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सल्फर प्लान्ट पर गन्ने का भाव गिर जाने से किसानों के समक्ष कठिनाई क सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

**श्री अकबर हुसैन---

मान्यवर, इस वर्ष प्रदेश में गन्ने का उत्पादन पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक है। समूचे प्रदेश

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने का अधिकतर भाग गुड़, कोल्हू तथा खण्डसारी में खपाया जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सल्फ़र प्लान्ट पर गन्ने का भाव 16 रुपये से लेकर 10 रुपये कुन्तल गिर गया है। जनपद बरेली, रामपुर और पीलीभीत में जहां खाण्डसारी और गुड़ का उद्योग व्यापक रूप से होता है, वहां तो गन्ने का मूल्य 10 रुपये कुन्तल तक आ गया है। फ़ैक्टरियों ने गन्ना क्रय केन्द्र पर सप्ताह में तीन-तीन दिन तोल बन्द करने की प्रधारी जारी कर रखी है। अभी खेतों में लगभग 60 प्रतिशत गन्ना खड़ा है और भाव के गिर जाने के कारण और फ़ैक्टरियों के क्रय केन्द्र बन्द कर दिये जाने के कारण समूचे प्रदेश में विशेष रूपसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना कृषकों में घोर अविश्वास, असंतोष उत्पन्न हो गया है गन्ना कृषकों की आर्थिक स्थिति इस कदर खराब हो गयी है कि अपने रोजाना के खर्चे के लिये खड़ी फ़सलों पर इधर-उधर से रुपया कर्ज ले रहे हैं। सम्भावना यह है कि गन्ने का भाव 10 रुपये प्रति कुन्तल से और नीचे गिर जायेगा। इस वर्ष गन्ने की उत्पादन लागत चुंकि बढ़ी है जिसके कारण किसानों की आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, जिसके कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान बेहद परेशान और चिंतित है।

अतः मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय की ओर नियम 301 के अन्तर्गत माननीय सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री सन्त बक्स रावत--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। 301 के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

नियम 301 के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है आप बैठें।

श्री सन्त बक्स रावत--

मान्यवर, हम सूचना देते हैं उसका माननीय मंत्री उत्तर नहीं दे रहे हैं। मान्यवर, हमारा आपने 3 तारीख को स्वीकार किया था उसका उत्तर आज तक नहीं मिला। मान्यवर, आपकी पीठ से निर्देश के बाद भी उत्तर नहीं मिल रहा है।

श्री गोरे लाल शाक्य--

मान्यवर, मेरा एक विशेषाधिकार का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें उसका 14वां नम्बर है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1982 को सदन के पटल पर रखे जाने पर आपत्ति

(माननीय शिक्षा मन्त्री को अध्यादेश प्रस्तुत किये जाने के लिये पुकारे जाने पर)

(समय 12 बजकर 57 मिनट)

***श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---**

मान्यवर, मेरी एक इस सम्बन्ध में वैधानिक आपत्ति है। मान्यवर, जो अध्यादेश रखा जा रहा है मुझे एवः आपत्ति आपके माध्यम से प्रस्तुत करनी है। हमारा जो संविधान है उसमें राज्यपाल की जो विधायनी शक्ति है, शासन को नियम बनाने के लिये जो सलाह देने का अधिकार दिया गया है, उसके तहत अध्यादेश निर्गत किये जाते हैं। जिस समय कोई अध्यादेश निर्गत किया जाता है, उसको आगामी सत्र में या अधिवेशन के प्रथम उपवेशन में प्रस्तुत किया जायेगा और उसकी कालावधि 6 माह की मानी गई है जो अध्यादेश आ रहे हैं 6-7। मान्यवर,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–]

6 माह के लिये प्रख्यापित किया गया, विधान मन्डल की बैठकें होती रहीं लेकिन उसको अधिनियमित नहीं किया जा सका और मान्यवर, पहली बार विधान परिषद् का सत्रावसान करके फ़िर अध्यादेश निर्गत किया गया और जो अवधि 6 माह मानी गई है वह एक वर्ष हो जायेगी। इसके सम्बन्ध में आपका ध्यान मान्यवर, इस विधान सभा की संसदीय शोध एवं सन्दर्भ शाखा समिति की ओर दिलाना चाहूंगा इस समय मेरे पास पुस्तक तो नहीं है। समिति ने अध्यादेश जारी करने के सम्बन्ध में यह रिपोर्ट प्रकाशित किया है। उसमें अन्तिम 2–3 खण्ड जो है उसमें यह है कि अध्यादेश अपरिहार्य परिस्थिति में निर्गत किया जायेगा। मान्यवर, एक सदन का सत्रावसान करके अध्यादेश जारी कर दिया गया। 90 दिन का प्राविधान है यथा समय सदन की बैठक नहीं होगी तो अधिनियमित नहीं हो पायेंगे। मान्यवर, दुबारा अध्यादेश जारी कर दिया गया। उसकी कालावधि 6 माह के बजाय अब एक वर्ष की जा रही है। मान्यवर, अध्यादेश को प्रख्यापित करके सदन की प्रथम बैठक में उसको अधिनियमित किया जाता है। मान्यवर, इस सरकार के अप्रजातांत्रिक लोकतंत्र विरोधी रवैये की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इसलिये मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि सरकार को आप निर्देश दें और औचित्य के दृष्टिकोण से इनके इस अधिकार पर आप अंकुश लगाने की कृपा करें।

*श्री राम स्वरूप वर्मा––

मान्यवर, इस सदन की प्रथा रही है और शायद यह पहला अवसर है जब यह अध्यादेश दुबारा प्रख्यापित किया गया है।अध्यादेश अपरिहार्य स्थिति में आते हैं और जब कानून जरूरी हों तभी आते हैं। अब अध्यादेश प्रख्यापित कर दिये गये हैं, तो सरकार इतनी सचेत नहीं थी कि विधेयक लाकर पास कराती, नियम है कि अध्यादेश प्रख्यापित करने की बाद सदन के बैठने के पहले दिन अध्यादेश लाकर पास करा लें। इसलियें सरकार ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है। और नई प्रथा जारी कर दिया, इसलिये दुबारा अध्यादेश प्रख्यापित करने का अधिकार यदि आप दे देंगे तो यह कांस्टीट्यूशन का दूसरा अर्थ लगा लेंगे कि अध्यादेश की उम्र 6–6 महीने करके साल भर हो गयी। दूसरी मान्यवर, परेशानी यह है कि अध्यादेश लागू करने के बाद जो कार्यवाही हो गयी है वह निरस्त मानी जायेंगी या उनका क्या होगा, चूंकि अध्यादेश पास नहीं कराया गया और दुबारा उसको प्रख्यापित किया गया। इसलिये अध्यादेश के तहत जो कार्य हो गया वह विफ़ल हो गया चूंकि यहां अनुमोदित नहीं हुआ। इसलिये दो परिस्थितियां ऐसी हैं जिनकी वजह से अध्यादेश प्रख्यापित करने की आप इजाजत न दें।

*श्री रियासत हुसैन––

श्रीमन्, बड़े दुख की बात है कि आज 10 अध्यादेश फ़िर सदन के अन्दर रख दिये गये हैं। तो कांस्टीट्यूशन के प्रोवीजन जो हैं वह इक्स्ट्रा आर्डिनरी सरकमस्टांसेज में अध्यादेश के जरिये किसी काम को चलाने के लिये हैं कि सेशन न हो तो अध्यादेश जारी कर काम चला सकते हैं। लेकिन रूल में प्रोवीजन होने के बावजूद न तो 3 सत्र बुलाये जाते हैं और न 90 दिन हाउस की सिटिंग ही होती है जिससे अध्यादेश के जरिये काम चलाते हैं और उसमें 6 महीने का समय होता है या हाऊस शुरू हो जाय तो डेढ़ महीने का इक्स्टेंशन। इसलिये स्पष्ट है कि 6 महीने का समय होता है तो उसके अन्दर में जबकि सरकार में पूरी शक्ति निहित है मेजारिटी की वजह से, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि अधिनियम और ऐक्ट में परिवर्तन करदे लेकिन सरकार वह नहीं कर पायी, इसलिये डेढ़ महीने का इक्स्टेंशन, फ़िर डेढ़ महीने का इक्स्टेंशन, फ़िर डेढ़ महीने का इक्स्टेंशन, फ़िर डेढ़ महीने का इक्स्टेंशन मांगेगी। तो इन अध्यादेशों का जो तमाशा बनाया जा रहा है और पावर का मिसयूज किया जा रहा है, वह प्रजातन्त्र में गलत प्रथा है और इस प्रकार इसकी लिमिट नहीं रहेगी। मान्यवर, मुझे उस दिन ताज्जुब हुआ कि अध्यादेश को रखने के लिये, आपने अपनी नालायकी को छिपाने के लिये काउन्सिल को प्रोरोग कर दिया और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

फिर तुरन्त उसको बुला लिया गया। सिर्फ इन अध्यादेशों को लागू करने के लिये यह किया गया। इसलिये इस पर मैं व्यवस्था चाहूंगा कि इन अध्यादेशों को लागू करने में जो 6 महीने में ऐक्ट नहीं बना सके कहां तक वह सही रहेंगे। इसलिये सारी जो कार्यवाही की गयी है उनका दोषी कौन होगा। इस पर मैं व्यवस्था चाहता हूं और अध्यादेशों को रखने की आप आज्ञा न दें।

श्री फखरे आलम—

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब ऐसा मालूम होने लगा कि यह सरकार आर्डिनेंस पर ही चलना चाहती है। मैं व्यवस्था इस बात पर चाहता हूं कि जब असेंबली चल रही है तो फिर आर्डिनेंस का एक्सटेंशन क्यों किया जा रहा है। किसी कांस्टीट्यूशन में देख लीजिये किसी जगह पर कोई मिसाल नहीं मिलेगी, माननीय संसदीय मंत्री जी बता दें कहीं ऐसा हुआ हो कि हाउस चल रहा है और आर्डिनेंस का एक्सटेंशन चाहा जाय। मान्यवर, यह जम्हूरियत का कत्लेआम करने की कोशिश की जा रही है। आप हमारी संरक्षा करें। आप जम्हूरियत को कत्ल होने से बचायें। जो हमारे हुकूक हैं, फरायज हैं, मान्यवर, आप हमारे अध्यक्ष हैं, आप हमारे स्पीकर हैं आपके होते हुए अगर यह होगा और आर्डिनेंस की मियाद बढ़ायी जायगी तो आप ऐसा न होने दें। मैं निवेदन करता हूं कि आप इसकी इजाजत न दें कि आर्डिनेंस का एक्सटेंशन करें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त, माननीय राम स्वरूप वर्मा, माननीय रियासत हुसैन, माननीय फखरे आलम साहब के विचारों को मैंने सुना जो उन्होंने मद संख्या–3 के सदन के पटल पर रखे जाने के पहले व्यक्त किये। मद संख्या–3 में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1982 को सदन के पटल पर रखने का प्रस्ताव है। मैं यह विश्वास करता हूं कि माननीय सदस्य इस संवैधानिक तथ्य से अवगत है कि जब दोनों में से एक भी सदन सत्र में न हो, उसका सत्रावसान हो चुका हो तो यह संवैधानिक अधिकार प्राप्त है कि अध्यादेश लाया जा सकता है। सत्रावसान करने का अधिकार राज्यपाल को अनुच्छेद 174 में है और अनुच्छेद 213 (1) में दिया हुआ है कि ऐसी अवस्था को छोड़कर जब दोनों सदन सत्र में हों, राज्यपाल का अगर समाधान हो जाय तो वह अध्यादेश की आज्ञा दे सकते हैं। उसके आगे अनुच्छेद (4) में दिया हुआ हैकि अगर वह समझें अर्थात् उनका समाधान हो गया है तो उनका निर्णय अंतिम होगा और उस पर कोई चुनौती नहीं होगी। सत्रावसान एक सदन का हुआ है, राज्यपाल ने अध्यादेश को स्वीकार कर लिया है,उनका समाधान हो गया है कि अध्यादेश जारी करना चाहिये और वह जारी हो गया है जो कि सदन के पटल पर रखना है और वह सदन के पटल पर रखा जा रहा है। इसमें कोई बात नहीं है जो हमारे नियमों या संविधान के प्रतिकूल हो। आपने एक बात की तरफ ध्यान दिलाया कि दोनों सदन चल रहे हों और एक सदन का सत्रावसान करके अध्यादेश लाया जाय तो इसके औचित्य के संबंध में,किस कारण से ऐसा हुआ, कौन सी परिस्थितियों में ऐसा किया गया, इसकी जानकारी मुझको नहीं है इसलिये मैं इसके औचित्य के संबंध में अपना कोई विचार नहीं व्यक्त कर सकता। जिन लोगों ने ऐसा किया है, उन्होंने उचित समझा और ऐसा किया। मैं उन तथ्यों को नहीं जानता हूं कि यह क्यों किया गया है। इसलिये मैं नहीं कह सकता कि यह उचित किया गया या अनुचित किया गया है। सत्रावसान के बाद अध्यादेश लाया जा सकता है और इसकी मैं आज्ञा देता हूं कि सदन के पटल पर रखें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है, मैं राज्यपाल के अधिकार को भी चुनौती नहीं दे रहा हूं, लेकिन राज्यपाल का कृत्य शासन की सिफारिश पर हुआ है और शासन की सिफारिश का कोई औचित्य नहीं है। यह प्रजातंत्र पर कुठाराघात है, लोकतंत्र की हत्या है। इसलिये **मैं अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं।**

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

(श्री विद्या सागर नौटियाल ने भी अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया ।)

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, यह गलत है, या तो सरकार आपको लिखकर भेजती कि यह-यह सकंम्सटांसेज थे, जिसके कारण यह अध्यादेश लाना पड़ा । यह जबर्दस्ती की ठूंसमठास जो होती है, उसके विरोध में जनता पार्टी सदन का त्याग करती है ।

(श्री रियासत हुसैन अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1982†

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1982 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

(श्री राम स्वरूप वर्मा सदन त्याग कर चले गये)

(श्री फखरे अलम भी सदन त्याग कर चले गये)

(श्री खैरूल बशर भी सदन त्याग कर चले गये)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) संशोधन, अध्यादेश, 1982†

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1982 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1982†

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, (संशोधन) अध्यादेश, 1982 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1982†

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री बच्चा पाठक)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1982 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1982†

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1982 को सदन के पटल पर रखत ा हूं ।

उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1982†

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1982 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

† छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1982†

राजस्व मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1982 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एन्ड एसोसियेटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) अध्यादेश, 1982†

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री हरि सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से किंग जार्ज मेडिलक कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसिऐटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) अध्यादेश, 1982 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अध्यादेश, 1982†

गृह मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अध्यादेश, 1982 को सदन के पटल पर रखती हूं ।

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अध्यादेश, 1982†

उद्योग मंत्री (श्री नियाज हसन खां)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अध्यादेश, 1982 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

जिलाधिकारी, हमीरपुर के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

[समय 1 बजकर 12 मिनट]

श्री अध्यक्ष--

अब मैं सदन के समक्ष विशेषाधिकार के सम्बन्ध में उठाये गये एक प्रश्न पर अपना रखना चाहता हूं ।

श्री विद्यासागर नौटियाल, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 1 फरवरी, 1982 को जिलाधिकारी, हमीरपुर, श्री सुरेन्द्र पाल गौड़ के विरुद्ध सदन के विशेषाधिकार भंग और सदन के अवमान के प्रश्न की सूचना दी है। माननीय सदस्य की शिकायत यह है कि उक्त जिलाधिकारी ने एक स्पष्टीकरण प्रश्न के उत्तर में यह कहा था कि--"जिलाधिकारी के कार्यों की समीक्षा का अधिकार विधायकों अथवा किसी राजनैतिक दलों को नहींहै, केवल राज्य सरकार ही उनके कार्यों की समीक्षा कर सकती है । इसके प्रमाण स्वरूप लखनऊ से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र "अमृत प्रभात" के दिनांक 1 फरवरी, 1982 के संस्करण की एक प्रति अपनी सूचना के साथसंलग्न की है ।

मैंने माननीय मुख्यमंत्री से इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी थी। माननीय राज्य मंत्री श्री राजेन्द्र त्रिपाठी ने अपने पत्र दिनांक 9 फरवरी, 1982 द्वारा मुझे सूचित किया है कि प्रश्नगत मामले में जिलाधिकारी, हमीरपुर से पूर्ण स्थिति तथा आयुक्त, झांसी मण्डल से आख्या मांगी गयी थी। माननीय राज्य मंत्री ने आयुक्त, झांसी मण्डल से प्राप्त आख्या एवं सम्बन्धित जिलाधिकारी श्री एस0पी0गौड़ से प्राप्त 3-2-1982 पत्र की प्रतिलिपि भी अपने पत्र के साथ संलग्न किया है। जिलाधिकारी, श्री गौड़ के अनुसार सन्दर्भित समाचार के प्रथम प्रस्तर, जिसमें उक्त अंश है जिसपर आपत्तिकी गयी है, मिथ्या है और उन्होंने समाचार

---

†छापा नहीं गया ।

[श्री अध्यक्ष —]

के खण्डन हेतु दिनांक 2-2-1982 को उक्त समाचार पत्र के सम्पादक को पत्र भेज दिया था जिसकी प्रति उन्होंने अपने पत्र के साथ भेजी है । आयुक्त, झांसी मण्डल ने अपनी आख्या में जिलाधिकारी द्वारा बतायी गयी स्थिति की पुष्टि की है ।

अध्यक्ष पीठ द्वारा समय-समय पर यह व्यवस्था दी जा चुकी है कि केवल समाचार की सूचना के आधार पर विशेषाधिकार के प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है माननाय सदस्य श्री नौटियाल ने उक्त समाचार पत्र के अतिरिक्त ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है जिसमें उक्त जिलाधिकारी के समाचार पत्र में प्रकाशित कथन की पुष्टि होती है अत: मैं उपर्युक्त कारणों से इसे विशेषाधिकार अथवा सदन के अवमान के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री गोरे लाल शाक्य द्वारा श्री अध्यक्ष को लिखे गये पत्र में उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना को लिये जाने की मांग

श्री गोरे लाल शाक्य ——

मान्यवर, जो मैंने विशेषाधिकार का नोटिस दिया है, उसको पढ़ कर मुझे सुनाने की आज्ञा दे दीजिये ।

श्री अध्यक्ष——

आपने विशेषाधिकार के संबंध में एक पत्र दिया है और जिस पर मैं विचार कर रहा था और शासन से मैंने इसका उत्तर भी मंगा लिया है । शासन से सारी सामग्री आ गयी है, इसके बाद आपने उससे संबंधित निर्णयों के उद्धरण दिये है । मैं उन्हें व शासनसे प्राप्त जानकारी को निर्णय लेने के पहले पढ़ना चाहता हूं ।उसको पढ़ने केबाद ही विचार करके मैं अपना निर्णय दूंगा, इसलिये आप अभी उसकी प्रतीक्षा करें ।

श्री मुख्तार अनीस——

मान्यवर, इनके खिलाफ वारंट है और इसके बाद भी ये यहां पर सदन में कैसे बैठे हुए हैं ?

श्री मोहन सिंह——

मान्यवर, यह तो सामान्य प्रथा है, जो विधायक है उनके आचरण की मिसाल आती है। जब उनके नाम वारंट है तो आप उनको यहां आने से रोक तो सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष——

उनका पत्र आया है, उसमें क्या है, वास्तव में वह विशेषाधिकार का प्रश्न है या है तो कैसे है, इसको देखने के बाद ही मैं अपना निर्णय दूंगा ।

श्री मोहन सिंह——

मान्यवर, आपको उन्होंने अपनी तरह का बयान दिया था ।

श्री अध्यक्ष——

इस सदन में विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठा, उसके संबंध में एक चिट्ठी मेरे पास आयी है । उसको मैंने पढ़ा और उचित कार्यवाही की । उसके बाद इन्होंने भी उसके संबंध में कुछ बातें कहने का प्रयास किया ऐसे ही उनकी चिट्ठी है । जब यहां उत्तर देना होगा तो मैं देखूंगा कि यहां उसका उत्तर देना आवश्यक है हो सकता है कि उसके संबंध में यहां उत्तर देना आवश्यक न हो, सिर्फ उनको ही उसका उत्तर आवश्यक हो । यदि ऐसा हुआ तो मैं आपको सुन कर ही अपना निर्णय दूंगा ।

श्री रियासत हुसैन——

श्रीमन्, जो विषय उठा है उसमें कुछ समय लगेगा । ठीक है, आप अच्छी तरह से उसे स्टडी कर लें । परन्तु क्या आपने इस दौरान में माननीय सदस्य इटावा की सुरक्षा के लिये कोई निदेश दे दिये हैं या कोई उनके लिये प्रबन्ध कर दिया है ?

श्री अध्यक्ष--

जो भी आवश्यक कार्यवाही होनी चाहिये, वह होगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मुझे यह बता दें कि क्या उनके खिलाफ कोई वारंट है या नहीं ?

श्री हरदेव--

यह प्रिविलेज का मामला है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, क्या इस बात की आपको जानकारी है कि माननीय सदस्य इटावा जिनके नाम वारंट भी है परन्तु वे खुले रूप में घूम रहे हैं और यहां सदन की कार्यवाही में भी भाग ले रहे हैं इसलिये कि वे सत्तारूढ़ दल के सदस्य है, इसलिये बचे हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष--

किसलिये वे गिरफ्तार हो रहे हैं, मैं नहीं जानता । मेरे पास जो सूचना आयी है उसमें लिखा है कि उनके नाम वारंट है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

हम सदस्यों का जो प्रीविलेज है उसे हमें इस्तेमाल करना है । हम इस सदन के संरक्षण के लिये आपसे कहते हैं कि जब आपको जानकारी है कि उनके नाम वारंट है तो उन्होंने यहां आनें के लिये अनुमति प्राप्त की है ?

(व्यवधान)

श्रीमन्, संविधान में विधान मण्डल और जुडीशियरी, दोनों अलग-अलग हैं, हम एक दूसरे पर हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि वारंट से संरक्षण प्राप्त करने के लिए वे यहां आ कर बैठते हैं ? और सत्तारूढ़ दल के विधायक होने का लाभ उठा रहे हैं और गिरफ्तारी से बचे हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष --

एक सूचना मुझे को प्राप्त हुई । उसके अनुसार विशेषाधिकार की सूचना है । क्या स्थिति है इस संबंध में सरकार से जानकारी चाही और उसक संबंध में जो सूचना मिली उसमें मुकदमा चलने की बात है· वारंट की बात है । उसमें तथ्य है या नहीं है इन सब बातों पर मैं विचार कर निर्णय लूंगा । उन पर वारंट है· वारंट निकाला है वह उनको पकड़ेंगे या नहीं यह उनका कर्त्तव्य है । चुने हुए सदस्य सदन में आते हैं । कोई भी चुना हुआ सदस्य आता है तो न अनुमति लेनें की आवश्यकता है या न देने की जहां तक कार्यवाही की बात है तो. . . .

श्री हर देव--

मान्यवर विशेषाधिकार समिति को दिया जाय. . .

(व्यवधान)

श्री गोरे लाल शाक्य--

जो मेरे साथ हुआ है . मेरे खिलाफ वारंट है. फर्जी सी0आई0 डी0 रिपोर्ट दाखिल की गयी, मेरे साथ मार पीट की है, धक्का मुक्की की है उनके स्टाफ ने और एस0डी0एम0 ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है इस सदन वी सदस्य क संबंध में, विधायक की यहीं औकात है। धक्का मुक्की के बाद यह भी कहा कि अब विधायक की औकात समझ में आ गयी, विधान सभा भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है । यह माननीय सदन व सदस्य, का अपमान है, यह रिफ्लेक्शन अपान दि

[श्री गोरे लाल शाक्य–]
हाउस है रिफ्लेक्शन अपान दि मेम्बर है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, मैंनें एक-एक रूलिंग दी है, 10,10 मामलें में, जो पब्लिक इमेज है, सदस्य की वह गिरी है, पब्लिक के अन्दर जो हमारी ड्यूटीज है, निर्वाचन क्षेत्र की सेवा करना सदस्य का संवैधानिक कर्त्तव्य है, उसमें एस0डी0एम0 भरथना और एस0पी0 इटावा ने अवरोध पैदा किया है ।

(व्यवधान)

एक रूलिंग आन्ध्र प्रदेश की है, दी है हमने, जब श्री एन0 संजीवारेड्डी चीफ मिनिस्टर थे, झगड़ा या अपमान चाहे सदन के अन्दर हो या सदन के बाहर, दोनों ही प्रिविलेज में कहें गये हैं । हमारी बेसिस है, एफ0आई0आर0, ऊपर मुख्य मंत्री जी को तार दिया गया 3–12–81 को, जो मेरा दौरा लगा हुआ था सरकारी मेडीकल रिपोर्ट तथा माननीय अध्यक्ष को विशेषाधिकार का नोटिस ।

श्री अध्यक्ष––
आप बैठ जायं । यह तो आप सब दे चुके हैं....

श्री गोरे लाल शाक्य––
इस को प्रिविलेज कमेटी को सौप दिया जाय और एस0डी0एम0 को प्रताड़ित किया जायें

(अत्यधिक शोर)

श्री अध्यक्ष––
माननीय कैलाश टण्डन, बैठ जायं ।

(शोर)

(कई सदस्य एक साथ खड़े हो कर बोलने लगे)

श्री धर्म सिंह––
जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा है, हमेशा से, 1952 से जानता हूं, कोई भी माननीय सदस्य कोई बात कहते हैं, जो उन्होंने वाक्य रखा है, जो वालया बने, इस तरह से किया गया है, यह हमेशा से इस सदन में कायदा रहा है कि उस पर फौरन अध्यक्ष महोदय और सरकार को नोटिस लेना चाहिये और सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए । इसमें विलम्ब से महत्ता समाप्त होती है । जो प्रतिनिधे चुन कर आते हैं उनके अधिकारों पर आघात होता है इसलिए मेरा निवेदन है कि उनकी बातों को मानते हुए जल्द से जल्द कार्यवाही करने का कष्ट करें क्योंकि सदस्य का ही प्रश्न नहीं है, प्रश्न हाउस का भी है, इस प्रदेश की जनता की मर्यादा का प्रश्न है । इस तरह से अगर होने लगेगा तो यह ठीक नहीं होगा ।

श्री मोहन सिंह––
मान्यवर, मा0 सदस्य सत्ता पक्ष ने जो बात कही है वह गम्भीर है और आये दिन ऐसी घटनायें पूरे प्रदेश में हो रही है । इस सरकार ने दो आदेश अभी निकाले । एक तो इसी आदरणीय सदन में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि जो हरिजनों को आवंटित भूमि है वहां परगना धिकारी मा0विधायकों को लेकर जायें और इस बात का आश्वासन दे कि हरिजनों को आवंटित भूमि उन्हीं को मिलेगी । अभी एक नया आदेश भी इन्होंने जारी किया कि जो विकेन्द्रित हमारी नियोजन पद्धतिहै जिला प्रशासन विधायकों के प्रति जिम्मेदार होगा तो इन दोनों प्रशासकीय मामलों में विधायकों को भी अधिकार मिल गया यदि जिला प्रशासन अपमानजनक व्यवहार करता है तो निश्चित तौर पर उसका जो हमारे प्रति उत्तरदायित्व है उसकानिर्वहन नही हुआ और हमारा भी जो अधिकार है उसका विधान सभा के सदस्य के रूप में विस्तार हो गया है इसलिए अगर उस कार्य कोई बाधा जिला प्रशासन का आदमी पहुंचाता है तो मा0 सदस्य न शिकायत की है उसमें बल है और यह विशेषाधिकार समिति को दिया जाय और इस तरह की कार्यवाही पर अंकुश लगाया जाय ।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, मैं आपका ध्यान नियमावली के नियम 65 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें विशेषाधिकार के प्रश्न की ग्राह्यता की शर्तें दी हुई हैं (क) ऐसे प्रश्न की ग्राह्यता निम्न लिखित शर्तों से नियंत्रित होगी :--

(क) प्रश्न किसी हाल ही में घटित निश्चित विषय तक निर्बद्ध हों,

(2) सूचना के विषय से विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान का प्रश्न प्राग्दर्शन से विदित हो, तथा

(3) ऐसे मामलों में सदन का हस्तक्षेप आवश्यक हो।

यानी जो प्रश्न मा0 विधायक ने दिया है उसमें यह दो बातें बिल्कुल साफ हैं। एक तो विशिष्ट घटना से यह संबंधित है और दूसरे कोई इतना बड़ा प्रश्न नहीं है कि उस पर निर्णय न दिया जा सकें। जो उन्होंने शिकायत की है वह शिकायत उनके विधायी कार्यों में हस्तक्षेप को थी। मान्यवर मैं दोनों तरफ आपका ध्यान आकर्षित करते हुए यह कहना चाहता हूं कि प्रश्न विशेषाधिकारका प्रश्न बनता है, इसलिए कोई विकल्प नहीं रह जाता कि इसे विशेषाधिकार समिति के समक्ष न भेजा जाय। इसको विशेषाधिकार समिति के समक्ष तुरन्त भेज दिया जाय।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन् जब कि पार्लियामेंटरी एफेयर्स मिनिस्टर बैठे है, आप उनसे पूछ लीजिए यदि उन्हें कोई एतराज न हो तो इस मामले को विशेषाधिकार समिति भेज दीजिए। यह सारा मामला उन्हीं के दल का है इसलिए इसको विशेषाधिकार समिति को भेज दीजिये।

कुमारी अलमेलु अम्माल --

अध्यक्ष महोदय इसमें मैं समझती हूं पूरे सदन की मानहानि है यह प्रश्न एक सरकारी अफसर का है जिसे मा0 सदस्य की मानहानि हुई है। यह कठिनाई मुझे भी हो सकती है और दूसरे मा0सदस्य के साथ भी हो सकती है इसलिए यह विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है। इसको विशेषाधिकार समिति को दे देना चाहिये।

श्री श्याम लाल बाजपेयी---

मान्यवर, आज आपके सामने मा0 गोरेलाल शाक्य का प्रश्न विचाराधीन है। मान्यवर, यह सर्वविदित है कि इस सम्मानित सदन के सम्मानित विधायक और महात्मा गांधी की तस्वीर के नीचे आपकी सम्मानित पीठ। आज आपका विधायक इन सीमाओं के बाहर इतना अपमानित और अवहेलित दशाओं में चल रहा है जो सबसे बड़ी लज्जा और अपमान की बात है। मान्यवर मैं इसके औचित्य के प्रश्न पर दो शब्द कहना चाहता हूं। मान्यवर, इसमें सत्तारूढ़ पक्ष और विरोध पक्ष की कोई बात नहीं है। अभी कुछ समय पहले आपके सामने माननीय अकबर अहमद का केस आया था और वह आपके सामने अभी विचाराधीन है जिस पर आपका निर्णय होना है। श्री गोरेलाल शाक्य के साथ किन परिस्थितियों में क्या हुआ इससे मुझे कोई मतलब नहीं मगर इस तरह से इस सदन के विधायकों का अपमान एक एस0डी0एम द्वारा किया जाय यह सबसे बड़ी लज्जा की बात है। अगर यहां का मुख्य सचिव भी इस तरह का दुस्साहस करे और माननीय सदस्यों को अपमानित करे तो इस सदन के सभी माननीय सदस्य आपके नेतृत्व में बिगुल बजा कर खड़े हो जायेंगे। इसलिये आपसे निवेदन है कि आप अपनी उदारता का परिचय दें और अपने निर्णय द्वारा उस एस0डी0एम0 को इस कठघरे में खड़े होने का मौका दीजिये।

श्री प्रियदर्शी जेतली---

अध्यक्ष जी, शाक्य जी का प्रश्न आपके सामने विचाराधीन है, उसकी ग्राह्यता के सम्बन्ध में हमारे बहुत से साथियों ने अपन विचार प्रकट किय। प्रश्न इस बात का है कि शासन द्वारा

[प्रिय दर्शी जेतली --]

तमाम प्रोटोकोल, तमाम जी0ओ0 तमाम आदेश विधायकों के सम्मान के लिये; व्यवहार के लिये भेजे गये है, इस पर एक अच्छी खासी किताब भी बनायी गयी है, सदन में भी नियम है, इसके बावजूद भी जो घटनायें इस प्रकार की घट रही है वे घटनायें सदन के सदस्य होने के नाते, सदन का अवमान है । हम आपके संरक्षण में है और आपको यह अधिकार है कि सदन के सम्मानित सदस्यों के सम्मान की रक्षा करें । अगर सदन के सम्मानित सदस्य इस तरीके के अपमानित होते रहे, तो सत्ता पक्ष का भी कोई विधायक अपने को बाइज्जत महफूज नहीं समझता। इसलिये आप इसको स्वीकार करें और सम्बन्धित अधिकारी खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, जो घटना माननीय सदस्य के साथ घटी है, वह इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश में जनप्रतिनिधियों के साथनौकरशाही का क्या व्यवहार हो रहा है। जैसे आज माननीय मंत्री चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखता है, या चीफ सेक्रेटरी किसी सेक्रेटरी को पत्र लिखता है तो उसके आदेश का भी पालन नहीं होता है । यह इस बात का संकेत है कि माननीय मंत्रियों के आदेश का परिपालन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तक नहीं करते हैं । तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो घटना, जिस प्रकार कि श्री गोरे लाल जी ने बतलाया है, उससे यह बात साफ है कि विधायकों की रक्षा यह शासन नहीं कर पा रहा है और यह सरकार हमारे सम्मान की रक्षा नहीं कर सकेगी । अब यह उत्तरदायित्व आपके ऊपर आता है । इसलिये कि हमारे सुरक्षा, आपके संरक्षण में है, इस सदन की गरिमा आपके हाथ में है । सम्बन्धित एस0डी0एस0 ने जिस तरह का व्यवहार माननीय सदस्य साथ किया है उसके लिये अपने माप में एक क्षण भी देर करना इस सदन का अवमान होगा । आप अपनी पीठ से इस पर विचार कर रहे हैं, और माननीय मुख्य मंत्री जी को आप अपनी पीठ से निर्देश करें कि एस0 डी0 एम0 को तुरन्त ही निलम्बित करें ।

संसदीय काय मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, जो घटना, जिसका जिक्र अभी किया गया, और जिसके ऊपर सम्मानित सदस्य ने और अनेकों सदस्यों ने बातें कहीं, वे अत्यन्त गम्भीर हैं । जहां तक सम्मानित सदस्योंकी मर्यादा उनकी निष्ठा, और आदर का सवाल है, यह सबका कर्त्तव्य है और सरकार भी इसको मानती है कि सारे सदस्यों की इज्जत और आदर हर जगह पर होनी चाहिए . . . .

श्री मोहन सिंह--

पिटवा कर एस0 डी0 एम0 से . . . . . .

श्री अम्मार रिजवी--

सुन लें . . . . । जो घटना घटी है और माननीय शाक्य जी ने उस के बाद कई सदस्यों ने उस की तरफ इशारा किया । मैं समझता हूं अत्यन्त गंभीर है और खेदजनक है । इसमें जो भी उन्होंने कुछ तथ्य आप के सामने रखे हैं, फैसला, मान्यवर, आप के हाथ में दिया है। जहां तक शासन का संबंध है, मान्यवर, किसी भी अधिकारी को चाहे वह कितना ही ऊंचा क्यों न हो अगर उसने किसी माननीय सदस्य से कोई ऐसी बात की है जिसमें माननीय सदस्य की गलती नहीं है तो कोई प्रोटेक्शन देने की प्रश्न नहीं है . . . .

एक सदस्य--

तबादला तक तो किया नहीं . . . .

श्री अम्मार रिजवी--

यह फैसला आप के हाथ में है । इस में निर्णय आप के हाथ में है . . . . . .

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

गलती का निर्णय आप करेंगे . . . .विशेषाधिकार समिति में मामला जाये . . . .

श्री अम्मार रिजवी--

जो भी निर्णय आप के द्वारा लिया जायगा । जहां तक शासन का सवाल है उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने माननीय सदस्यों के खिलाफ कोई ऐसी चीज उन के प्रति, उन की इज्जत के खिलाफ, की है, कार्यवाही की जायगी ।.... (शोर)

आप जो निर्णय लेंगे वह शिरोधार्य होगा ।.... (शोर)

श्री मोहन सिंह--

एक स्पष्टीकरण (व्यवधान) (शोर) ।

श्री अध्यक्ष --

कृपया बैठ जायं, माननीय सदस्य बैठ जायं....

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मंत्री जी.... (व्यवधान) (शोर)

एक सदस्य--

माननीय मंत्री जी स्पष्ट रूप से बतायें क्या कार्यवाही करेंगे दो महीने हो गये ..... (व्यवधान) ... (शोर) ..

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य, बैठ जाय । भोला पाण्डेय जी, आप भी बैठ जायं ।

श्री भोला पाण्डेय--

मान्यवर, एक मिनट मुझे भी सुन लें । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि माननीय सदस्यों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जायगा उसके लिए कड़ी कार्यवाही की जायगी । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी से विशेष तौर से कहना चाहता हूं कि इस सूबे के अन्दर लोकतंत्र था लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि तंत्र एक तरफ मजबूत होकर काम कर रहा है लोक की अवहेलना कर के । मैं यह कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र और तंत्र के बीच कोई संघर्ष न हो जाय इस के लिए आवश्यक कदम उठायें जिस से कि जनता के साथ दुर्व्यवहार न हो सके ... (शोर) ...

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य बैठ जायं ।

श्री हुकम सिंह--

तंत्र वहां बैठा हुआ है, लोक यहां बैठा हुआ है ..

श्री अध्यक्ष--

मैंने गोरे लाल शाक्य जी ने जो कुछ कहा, उस संबंध में उनकी बात और जो भी माननीय सदस्यों ने उस पर अपने विचार व्यक्त किये उन को भी बहुत ध्यानपूर्वक सुना । हालांकि मैं चाहता यह था कि जो उनका पत्र आया है जो और तथ्य आये है उन सबको भी आप के सामने रखता और आप तथ्य जान कर मुझे सलाह देते तो सही निर्णय पर पहुंचने में मुझे आसानी होती और आप को भी संतुष्टि अधिक होती । नियम कायदे और संविधान की जो विवेचना की गई उनसे किसी को विरोध नहीं हो सकता लेकिन किसी बात पर निर्णय के लिये दो चीजों दो तथ्यों की जानकारी अवश्य होती है तथ्य क्या है तथ्यों के संबंध में उसमें प्रमाण क्या है और फिर उन पर नियम संविधान से लागू करना है ...

[श्री अध्यक्ष]

इस समय तक सदन में ऐसे प्रकरणों में क्या नियम हैं, क्या संविधान है, यही बात सामने आयी है लेकिन उसमें क्या तथ्य हैं, किस तरह से यह बात हुई है, यह सदन के सामने नहीं आया है। यदि यह बात भी सदन के सामने आ जाती है और मैं चाहता हूं कि जो भी निर्णय हो वह तब हो जब सदन को विश्वास में लिया जाय सदन समझे, उस दिशा में वह मुझे बताये और तब मैं उस पर निर्णय देता। मैं नहीं चाहता कि सदन के किसी माननीय सदस्य की गरिमा घटे और यह सदन की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी हैं। अन्त में एक बात कहना चाहता हूं कि शासन की जिम्मेदारी तो है ही, साथ ही साथ इस माननीय सदन के प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी है कि हम अपने को इस तरह से रखें जिससे कि हमारी अपनी प्रतिष्ठा, सदन की प्रतिष्ठा, शासन की प्रतिष्ठा, सब की प्रतिष्ठा कायम रहे। यह एक अत्यन्त गम्भीर बात है। मैं सम्मानित सदस्यों से बड़े अनुनय और विनय के साथ कहना चाहता हूं और कोई भी माननीय सदस्य मेरी इस बात से असहमत नहीं होंगें कि सारे प्रशासन को, सदन के सदस्यों को और शासन के अधिकारियों को सब को जनहित में एक दूसरे के भावों को देखते हुए आदर-सत्कार के साथ कार्य करना चाहिए और अगर कोई गलत कार्य करता है तो अपने कर्तव्य के निर्वहन में सदन किसी को क्षमा नहीं करेगा मैं इस मामले को तथ्यों की जानकारी के लिये पुनः आपके सामने रखूंगा और जब आपको इसके पूरे तथ्य मालूम हो जायेंगे और तब आप मुझे बतायें उसके अनुसार मैं इस पर बाद में निर्णय दूंगा।

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, कब तक आप मेरे मामले में निर्णय दे देंगें ?

श्री अध्यक्ष--

अति शीघ्र हो जायेगा।

श्री गोरे लाल शाक्य--

मान्यवर, मुझे एक निवेदन करने की आज्ञा दें।

श्री अध्यक्ष--

इसमें अंतिम बात कह चुका हूं। अब मैं कार्यसूची की आगे की मदें ले रहा हूं।

पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982†

गृह मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करती हूं।

---

†दिनांक 27 फरवरी, 1982 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट में छपा है।

अफीम उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 1982 †

आबकारी राज्य मंत्री (श्री गोवर्धन तिवारी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से अफीम (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अफीम (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982, को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री गोवर्धन तिवारी--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से अफीम (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 को पुर:स्थापित करता हूं ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

कार्यस्थगन की कुल तीन सूचनायें प्राप्त हुई । एक श्री हर गोविन्द वर्मा की दिनांक 23-2-82 को शहर सीतापुर में बदमाशों द्वारा बन्दूक की दुकान के लूटे जाने के संबंध में ।

दूसरी श्री हरिवंश सहाय तथा श्री नन्द किशोर सिंह की पी0ए0सी0 के भूतपूर्व सिपाही द्वारा बेकारी से ऊब कर आत्म हत्या किये जाने के संबंध में ।

और तीसरी श्री कुबेर भण्डारी की द्वितीय राजभाषा (उर्दू) घोषित करने के फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

यह तीनों सूचनायें जो नियम 56 में प्राप्त हुई थीं अस्वीकार की गयी हैं ।(व्यवधान)

श्री कुबेर भण्डारी-- [***]

(व्यवधान)

श्री हरगोविन्द वर्मा-- [***]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

यह जो बिना मेरी आज्ञा के बोल रहे हैं लिखा नहीं जायेगा । माननीय वर्मा जी आप बैठें, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं । (व्यवधान) आप बिना आज्ञा के बोल रहे हैं ।

श्री हरगोविन्द वर्मा--

इस पर चर्चा करा दें ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें !

(समय 1 बजकर 49 मिनट)

दिनांक 27 फरवरी, 1982 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट छपा है ।

नोट:--[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

1982–83 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 7––ऊर्जा विभाग

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सख्या–7 ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,20,76,77,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, हमारा प्रदेश एक विशाल प्रदेश है जिसका 2.94 लाख कि0मी0 इसका क्षेत्र-फल है और यहां पर जो हमें विकास के कार्य करने हैं उसके लिये हमें विद्युत की सबसे अधिक आवश्यकता है । इस आवश्यकता को देखते हुए हमारी सरकार ने हर तरफ से यह प्रयास किया है कि सबसे पहले इसका उत्पादन बढ़े और इस दिशा में मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जहां जुलाई महीने में हमारा तापीय विद्युत उत्पादन प्लान्ट लोड फैक्टर 27.1 प्रतिशत था वह आज बढ़कर 45.8 प्रतिशत हो गया है और इसमें निरन्तर सुधार हो रहा है ।

हमने पिछले वर्ष जो कीर्तिमान तापीय विद्युत उत्पादन में स्थापित किया वह 1485 मेगावाट और 29.8 मिलियन यूनिट था उसको हमने इस वर्ष और अच्छा किया और 19 जनवरी, 1982 को तापीय विद्युत उत्पादन का नया कीर्तिमान स्थापित किया वह 1641 मेगावाट रहा । वह मिलियन यूनिट में 32.9 मिलियन यूनिट रहा । इसके साथ ही साथ आज हमारा जो तापीय विद्युत उत्पादन का प्रतिदिन का औसत है। वह 25 मिलियन यूनिट के करीब आ रहा है । अगर आप पिछले वर्ष के आंकड़े देखे, तो पिछले वर्ष जहां नवम्बर में 17.5 मिलियन यूनिट उत्पादन हो रहा था,वहां इस वर्ष नवम्बर में 22.5 मिलियन यूनिट उत्पादन हुआ ।.....

[इस समय 1 बजकर 50 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए ।]

दिसम्बर माह में पिछले वर्ष 20.4 मिलियन यूनिट उत्पादन था, इस वर्ष का 23 मिलियन यूनिट उत्पादन हुआ । इसी प्रकार जनवरी में 20.9 मिलियन यूनिट रहा, इस वर्ष अब 24.7 मिलियन यूनिट का उत्पादन किया गया है । फरवरी में, औसतन हमारा 25 मिलियन यूनिट प्रति दिन उत्पादन हो रहा है, जबकि पिछले वर्ष इसी माह में 22.4 मिलियन यूनिट उत्पादन हुआ है । मैं अपने साथियों को बताना चाहूंगा कि इस वर्ष वर्षा के अभाव में हमें अपनी जल विद्युत परियोजनाओं से अधिक विद्युत उत्पादन नहीं मिल सका जहां पिछले वर्ष करीब 870 फिट था, वहां रिहन्द इस बार केवल 846 फिट तक पहुंच सका है, इसकें कारण हमें वहां पिछले वर्ष 600 से अधिक बिजली की उपलब्धता रिजरवायरसे मिली थी इस वर्ष हमें केवल 186 मिलियन यूनिट ही उत्पादन मिल रहा है । हमने नवम्बर माह में पिछल वर्ष रिहन्द द्वारा 117 मिलियन यूनिट का उत्पादन किया था, इस वर्ष आपको जानकार आश्चर्य होगा कि हम केवल 38 मिलियन यूनिट ही कर सक हैं । इसका मुख्य कारण यह था कि हमारा अपेक्षित जल स्तर पूरी तरह से नहीं था । जहां हमको राम गंगा में नवम्बर माह में 68 मिलियन यूनिट मिली, इस वर्ष शून्य मिला । यह बहुत गम्भीर समस्या थी हमारे आगे और हमें जनवरी 82 के अन्त तक पिछले वर्ष की अपेक्षा 270 मिलियन यूनिट बिजली जल विद्युत के द्वारा कम मिली है । लेकिन इसके बावजूद हमने अपना प्रयास नहीं छोड़ा । हम किसी प्रकार पीछे नहीं रहें और हमने तापीय विद्युत उत्पादन में पूरा सुधार लाने का प्रयास किया और उसमें हम काफी हद तक सुधार लाए और हमने उसके द्वारा 471 मिलियन यूनिट अधिक उत्पादन पिछले वर्ष के मुकाबले में किया है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

साथ ही साथ हमारी जो बड़ी तापीय विद्युत परियोजनाएं है, उनके सम्बन्ध में मुझे बताते हुए हर्ष होता है कि पनकी पावर हाउस का प्लान्ट लोड फैक्टर जो अब तक 54.9 प्रतिशत था, हरदुआगंज 49.4 प्रतिशत था और ओबरा 45.5 प्रतिशत था, इनका कुल प्लान्ट लोड फैक्टर इस समय जो है वह ओवर आल 47.8 परसेन्ट है। हमारा यह प्रयास रहा कि जैसे जैसे विद्युत के उत्पादन में सुधार आए, हम बिजली कटौती में कमी करें और हमने उसी दृष्टि से बिजली कटौती में हमने एक नवम्बर से गन्ना इंडस्ट्रीज शुगर इंडस्ट्रीज के लिए वैकूम प्रासेज में 10 परसेन्ट एक्सट्रा पावर एलाउ किया है। इसके अलावा ड्रग्स कारखानों पर जो अब तक 25 प्रतिशत कट लगा हुआ था उसको भी समाप्त किया। फिर धीरे-धीरे नवम्बर और दिसम्बर माह में बहुत सी कटौतियां को हमने समाप्त किया है या कम किया है। अभी हाल ही में फरवरी माह में हमने महानगरियों के लिए 3 घंटे की बिजली कटौती के स्थान पर दो घंटे की कर दिया है। साथ ही स्पेशल टाउनों में भी छ घंटे की बिजली कटौती के स्थान पर हमने उसे कम करके 4 घंटे ही रखा है। इसके बाद ही 17 फरवरी को हमने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विद्युत कटौती को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है और यहां पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति की घोषणा की है। उसी दिन हमने जिला मुख्यालय और कैटेगरी एक के टाऊन के बारे में घोषणा की कि वहां भी छः घंटे के स्थान पर पांच घंटे ही कटौती रहेगी। सीमेन्ट इंडस्ट्री से भी उसी दिन से पूरी कटौती समाप्त कर दी है और शत प्रतिशत विद्युत आपूर्ति उसे करना प्रारम्भ कर दिया है। हमने आज से फर्टीलाइजर के जो कारखाने है, जिनके ऊपर...

श्री राम हर्ष राय--

श्रीमन् मेरा एक स्पष्टीकरण है वह दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष--

आपको ही कटौती का प्रस्ताव मूव करना है आप बैठें।

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, मुझे बताते यह हर्ष हो रहा है कि हमारे जो उर्वरक कारखाने है, जिनमें 20 प्रतिशत की कटौती लागू थी, उसको हमने समाप्त कर दिया है। इसके साथ साथ भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स में, जहां पर 25 प्रतिशत की कटौती थी, उसको भी पूर्णरूप से समाप्त कर दिया है अब दोनों प्रकार के उद्योगों को शत प्रतिशत बिजली मिलती रहेगी। जहां तक सामान्य उद्योगों का सम्बन्ध है उन में 50 प्रतिशत की कटौती थी उसको घटा कर हमने 1/3 कर दिया है और यह भी तब समाप्त हो जायेगी जब हमारे विद्युत उत्पादन में निरंतर सुधार होता रहेगा।

जहां तक शीत गृहों का सम्बन्ध है उनमें भी हमने 25 फरवरी, से 16 से 18 घंटे बिजली की आपूर्ति करा रहे हैं, उन शीतगृहों में जिनके स्वतंत्र फीडर्स है। यह सब हमारी तापीय विद्युत उत्पादन की बढ़ोत्तरी के कारण से हो पाया है।

हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले वर्ष किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए ताकि उनका तुरन्त निराकरण हो सके एक "किसान मित्र सेल" का गठन किया था। और मुझे उसकी देखभाल करने का कार्य सौंपा गया था। पिछले वर्ष उसके द्वारा जो कार्य हुआ वह बड़ा ही सराहनीय रहा। उसमें 1,767 शिकायतें आयीं थी। जिनको हमने स्टैन्ड किया। उसके बाद जो हमारे राजकीय नलकूप और निजी नलकूप हैं उनमें से 2194 नलकूपों की मरम्मत करा कर हमने ठीक कराया। उसके साथ ही जितनी हमारी पम्प और लिफ्ट कैनाल्स है, जिनकी संख्या 131 है, इसी किसान मित्र सैल के द्वारा ठीक कराया। आज भी वे सुचारू रूप से कार्य कर रही है। आज भी हमारे किसानों की जो समस्यायें है, उनके लिए वे हमारे किसान मित्र सेल से प्रात 8 बजे से रात्रि के 8 बजे तक सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं और उनका तुरन्त ही निराकरण किया जायेगा।

[श्री सुनील शास्त्री--]

इसके अतिरिक्त हमारे मुख्य मंत्री जी ने उद्योग धन्धों का भी एक सेल स्थापित किया है । जो भी प्रदेश में बड़े-बड़े और छोटे-छोटे उद्योग धन्धे है, जिनकी तमाम समस्यायें है, विद्युत कनेक्शन रिलीज करने आदि की, उनके लिए एक "उद्योग बन्धु" स्थापित करके उनका हल किया गया है इनके लिए हमने 130 मेगावाट का लोड स्वीकार किया है। 25 हार्स पावर के कनेक्शन का जिला स्तर पर ही निराकरण कर दिया जाता है । उसके ऊपर 100 हार्स पावर तक जुलाई 1981 में एक रीजनल कमेटी का गठन किया गया था जो कमिश्नर के अन्डर काम करती है । उसके द्वारा इतनी हार्स पावर के जो कनेक्शन्स है, उनको सेंक्शन और रिलीज कर दियाजाता है तो ये जो 2 कमेटियां है, इनके द्वारा 245 मैगावाट का लोड हमने अब तक रिलीज किया है । हमारे प्रदेश में विद्युत की समस्या अभी भी है पर हमारा यह प्रयास है कि हमने जो कटौतियां कर रखी है, उनको पूर्ण रूप से अपने प्रदेश से समाप्त करें । मैंने अपने अनुभव से जितना भी अधिक से अधिक सुधार कर सकता था उतना प्रयास किया है । आज यहां पर दोनों पक्ष के माननीय सदस्य बैठे हैं, मैं उनके अनुभवों और सुझाव को आमंत्रित करता हूं ताकि उनसे हम कुछ फायदा उठा सकें और विद्युत विभाग में ओर अधिक सुधार ला सकें ।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मंत्री जी कृपया इतना और बतला दें कि जेनरेटिंग कैपेसिटी क्या है, प्रोडक्शन क्या हैं और ट्रान्समीशन लास क्या है ? इससे डिबेट में आसानी हो जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष --

माननीय मंत्री जी, जब आप कृपया अपना उत्तर भाषण दें तो इन चीजों पर भी प्रकाश डाल दें ।

(व्यवधान)

श्री रामहर्ष राय--

मैं मान्यवर, प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 7 ऊर्जा विभाग सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, यह ऊर्जा विभाग एक ऐसा विभाग है जिसका सीधा संबंध प्रदेश की जनता से है प्रदेश के विकास से है, प्रदेश के किसानों से हैं और प्रदेश के उद्योग धन्धों से है । इस विभाग में कटौती का प्रस्ताव रखते हुये मुझे दुख होता है, लेकिन चूंकि ऊर्जा विभाग की ऊर्जा नीति बिल्कुल गलत है इसलिये मुझे अपना कटौती का प्रस्ताव रखते हुये हर्ष है । सरकार ने प्रारम्भ से ही विद्युत नीति गलत अपनायी जिसके कारण उसका असर प्रदेश पर पड़ा । जब इस सरकार का गठन हुआ तो उस समय ऊर्जा मंत्री माननीय ब्रह्मदत्त जी, बाद को पता नहीं कौन से कारण थे कि वह विभाग उनसे माननीय मुख्य मंत्री जी ने ले लिया और उसे अपने पास रखा । वे कार्य करने में अक्षम पाये गये, या हो सकता है कि कुछ लेनदेन की बात हो, कारण कुछ भी हो, मैं नहीं जानता इसे जानना सरकार का काम है मगर वह विभाग उनसे ले लिया गया । जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस विभाग को लिया तो यह घोषणा की कि 4 महीनों में अगर वे विद्युत आपूर्ति स्थिति को ठीक नहीं कर सके तो वे इस्तीफा दे देंगे । अब वह विभाग उन्होंने दूसरे को दे दिया । जिनको दिया वे कर्मठ और नवयुवक साथी हैं । मगर माननीय मुख्य मंत्री ने जो वायदा किया था उसे वे पूरा नहीं कर पाये और इस तरह का वायदा करने की उनकी आदत सी बन गयी है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले छविराम जैसे डाकुओं के सफाए के बारे में भी उन्होंने इसी प्रकार की घोषणा की थी जो पूरी नहीं कर पाये ।

मान्यवर, सबसे बड़ी गलती ऊर्जा विभाग मे जो अपनायी जा रही है वह यह है कि शासन विद्युत उत्पादन की लागत को आधार मान कर नीति बना रहा है जब कि अर्थशास्त्र का

सिद्धान्त है कि यदि लागत से उत्पादन कम है तो उपभोक्ता को अधिक मूल्य देना पड़ेगा और यही चीज ऊर्जा क सम्बन्ध में देखने को मिल रही है ।अगर आप यह देखें कि इनके जो प्लान्ट हैं उनकी कार्यक्षमता कितनी है ? और वे वास्तव में पैदा कितना कर रहे हैं ? इससे ही स्थिति साफ हो जायेगी । स्वयं मन्त्री जो ने माना है कि इनकी उत्पादन क्षमता 3489 मेगावाट की है जिसमें उत्पादन 2277 मेगावाट का है, यानी 1212 की कमी है । यह सही है, मैं इस चीज को मानता हूं । लेकिन असलियत क्या है, मान्यवर, यह तो इनकी क्षमता है कि उत्पादन इतना होना चाहिये जो कभी इन्होंने उत्पादन नहीं किया । ये उत्पादन 1300 मेगावाट करते हैं । 683 मेगावाट तापीय और 617 मेगावाट जलीय ये पैदा करते हैं । अब ये अपनी कार्य-क्षमता देख लें । ये तो 1600 मेगावाट पैदा नहीं किये और इन्हीं के शासन के दो वर्ष पहले जनता शासनकाल में 1600 से लेकर 2200 मेगावाट बिजली पैदा हुई । तो इसी की ये तुलना कर लें । मान्यवर, मुझे कहने की जरूरत नहीं है । जनता शासन का वह समय ऐसा था जिसमें कि सूखा था, सूखे की स्थिति में जब इतनी बिजली पैदा हुई तो आखिर कौन सा कारण है कि ये बिजली उतनी नहीं पैदा करते हैं । ये 1300 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं । प्रश्न यह उठता है कि ये कितनी बिजली पैदा कर लें, तो हमारे प्रदेश की बिजली की आवश्यकता पूरी हो जायगी । 2200 मेगावाट बिजली अगर ये पैदा कर लें, तो हमारे प्रदेश की आवश्यकता पूरी हो जायगी । असलियत यह है मान्यवर, कि अधिक से अधिक 800 या साढ़े 800 या 1000 मेगावाट की बिजली उपभोक्ताओं को दी जा रही है, शेष मेगावाट की बिजली की चोरी की जाती है । वह पैसा या तो इनके बड़े-बड़े अधिकारी लेते हैं या कर्मचारी ले लेते हैं । सरकार पैसा नहीं पाती । चाहे कर्मचारी लूट-पाट करते हों, चाहे जो कुछ भी करते हों । मेरा सरकार पर यह आरोप है कि इसे देखे ।

श्री उपाध्यक्ष––

चोरी किस तरह हो रही है । इस पर भी जरा प्रकाश डाल दीजिये ।

श्री राम हर्ष राय––

मान्यवर, चोरी इस तरह से होती है कि लाइन दे दी गयी है, अब यह समझ लीजिये कि अगर ओवरसियर या इंजीनियर फील्ड में जाते हैं, काम करने के लिये तो लाइन बिछवाने का इस्टीमेट बनाते हैं, इस्टीमेट तो 5 हजार का बन गया लेकिन अगर वह 500 या 1 हजार रुपया इनके पाकेट में दे दिया और काम हो गया तो मान्यवर, मामला स्पष्ट है, आप स्वयं सोच लें । यह बिजली उत्पादन के क्षरण का एक सिद्धान्त है । बिजली के उत्पादन में जो नुकसान हो जाता है, उसका एक रिकार्ड है आपके देश के और अन्य प्रदेशों का रिकार्ड है कि वह 12 परसेंट से अधिक नहीं होता है, होना ही नहीं चाहिये । लेकिन उत्तर प्रदेश में 23 परसेंट छाड़न होता है । तो यह 23 परसेंट कैसे हो गया ? मामला साफ है । वही बात मैंने कही चोरी वाली, मामला साफ है । मन्त्री जी ने कहा है कि विद्युत का उत्पादन अब हमने 43 परसेंट कर दी । लेकिन भारत वर्ष का औसत उत्पादन क्या है ? वह 63 परसेंट है । मुझको बड़ी खुशी होती, अगर ये 50 परसेंट से एक परसेंट भी ऊपर कर दिये होते । लेकिन इनको तो खुशी है 43 परसेंट पर ही । मुझको मालूम हो गया कि आगे भी ये क्या करेंगे । उपभोक्ताओं को 7500 मेगावाट के कनेक्शन दिये गये हैं लेकिन 4800 मेगावाट के कनेक्शन ही ऐसे हैं जो कि चालू हालत में हैं । अगर ये सम्पूर्ण प्रदेश की योजना चलावें तो 1400 मेगावाट की बिजली की सदैव कमी बनी रहेगी ।

अभी माननीय मन्त्री जो ने कहा कि हम बिजली को कटौती बन्द करते जा रहे हैं ।नाम भी गिनाया लखनऊ का और कारखानों का नाम गिनाया की कटौती कम कर रहे हैं । मान्यवर इनके अधिकारी क्या कह रहे हैं––पावर कट्स कन्टीनियूड टिल 1990 उन्होंने कहा है हम 1990 तक पूरे समय बिजली नहीं दे पायेंगे । यह आपके मिश्रा कोई इंजीनियर है । इसके

[श्री राम हर्ष राय---]

लिये उनको निकाल दीजिये। या तो उनको आप पर विश्वास नहीं है या आपको उन पर विश्वास नहीं है मान्यवर, यह कल का पेपर है 23-2-82। अखबार का नाम है नार्दन इण्डिया पत्रिका। जिसमें उन्होंने कहा है 1990 तक नहीं दे पायेंगे। 23 को यह अखबार में छपा और आज 24 को मंत्री जी ने बड़े जोश खरोश में घोषणा कर दिये कि बिजली की कटौती नहीं करेंगे। आप सोच लीजिये अपने जवाब और उनके वक्तव्य पर मुझे कुछ नहीं कहना है जहां तक मान्यवर, मेरी जानकारी है जो आंकड़े है इनकी पुस्तक के और अखबार के यह सब इन्हीं के हैं। इनके आंकड़ों को हमने उतारा है। मान्यवर, पावर रिक्वायरमेंट की स्थिति क्या है। प्रदेश की 6ठीं, 7वीं और 8वीं परियोजना के लिये निम्न क्षमता की आवश्यकता होगी। छठें प्लान में 83-84 में 4 हजार 457 मेगावाट, 7वीं में 88-89 में 7 हजार 774 मेगावाट और 8वीं में 93-94 में 12 हजार 236 मेगावाट की आवश्यकता होगी। इस तरह से इन परियोजनाओं का देरी से इंप्लीमेंटेशन होगा। ऐसी स्थिति में यह कार्य-क्षमता से कोई काम नहीं करेंगे स्पष्ट है। इनकी जितनी परियोजनायें बनी हैं 2 वर्ष का समय देते हैं तो 6 वर्ष में बनती है। तो दो और डेढ़ वर्ष का समय देंगे तो क्या 6 महीने में बन जायेगी? जैसा भूत काल में किया है वैसा वर्तमान में कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। असली चीज तो यह है कि बिजली घर केवल कागजों में है यह हम नहीं कहते। भारत की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने शिलान्यास किया है बिजलीघर का लेकिन न जमीन का पता है न ईंटा का पता है न मकान का पता है। उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड के इंजीनियर संघ के महा सचिव शैलेन्द्र दुबे का कहना है कि ऊंचाहार बिजली परियोजना घर के लिये अभी तक एक इंच भी जमीन अधिगृहीत नहीं हुई है।

लेकिन इस बिजली घर का शिलान्यास प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी के ही कर कमलों द्वारा कराया गया है। तो इसी तरह से इनकी योजनायें होंगी और बनेंगी।

अब मान्यवर, सबसे महत्वपूर्ण चीज पर हम आते हैं वह है, उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड। मान्यवर, हाथी काला होता है लेकिन बिजली बोर्ड सफेद हाथी की तरह है जिसकी महत्ता को सभी जानते हैं, केवल कहने की बात होती है, शोभा की और करने धरने को कुछ नहीं। मान्यवर, एक बात का यह अनुकरण जरूर करते हैं कि केन्द्र में इनकी सरकार है और वहां रेलवे विभाग है जो सबसे बड़ा हिन्दुस्तान में है और ठीक उसके बाद बिजली बोर्ड है। तो उस बड़े विभाग की बराबरी यह करते हैं, इसमें दो राय नहीं हैं। रेलवे में दुर्घटनाएं होती हैं, चोरी होती है तो इसमें भी यह होना जरूरी है। इंडिया में सबसे बड़ा विद्युत बोर्ड है और इसमें निश्चित है कि यह एक ऐसा भयंकर खटमल जनता के लिये साबित हुआ है जो जनता का धीरे-धीरे खून चसता जा रहा है और सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगती है और कहते हैं कि हम जनता और गरीबों की मदद करते हैं लेकिन ठीक उसका उल्टा बिजली बोर्ड की यह पोषण करते हैं। इनको नहीं मालूम कि बिजली बोर्ड किस तरह गरीब जनता का खून चूस रहा है, इनको मालूम है लेकिन यह मूक हैं।

मान्यवर, 1959 से 1981 तक इस बिजली बोर्ड पर 22 अरब रुपये खर्च हो गया है और अगर 22 अरब रुपये के नोट भुना लें तो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक पूरे प्रदेश में नोट पट जायेंगे। तो 22 अरब की पूंजी जो पूंजीगत लगाता है तो वह एक व्यवस्था रखता है कि वह जिस कल कारखाने में पूंजी लगाता है उससे आशा है कि उसका रिटर्न और सूद उससे मिलेगा लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार बड़ी दानी सरकार है। इसी धनीयापन में लगभग 804 करोड़ रुपये का घाटा विद्युत परिषद् ने दिया है और वह घाटा कहां है। वह स्पष्ट है कि इस घाटे को उत्तर प्रदेश के राजकीय कोष से पूरा किया जा रहा है और उसके आंकड़े हमारे पास हैं। जो इस प्रकार हैं:--

मान्यवर, 1978-79 में जेनरेशन टारगेट से कम किया गया जिसके कारण वर्तमान विद्युत दरों में 34 करोड़ रुपये की हानि हुई। तो जब उत्पादन लागत अधिक होगी तो

घाटा होगा ही। तो विद्युत् परिषद् इंजीनियरों से क्यों नहीं कहती कि यह जनरेशन क्यों घट रहे हैं। इसलिये घाटा वर्ष 1976 में 169 करोड़ रुपये, 1977 में 189 करोड़ रुपये और 1678 में 256 करोड़ रुपये का हुआ।

तो इस तरह से मान्यवर, इनके उत्पादन को जो कार्य-प्रणाली है उसको भी आप देख लें। भारतवर्ष के दूसरे राज्यों को उदाहरण के लिये देख लें। महाराष्ट्र विद्युत् परिषद् का प्लांट यूटीलाइजेशन फैक्टर 5943 यूनिट किलोवाट है और उत्तर प्रदेश में वह 3900 यूनिट किलोवाट से भी कम है। तो आप अंतर को देख लें और तुलना कर लें। कभी-कभी यह प्लांटयूटीलाइजेशन फैक्टर 3800 से 3500 पर चला जाता है। तो इसका नतीजा क्या होगा कि घाटा बढ़ता ही जायेगा जब तक आप कार्य-प्रणाली पर अंकुश नहीं लगायेंगे। मान्यवर, विद्युत् परिषद् को जो घाटा है उसके वर्षवार आंकड़े हमारे पास हैं। हिंडालको तथा कनौडियाकेमिकल्स को वजह से वर्षवार घाटा इस प्रकार है। 62–63 में 520 लाख, 63–64में 800 लाख, 64–65 में 840 लाख, 65–66 में 1380 लाख, 66–67 में 1460 लाख, 67–68 में 1650 लाख, 68–69 में 2330 लाख और 69–70 में 2380 रुपये का घाटा हुआ है। इसी प्रकार वर्षवार निरन्तर घाटा बढ़ता गया और 1978–79 यह 2970 करोड़ का हो गया है तो सब मिलाकर घाटा 4 अरब रुपये का आ रहा है। यह घाटा केवल हिंदालको और कनौडिया केमिकल्स की वजह से है। इस घाटे को पूरा करने के लिये मंत्री जी क्या कदम उठायेंगे इसको वह अपने उत्तर में बता देंगे। दूसरी चीज यह है कि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार हिंदालको और पूंजीपतियों के साथ कितनी उदारता पूर्वक दान करती गयी है कि लगभग 4 अरब रुपये का घाटा विद्युत् परिषद् को हुआ है। जब घाटे की बात की जाती है तो यह कहते हैं कि हमने समझौता किया है। मान्यवर, इसी सदन के अन्दर एक प्रश्न हुआ था। विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 में निर्धारित धर्मपाल सिंह के अतारांकित प्रश्न के उत्तर में, माननीय ब्रह्मदत्त उस समय मंत्री थे, उन्होंने उत्तर दिया है। वह प्रश्न यह था कि बिजली उत्पादन की कीमत प्रति यूनिट क्या आती है और हिंडालको को किस दर पर बिजली दी जाती है? उसका उत्तर सरकार ने दिया है कि बिजली उत्पादन की कीमत वर्षवार निकाली जाती है। तो मान्यवर, उस समय कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया गया है और कह दिया गया है कि वर्षवार भिन्न-भिन्न कीमत होती है। मान्यवर, 30–6–81 के पहले तक 19.57 पैसे प्रति यूनिट पर हिंदालको को बिजली दी गयी है और आज भी उसी रेट पर बिजली दे रहे हैं जबकि बिजली उत्पादन की लागत बढ़ गयी है तो इसका औचित्य क्या है?

हिण्डालको से 29.57 पैसा लेते हैं। ठीक है, यह लुटा दें, मालिक हैं उत्तर प्रदेश के, जनता तो चूसी जा रही है। उधर एक और जालसाजी होने जा रही है। इधर अखबारों में निकलने लगा है कि उदारतापूर्वक यह सरकार निजी क्षेत्र में बिजली उत्पादन का कार्य दे रही है। मन्त्री जी आश्वासन दे दें कि जिस रेट पर हिण्डालको को बिजली दी है, क्या वह भी आपको उतने समय तक उसी रेट पर देंगे?

एक सदस्य––
यह और स्पष्ट कर दें कि 77–78 में किस रेट पर दी गयी?

एक अन्य सदस्य––
उस समय तो आप पैदा भी नहीं हुए थे विधान सभा में।

श्री उपाध्यक्ष––
माननीय सदस्य आपस में बात न करें।

श्री राम हर्ष राय--

तो मन्त्री जो सदन को आश्वासन दे दें। दूसरी चीज यह है कि अखबार में भी आया है कि हिण्डालको इस स्थिति में हो गया है कि खुद बिजली उत्पादन करने लगा है, लेकिन खपत कहां होगी, खपत के लिये उसने उत्तर प्रदेश सरकार को चुन लिया है। वह अब उनको बिजली देने जा रहा है। सेण्टर से भी मांग करके इस प्रक्रिया को सरकार पूरी करने जा रही है। मन्त्री जी अपने उत्तर में इसको भी स्पष्ट कर देंगे क्योंकि सदन यह समझ रहा है कि हम लोग गुमराह है।

जहां तक इस विद्युत् बोर्ड का सवाल है, इसमें आज जो व्यवस्था चल रही है, इस समय परिषद् के सा कार्य आई0 ए0 एस0 कर्मचारी हो चला रहे है। यह है तो टैक्नीकल बोर्ड, इसमें इन्जीनियर वगैरह को जरूरत है, लेकिन आई0ए0एस0 इसको चला रहे है। आज स्थिति यह है कि परिषद् में 12 सदस्य है,जो कि उसके पूरे मालिक है, जिनको पूरी पकड़ है और उसमें से 8 आई0ए0एस0 हैं। परिषद् का नियम यह कहता है कि 2 ही आई0ए0एस0 होने चाहिये। इन्होंने 2 के स्थान पर 8 कर दिये हैं। इस तरह आई0ए0एस0 इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर हावी है और यह जो कार्यक्षमता घट रही है,यह गलत नहीं घट रही है,अगर इसमें टैक्नीकल आदमी होते तो बात और थी,मगर यह तो आई0ए0एस0 के द्वारा चलाया जा रहा है। मन्त्री जी इसको भी देख लें।

मान्यवर, एक चीज यह है कि आपकी व्यवस्था में साफ-साफ चाहूंगा और मन्त्री जी से क्लेरीफिकेशन भी कि एक नियम है और वह नियम यह है कि केन्द्र सरकार ने एक बार तमाम राज्यों के मुख्य मन्त्रियों का सम्मेलन बुलाया था और उस सम्मेलन में यह तय कर दिया था कि जिस भी किसी को हम बिजली कम रेट पर देंगे, उसकी स्वीकृति विधान सभा से करा लेंगे या आगे जिसे सस्ते रेट पर विद्युत् देनी होगी, उसकी स्वीकृति विधान से करा लेंगे। मैं स्पष्ट जानकारी करना चाहता हूं चाहे वह कन्नौजिया हो या हिण्डालको हो, इनके संबंध में सदन को स्वीकृति मन्त्री जी ने ली है या नहीं ? इसका उत्तर मन्त्री जी दे दें।

श्री उपाध्यक्ष---

आप मुझसे भी कुछ व्यवस्था चाहते हैं क्या ?

श्री राम हर्ष राय--

मान्यवर, यदि नियम है तो जरूर चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो शासन का काम है, जब सदन में आप अव्यवस्थित होंगें तब मैं दूंगा।

श्री राम हर्ष राय--

मान्यवर, दो-एक चीजें और सरकार के दानियापन की और विद्युत् परिषद् की फजूलखर्ची के उदाहरण मेरे सामने हैं। इस विद्युत् परिषद् में जो कर्मचारी रखे गये हैं उनका मुख सुरसा के समान बढ़ता चला जा रहा है, इनकी संख्या दो लाख के करीब पहुंचने वाली है। इनको आप तनख्वाह देते हैं 1975-76 से 1978-79 तक इनके वेतन पर व्यय होता था 58.32 करोड़ और अब व्यय होता है इस पर 88.56 करोड़ और तारीफ यह कि 1982-83 में 100 करोड़ तक और अनुमानित है। तो मान्यवर, ये इतनें बड़े दुनिया हैं।

इनके जो पावर हाउस चलते हैं वह कोयला से पावर हाउस चलते हैं लेकिन अखबारों में कई जगह मैंने देखा, इसक अतिरक्त सबस बड़ी चीज इन्हीं की पुस्तक है जिसमें कि लिखा है कि ये तेल फूंकते हैं कोयला के साथ। इन्होंने इसमें लिखा है कि तेल की बढ़ती हुई कीमतों के

कारण तेल की खपत कम की जानी चाहिये। तो मान्यवर, हम लोग तो घर में जहां दो लालटेन जलाते थे वहां अब एक ढिबरी ही जला लेते हैं। मान्यवर, मैं उनका पेट्रोल अभी छोड़ रहा हूं। यह मेरा केवल किरोसिन तेल से मतलब है। जब कीमत बढ़ गयी तो उसकी खपत घटाना चाहिये लेकिन हुआ क्या है कि मान्यवर, विद्युत् परिषद् में तेल की खपत एक ही साल में यानी 1977-78 में 9.04 करोड़ से बढ़कर 1978-79 में 120.99 करोड़ हो गयी। बाद में यह देख लें आप मान्यवर, कि तेल की कितनी खपत बढ़ गयी। होता क्या है कि जब तेल का टैंकर जाता है तो दो-चार बैगन तेल पावर हाउस पर उतार लिया जाता है और बाकी बैगन पूंजीपतियों के घर ठेल दिया जाता है कि जाओ तुम्हारी वहीं ही जरूरत है यहां पर नहीं। तो इस तरह से वे सारे बैगन तेल के पूंजीपतियों के घर में खपत के काम में आ जाते हैं। इस तरह से तेल की खपत सिद्ध करते हैं विद्युत् परिषद् के कर्मचारी। विद्युत् परिषद् के कर्मचारियों की कार्य-क्षमता क्या है इससे यह साफ पता चलता है, साथ ही साथ हमारी सरकार की निगाह क्या है इसकी भी जानकारी हमें होती रहती है।

मान्यवर, एक चीज और जो कि सबसे अहम् बात है और जो कि ऊर्जा से संबंधित है। अभी मंत्री जी ने अपने प्रथम भाषण में बताया था कि राष्ट्रीय आय 63 प्रतिशत की है। जितने प्रतिशत बिजली की क्षमता होनी चाहिये, वह नहीं है। लेकिन इनकी कार्य-क्षमता क्या है यह मैं 1970 से 1980 तक का बतलाना चाहता हूं कि इनकी प्लान्ट लोड क्षमता 1970-71 में थी 61.7 प्रतिशत और फिर 71-72 में 57.7 प्रतिशत, 72-73 में 55.7 प्रतिशत, 73-74 में 46.6 प्रतिशत, 74-75 में 59.9 प्रतिशत, 75-76 में 62.9 प्रतिशत, 76-77 में 48.3 प्रतिशत, 77-78 में 40.1 प्रतिशत, 78-79 में 39.0 प्रतिशत, 79-80 में 37.7 प्रतिशत। तो प्रगतिशील कदम वह होता कि उत्पादन धीरे-धीरे बढ़े और ये ऐसा घोड़ा साबित हो रहे हैं कि 2-2 कदम पीछे करके सीमा से बाहर हो जायेंगे.....

श्री उपाध्यक्ष--

आप पीछे जा रहे हैं।

श्री राम हर्ष राय--

25 मिनट बोलना है न मान्यवर, एक चीज और कहना है। प्रदेश में कृषि के लिए कहते हैं उत्पादन वर्ष मनाने जा रहे हैं लेकिन जो कृषि के लिए बिजली की आवश्यकता है उसका शेयर केवल 32 प्रतिशत है इनके शासन काल में अन्य प्रदेशों में इतना कम शेयर किसी का नहीं है और ये हामी भरते हैं किसानों का, किसान सम्मेलन करते हैं। उद्योगों को जो बिजली देते हैं वह 51.7 प्रतिशत, ट्रांसपोर्ट को 3.6 प्रतिशत, घरेलू उद्योग को 9.8 प्रतिशत, स्ट्रीटलाइट को 0.4 प्रतिशत, कृषि में 32.8 प्रतिशत, मंत्री जी ये आंकड़े सही हैं या नहीं? तो ये कैसे किसानों गरीबों हरिजनों के हमदर्द हैं। इसके माने यह हैं कि यह सरकार केवल दम्भ भरती हैं किसानों का कि हम किसान के बेटे हैं किसान की सरकार हैं यह बिल्कुल गलत है। ये आंकड़े साबित करते हैं कि यह सरकार पूंजीपतियों का पोषण करती है उन्हीं का पालन करती हैं इसलिए समय रहते इन्हें सोच लेना चाहिये वरना यह किसान वर्ग, इतना बड़ा वर्ग है कि उसकी एक हुंकार में सारा प्रदेश जल जायेगा..

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री राम हर्ष राय--

आपके खिलाफ़, शास्त्री जी, एक शब्द कहना नहीं है इसलिए पक्ष और विपक्ष दोनों ओर के माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि हमारे इस प्रस्ताव का समर्थन करें।

*श्री सोमांश प्रकाश---

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे आज बिजली जैसे प्रदेश के महत्वपूर्ण बजट पर उस के समर्थन में बोलने का मौका दिया। मुझे अफ़सोस है कि हमारे विरोध पक्ष के साथी यह बात महसूस नहीं करते हैं कि बिजली एक ऐसा आवश्यक अंग हमारे मनुष्य के जीवन का अंग हो गया कि किसी जमाने में माना जाता था कि बिजली एक लक्जरी है लेकिन आज आवश्यक अंग हो गया है उसी पर कटौती का प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। एक तरफ़ तो उत्पादन की बात कहते हैं और दूसरी तरफ़ कटौती का प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। माननीय सदस्य बड़े नाटकीय ढंग से प्रस्ताव पेश कर रहे थे और जो सुझाव रख रहे थे वह कोई सुझाव नहीं थे केवल आलोचना ही आलोचना थी।

वह यही कहने में लगे रहे कि बिजली बोर्ड का यह नुकसान हो गया, यह काम गलत हो गया, वह काम गलत हो गया लेकिन यह उन्होंने नहीं कहा या नहीं बताया कि इसको कैसे किया जाना चाहिए जब कि चाहिए यह था कि वह यह बताते कि यह काम इस तरह से आप ठीक कर सकते हैं। मान्यवर, यह वर्ष उत्पादन वर्ष है। हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसको उत्पादन वर्ष के रूप में माना है तो इसमें इस उत्पादन में हमारी जो बिजली है वह विशेष महत्व रखती है और हमें यह देखना है कि हम कैसे इसका उत्पादन बढ़ाये और मुझे खुशी है कि जब से शास्त्री जी, राज्य मंत्री ने बिजली विभाग संभाला है और मुख्यमंत्री जी ने इसको संभाला है तब से बिजली के कार्यों और उत्पादन की क्षमता बहुत बढ़ गई है। बिजली का उत्पादन बढ़ने के कारण ही कटौती हटी है। यह सबसे बड़ी बात आपके सामने है सीमेंट पर से कटौती हटी, नगरपालिकाओं की कटौती हटी। हम कैसे मान लें कि उत्पादन नहीं बढ़ा। यदि उत्पादन नहीं बढ़ा तो यह कटौती कैसे हटी है। निश्चित रूप से बिजली का उत्पादन बढ़ा है।

मान्यवर, मेरा इसमें सबसे पहला सुझाव यह है कि हमारा बिजली का उत्पादन इस समय 1641 हुआ है और इतना अधिक उत्पादन अब तक, आज तक प्रदेश में बिजली का इससे पहले कभी नहीं हुआ। यह एक कीर्तिमान है और मेरा सुझाव है कि यह कीर्तिमान बढ़ता ही रहना चाहिए। यदि हम इसको घटाते हैं तो यह अच्छाई नहीं है और मैं इस विषय में एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे जो विद्युत् बोर्डके लोग हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं और न ही किसी पर दोष लगा रहा हूं बल्कि यह कहना चाहता हूंकि हम कोई ऐसा मौका न दें जिससे किसी को या विपक्ष के भाइयों को कुछ कहने का मौका मिले। हम कोई गलत काम न करें और केवल सही काम करें और ऐसी मिसाल पैदा करें कि एक और कीर्तिमान स्थापित हो क्योंकि हमारे मन्त्री जी तो अच्छे हैं ही और हमारे विद्युत् बोर्ड के अध्यक्ष भी बहुत अच्छे और योग्य व्यक्ति रखे गए हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि विद्युत् बोर्ड के लोग ऐसा काम करें कि हमारे विरोधी पक्ष के साथियों को यह कहने मौका का हीन मिले कि हमारा बिजलीबोर्ड खराब है, वह अच्छा काम नहीं करता है। हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हमारी गल्ती कहां है, हमारी कमी कहां है और जिसकी जहां गल्ती हो वहां पर सख्ती से कार्यवाही की जानी चाहिए और उसका अनुपालन करना चाहिए। जहां तक तुलनात्मक अध्ययन की बात है और किताब में लिखा है यह सब चीजे रिकार्ड की चीजें है जो आपके सामने प्रस्तुत हैं और हमारा जो उत्पादन है वह क्षमता दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है इसमें कोई शक नहीं है। इस संबंध में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारा बिजली का उत्पादन और वितरण सिस्टम दो तरीके का है, इसमें मेरी जानकारी है कि बहुत से कर्मचारी इसमें सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं इसके लिए मेरा सुझाव है कि कोई रोटेशन का तरीका बनाया जाय और यह किया जाय कि जो उत्पादन में रहने वाले इंजीनियर हैं उनकी तनख्वाह बढ़ और इस तरह से रोटेशन बनाया जाय कि जो कुछ वर्ष उत्पादन में रहा है वह कुछ समय तक वितरण में रहे और जो वितरण में रहा है वह उत्पादन में रहे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आलोचना केवल आलोचना के रूप में नहीं करनी चाहिये। आलोचना करनी चाहिये लेकिन उसके साथ ही साथ सुझाव भी देने चाहिए। मुझे यह भी कहना है कि पिछले दिनों चर्चा थी कि निजी क्षेत्रों मै बिजली का उत्पादन हो।हमारे रेणु सागर में बिजली उत्पादन की क्षमता 40 लाख मेगावाट है जब कि सारे प्रदेश में बिजली 35 लाख मेगावाट पैदा होती है। और उनका उत्पादन खर्च भी 50 प्रतिशत कम है। तो माननीय मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि इसकी तरफ़ ध्यान दिया जाय और इसको देखा जायकि इसकी क्या वजह है कि निजी क्षेत्र इतनी बिजली बनाता और कमक्षमता होते हुए भी ज्यादा बिजली बनाता है। जहां तक ग्रामीण विद्युतीकरण का सवाल है, आंकड़े के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली बहुत दी गयी और हरिजन बस्तियों को भी बिजली दी गयी है। लेकिन हमारा निवेदन है कि दो फ़ेज की बिजली शाम को 6 बजे से 10 बजे रात तक दी जाय तभी उससे जनता का हित हो सकता है। क्योंकि देखा जाता है बिजली पूरी तरह से डोमेस्टिक परपजेज के लिये रात को लोगों को नहीं मिल पाती जिससे उनको बड़ी परेशानी है। इसलिये मेरा सुझाव है कि शाम को 6 बजे से 10 बजे रात तक दो फ़ेज की बिजली दी जाय जिससे ग्रामीण विद्युतीकरण का पूर्ण लाभ जनता को मिल सके। यह बहुत ही आवश्यक बात है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई टाउन एरियाज हैं जिनकी आबादी 10-10 हजार से अधिक हैं। जैसे उन्न, पक्की गढ़ी आदि। इनको बिजली देने का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। इनको भी दो फ़ेज की बिजली देनी चाहिये। जहां तक रेवेन्यू का संबंध है, मेरा निवेदन है कि बिजली की चोरी से उस पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। जहां तक रेवेन्यू कलेक्शन का मामला हैं, इस तरह की शिकायत मिली हैं कि किसानों से तो जबरदस्ती पैसा इकट्ठा कर लिया जाता हैं लेकिन जो उद्योगपति हैं, प्रभावशाली लोग हैं, उनसे इस पैसे को इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। उनकी किश्त भी बड़ी-बड़ी कर देतेहैं। जिस तरह से छोटे-छोटे किसानों से बिजली का पैसा वसूल किया जाता है उसी तरह से बड़े-बड़े उद्योगपतियों और प्रभावशाली लोगों से भी वसूल करना चाहिये। बिजली चोरी के सिलसिले मैं अगर बड़े-बड़े उद्योगपतियों पर प्रभावशाली ढंग से कार्यवाही की जाय तो वे कभी भी चोरी न करें। धन्यवाद।

*श्रीमती गौरी देवी--

मान्यवर, मैं आपका बहुत ज्यादा आभारी हूं कि आपने मुझे इस कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, एक-एक साल के अन्दर तीन-तीन, चार-चार बार जिस विभाग के मंत्री बदल दिये जायं, उस विभाग पर सरकार का कितना नियन्त्रण रह सकेगा, इसको हर आदमी आसानी से समझ सकता है। टेक्निकल मामले मै राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ता जाता हैं। ऐसी स्थिति मै यह विभागलूंज-पूंज हो जायेगा, खींचतान बढ़ जायेगी और इसका असर उत्पादन पर भी पड़ेगा।

अब मैं ऊर्जा के संबंध में कुछ कह दूं। विकास के लिये बिजली बहुत आवश्यक है परन्तु विद्युत् विभाग आवश्यकता के अनुसार अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने मैं बहुत पीछे है। ग्रामीण विद्युतीकरण के नाम परतमाम खम्भे और तार दौड़ा दिये गये हैं परन्तु बिजली नहीं दी गयी है। हजारों नलकूप बिजली के अभाव से बेकार पड़े हुए हैं। यह सरकार बड़े-बड़े उद्योगों के लिए भरपूर बिजली देती है लेकिन दूसरी तरफ बिजली के अभाव में किसानों के खेत सूख जात हैं।.....

---

*वक्ता नें भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती गौरी देवी---]

नये उद्योगों को भी बिजली पाने के लिये बिजली विभाग के कितने चक्कर काटने पड़ते हैं। मंत्री जी जनता को गुमराह करते हैं। सब से ज्यादा अन्धेरा गांवों में है। जहां शहरों में एक छोटी सी दुकान में जनता की आंखों को धोखा देने के लिये दर्जनों ट्यूब लाइट जलायी जा रही है वहीं गांवों मे सिर्फ चार घण्टे बिजली मिल जाती है। मान्यवर, इसीलिए फालतू बिजली खर्च हो जाती है। इसलिये बीस वाट के साधारण बल्ब, एक मरकरी राड, से अधिक बिजली लगाने की अनुमति न दी जाय। घाटा उठाने वाले निगमों में विद्युत परिषद् का नाम सब से ऊपर है। विगत वर्ष एक अरब 88 करोड़ का घाटा हुआ है। एक अरब से अधिक रुपया बकाया है जिसे वसूल करने में सरकार असक्षम है। विद्युत परिषद् की गड़बड़ियों के लिये एक समिति बनाई जाय। बिजली की चोर बाजारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। विभागीय क्षतिपूर्ति बिजली कागजों में दुगुनी, तिगुनी, दिखाई जाती है जिससे उपभोक्ताओं को फर्जी कनेक्शन देने में आसानी होती है और विद्युत उत्पादन केन्द्र में भारी मात्रा में घपले की बार-बार गुंजाइश रहती है इसलिये चोर बाजारी और फर्जी कनेक्शन को रोकने के लिये डिविजन स्तर पर एक गैर सरकारी समिति बनाई जाय जो चोर बाजारी या फर्जी कनेक्शन या बिजली विभाग की गड़बड़ियो की सूचना शीघ्र शासन को दे।

सरकार हारेजन बस्तियों, नलकूपों एवं विद्युतिकरण का ढिंढोरा पीटती है। हरिजनों का बिजली से अधिक खर्च मीटर पर होता है। पूंजीपतियों को विद्युत गृह के निर्माण के लिये सरकार जो निमंत्रण देने का विचार कर रही है यह बड़ा ही खतरनाक है और इस से प्रदेश की अर्थ व्यवस्था पर असर पड़ेगा और किसान का उत्पादन रूक जायगा।

गोरखपर जनपद में राप्ती और रोहिणी के माध्यम से विद्युत गृह निर्माण की चर्चा बहुत दिनों से थी परन्तु राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण रोक दिया गया है। उस पर कार्य आरम्भ कराया जाय। रोहणी तापीय बिजली गृह के निर्माण में विलम्ब हो रहा है। इस पर शीघ्र काम हो।

श्रीमन्, बिजली देने पर विशेष ध्यान दिया जाय। गावों में किसानों को 24 घंटे बिजली देने की ओर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। छोटे कर्मचारी के वेतन में उतनी वृद्धि नहीं हुई है जितनी अधिकारियों, अभियन्ताओं के वेतन में की गयी है जिससे उनमें असंतोष है।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

(श्री राम कुमार भार्गव का नाम पुकारे जाने पर)

एक सदस्य---

मैं बहुत देर से बोलने के लिये आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था।

श्री उपाध्यक्ष---

मेरे ध्यान को नहीं, मेरी आंख को आकर्षित करना होगा और उन्होंने आकर्षित किया। आप विराजें।

(समय 2 बजकर 57 मिनट)

श्री राम कुमार भार्गव---

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट मांगों के समर्थन में मुझे बोलने का मौका दिया है। मान्यवर,सबसे पहले में उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य मंत्री, और विद्युत मंत्री को बधाई दूंगा कि एक बड़े अर्से से जो एक

मांग चली आ रही थी विद्युत् बोर्ड के पुनगर्ठन करने की, उस मांग को उन्होंने पूरा किया है और उसका नतीजा भी सामने आया है कि जहां अक्टूबर, 1981 में थरमल द्वारा विद्युत् उत्पादन क्षमता 1 करोड़ 90 लाख यूनिट था वहां फरवरी 1982 में 2 करोड़ 60 लाख यूनिट हो गया । यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि का कार्य है और इसके लिये निःसंदेह मंत्री जी बधाई के पात्र हैं ।

मान्यवर, इसके साथ ही मैं कुछ मुद्दे माननीय मंत्री जी के सामने आपके माध्यम से रखना चाहता हूं । आपके उत्पादन में जितनी वृद्धि हुई है उसके अनुपात में ग्रामीण अंचलों में उपभोक्ता को उतनी विद्युत् नहीं मिल पा रही है । आप फैक्टरियों में बढ़ा रहे हैं, और जगह बढ़ा रहे हैं लेकिन ग्रामीण अंचलों में पूरी बिजली नहीं दे पा रहे हैं । हो सकता है इसकी कोई वजह हों । हमारी इस सरकार को जनता पार्टी के कुशासन और भ्रष्टाचार से लिप्त विद्युत बोर्ड मिला था जिसकी सफाई करते-करते आप चले आ रहे हैं। फिर भी अभी उसमें कमी रह गई है । जनता शासन में वे नई यूनिटें नहीं लगा पाये थे जिसका नतीजा हम सबको भोगना पड़ रहा है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अन्दर 5 करोड़ यूनिट की प्रतिदिन मांग है और आपका उत्पादन 3 करोड़ 20 लाख यूनिट प्रतिदिन है और उसमें भी मांग अभी बढ़ती चली जा रही है । इस हिसाब से सन् 1990 में 1400 मेगावाट की क्षमता कम हो जायेगी । इसके लिये माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने 13 प्रोजेक्ट सेन्टर से मांगे हैं । मैं मांग करता हूं माननीय मंत्री जी उन प्रोजेक्ट को शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृति प्रदान करायें जिससे कि जो हमारी मांग है उसकी पूर्ति हो सके और हम उतनी विद्युत उत्पादित कर सकें । इसके अतिरिक्त इनका निर्माण कार्य भी युद्ध स्तर पर होना चाहिए ।

कटौती के प्रस्ताव को रखते हुये हमारे माननीय राय साहब ने हिन्डालको के संबंध में बात कही और आरोप लगाया कि कांग्रेस का हिन्डालको के प्रति बहुत प्रेम है । प्रेम तो इस बात से दिखाई देता है कि आपके जमाने में ग्रिड पर न्यूट्रल करने के बाद भी हिन्डालको को 15 मेगावाट तक डाइरेक्ट विद्युत् सप्लाई की जाती थी । यह करिश्मा आपका था । मेरा स्पष्ट आरोप है, आप लिस्ट मंगाकर देखलें तत्कालीन दोनों विद्युत मंत्री, शाहीसाहब और रेवती रमण जी, दोनों के रिश्तेदारों की भरमार हिन्डालको में काम करने वालों में से हैं । यह देखने की बात है , और भी उदाहरण हैं । इसके अतिरिक्त मान्यवर, एक ऊंचाहर वाली बात कही गई । मान्यवर, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसको आप गम्भीरता से लें । यह योजना प्रथम चरण में 210 मेगावाट की दो इकाइयों में लगनी थीं लेकिन पौने दो महीने में एक ईट भी नहीं लगी । मैं मांग करता हूं कि वहां पर विद्युत उत्पादन निगम जिसको यह योजना सौंपी गई है उसको फिर से विद्युत् बोर्ड के अन्तर्गत दे दे । क्योंकि उसके पास विद्युत इंजीनियरों और विशेषज्ञों की कमी है, वे इस योजना को कामयाब नहीं कर सकते हैं । वे पांच-छः वर्ष में 7/8 सौ मेगावाट की क्षमता कर सकते है इसलिए उसको फिर से विद्युत बोर्ड में ले लिया जाय ।

मान्यवर, बोर्ड में जो इंजीनियर्स या जूनियर इंजीनियर्स की जो यूनियन्स हैं या दूसरी कर्मचारियों की यूनियंन्स हैं, उनसे जिलास्तर पर कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं । बहुत सारी यूनियंन्स हैं मजदूरों की अलग हाइड्रो इलैक्ट्रिक कर्मचारियों की अलग यूनियन्स हैं और उसमें भी पांडे ग्रुप और मिश्रा ग्रुप अलग अलग हैं तो इससे एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा हो गयी है इसमें कुछ राजनीतिक मांग भी प्रस्तुत हो गयी हैं । तो इन सब को एक करने के लिये सोचने की आवश्यकता है । यह सही है कि हमारे यहां लोकतन्त्र है तो उसके अन्तर्गत क्या कार्यवाही कर सकते हैं जिससे इन यूनियन्स की वजह से हमारे उत्पादन में कमी न आये अगर हमारे विद्युत उत्पादन में कमी होती है तो यह देश के साथ बड़ा भारी अन्याय

[श्री राम कुमार भार्गव---]

होगा। अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि कभी बिजली लगजरी में थी लेकिन आज वह नेसेसिटी हो गयी है यह सही है। हमारे प्रधान मंत्री जी ने इस वर्ष को उत्पादन वर्ष बनाने का नारा दिया है। उत्पादन किसी भी स्तर का हो उसमें बिजली की आवश्यकाता होती है तो अगर हम मिलों और कारखानें में बिजली नहीं दे पायेंगे, तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा।

मान्यवर, मैं कु छ सुझाव दूंगा आपके थरमल प्रोजैक्ट जो चल रहे हैं उनको स्वतन्त्र कर दीजिये। उनमें अच्छे टैक्नीशियनन्स, विशेषज्ञ ले आइये जैसे आपने मि0 सान्याल को तीन वर्ष के लिये बुलाया, उसी तरह इनमें भी विशेषज्ञ इंजीनियर्स तीन वर्ष के बांड पर रख दीजिये। इसी तरह जैसा आपका ध्येय है कि थरमल उत्पादन बढ़े उसके लिये आप ऐसा कर दीजिये कि जहां 50 परसेंट से अधिक उत्पादन हो वहां के कर्मचारियों को कुछ इन्सेंटिव दीजिये उसे चाहे इनाम कहिये या बोनस कहिये और जहां 50 परसेंट से कम उत्पादन हो वहां के कर्मचारियों का इनक्रीमेंट रोक दीजिये। थरमल प्रोजेक्ट को स्वतन्त्र करने की बात मैंने इसलिये कही कि जो छोटे-छोटे कलपुर्जे उनको खरीदने पड़ते हैं उनके लिये यहां से परमीशन लेनी पड़ती है। अगर वह स्वतन्त्र निगम बन जायेगा तो यहां पूछने की जरुरत ऐसे कामों के लिए नहीं होगी।

मान्यवर, एक योजना थी कनहर नहर की। मैं एक मिनट में खतम कर रहा हूं। मान्यवर, मिर्जापुर में रहैंड डैम में पानी की कमी होने से हमारा विद्युत उत्पादन कम हो जाता है तो उसके लिये रिहन्द में पानी डालने के लिये यह योजना कनहर नहर की बनाई गयी थी लेकिन यह योजना फाइलों में दबी पड़ी है, इसको आप पुनर्जीवित करें। इस योजना के लागू न होने की वजह से कई करोड़ रु0 का नुकसान हो रहा है।

अन्त में मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहकर समाप्त करता हूं। पहले तो मैं विद्युत मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे यहां बिसवां में एक सब-स्टेशन बना दिया जो शीघ्रातिशीघ्र काम करना शुरू कर देगा। मगर एक दूसरा सकरन ब्लाक है उसके ब्लाक हैडक्वार्टर तक में बिजली नहीं है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि वहां की जनता का क्या हाल होगा। मैं मांग करूंगा कि हमारे सकरन ब्लाक में जल्दी बिजली पहुंचाने का प्रबन्ध कर दें। इन शब्दों के साथ विद्युत मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताब का घोर विरोध करता हूं।

*श्री कुबेर भंडारी---

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे विद्युत के बजट पर बोलने का अवसर दिया हैं मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मुझे मंत्री जी पर तो सन्देह नहीं है लेकिन सरकार की जो पालिसी है और उनकी जो पलटन है उस पर सन्देह है। अधिकारीगण इतनी बदमाशी कर रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। इनकी सरकार ने जो गलत पालिसी बनाई है उसके बारे में मैं बताऊंगा। इनकी सरकार पूंजीपतियों से सांठ-गांठ करके उनको कम पैसे में बिजली देती है और जो गांव का किसान है उसको महंगी बिजली देते हैं। इनकी पलिसी ही गलत है। मैं मंत्री जी पर आक्षेप नहीं करता हूं लेकिन इनकी सरकार पर मेरा विश्वास नहीं है। यह सरकार किसानों के साथ धोखाधड़ी करती है, उद्योगों को चलाने के लिए रात और दिन बिजली देते हैं लेकिन किसानों को रात में बिजली देते हैं और शीतलहरी में किसान ढंड से मर जाता है।

इनके अधिकारियों ने कनेक्शन काट लिये हैं, बिजली नहीं दे पा रहे हैं, उनकी भी वसूली आजतक जारी है। मेरी मंत्री जी से यह शिकायत है और मैंने की थी कि उन्होंन उसको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सुधारने का प्रयास नहीं किया है । लेकिन अधिकारीगण उन्हें उल्टा सीधा समझा रहे हैं, जिसे मंत्री जी भी नहीं समझ पा रहे हैं । इनके अधिकारीगण गुंडा पाले हुये हैं । देवरिया में जहां पावर हाउस है कहां पूरे जिले के गुंडा लोग इकट्ठा होते हैं । हर जगह के क्रिमिनल लोग बिजली विभाग के लोगों के यहां आकर ठहरते हैं । एक इनका सरदार है, हमारे जिले में जहां भी कहीं कत्ल होता है, बिजली विभाग के लोग वहां जाकर अपराधियों का बचाव करते हैं । मेरा सुझाव है कि आप मीटर लगायें । लेकिन जो पहले वित्तमंत्री ब्रह्मदत्त जी रहे, उनसे हमने कहा था कि किसानों को उससे नुकसान होगा । वहां न मीटर लगा है न बिजली मिल रही है, लेकिन बिल वसूली जा रही है । किसान को नान-बिजली के कारण भारी परेशानी होती है , न उसकी फसल का सिंचन होता है न जुताई आदि हो पाती है । पूंजीपतियों को तो देने के लियें इनके पास बिजली है, लेकिन किसानों के लिये इनके पास बिजली नहीं है ।पूंजीपतियों को हर तरह से उसमें छूट भी दी जाती है, जिसमें जनता पार्टी के जमाने में थोड़ी रोक लगी थी, वह फिर चालू हो गई है और ज्यादा बढ़ गई है ।

मंत्री जी अपनी पलटन पर अवश्य अंकुश लगायें, अन्यथा वह न केवल किसानों को खा जायेंगे पूरे देश को खा जायेंगे । इस विभाग के इनके जो छोटे-छोटे कर्मचारी हैं वे बिना पैसा लिये कोई काम नहीं करते हैं । हाटा में एक पांडेय इंस्पेक्टर है, वह बिना पैसा लिये किसी को बिजली नहीं देता है । यदि कोई वहां आपका आदेश भी लेकर जाता है तो भी नहीं देता है । देता भी है तो काट देता है और दुबारा पैसा मिलने पर ही कनेक्शन जोड़ता है । मंत्री जी आप भोले भाले हैं, लेकिन आपका विभाग और आपकी पलटन बहुत खतरनाक है, उसको यदि आप काबू में नहीं करते हैं तो यह पूरे देश को आपको और हमें भी बर्बाद कर देंगे । आज गांवों में सिंचन करने के लिये बिलकुल बिजली नहीं मिल पा रही है । 4-4 और 8-8 दिन हमारी टाऊन एरिया में बिलकुल बिजली नहीं जा रही है । फिर भी वसूली के लिये बिल बढ़ा चढ़ा कर भेजा जा रहा है और देने में जरा पिछड़ गया तो प्लान्टी भी लग जाती है । बिना उसकी गल्ती के उसको विभाग द्वारा दंडित किया जाता है और रुपया वसूला जाता है, जिसकी कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। इस तरह से आपके विभाग में धांधली है । आप चाहें तो यह ठीक हो सकता है, लेकिन आपको हिम्मत करनीप्पड़ेगी । सन् 74 में कांग्रेस–आई के, सत्तारूढ़ दल के एक विधायक श्री सुरेन्द्र मिश्र जब विद्युत विभाग में अपनी शिकायतों के संबंध में गये थे तो उनकी कर्मचारियों के साथ तू-तू, मैं-मैं हो गई, जिस पर उनकी कर्मचारियों द्वारा मरम्मत कर दी गई, उनको मारा पीटा गया । जिसके विरोध में विधायक जी ने चार दिनों तक वहां अनशन किया । जब यहां से लोग गये तो उन्होंने अनशन छोड़ा, लेकिन उन दोषी कर्मचारियों का कुछ नहीं हुआ । यहां इनके यहां गुंडों की फोर्स है । किसानों को और छोटे उद्योगों को तो बिलकुल बिजली नहीं देते हैं । देवरिया जिले में चीनी मिल हैं , उनको आप बिजली नहीं दे रहे हैं । लगता है किसान गन्ना बिलकुल पेर नहीं पायेंगे । कहीं बिजली का अभाव है, तो कहीं पर्चों की गड़बड़ी हो रही है । जिनके पास गन्ना नहीं है उनको पर्चों दी जाती हैं खैर यह तो गन्ना विभाग की गड़बड़ी है, ठीक होती रहेगी लेकिन अगर मंत्री जी अपने अधिकारियों के ऊपर अंकुश नहीं रखेंगे तो ये उल्टी सीधी किताबें बनाकर यों ही करते रहेंगे ।

इनके विभाग में हरिजनों को कोई स्थान नहीं दिया जाता है । आपकी सरकार ढिंढोरा तो बड़ी पीटती है लेकिन हरिजनों को विभाग में कोई स्थान नहीं दिया जाता है । इसी विभाग में इतनी लापरवाही देखने को मिली है कि हरिजनों का एक भी आदमी नहीं है । आप दिखवा लें, विभाग में कितना घोर अन्याय हो रहा है । इंदिरा जी जब आयीं थीं तो उन्होंने भी कहा था कि वे विभाग के अधिकारियों से खुश नहीं है । तो जब आपकी प्रधान मंत्री ही इनसे नाराज हैं तो इनको तो जेल मे ही रखना चाहिये, उनको बाहर रखने की कोई जगह नहीं है, उनको तो जेल में ही रहना चाहिये । अगर आपके विभाग के अधिकारी

[श्री कुंबर भंडारी]

ठीक से कार्य करें तो साल भर का आपका खर्चा यों ही निकल आये। आपके अधिकारी लोग व कर्मचारी बिजली के प्रयोग में काफी घपला कर रहे हैं। अपने घरों में बिजली अनधिकृत रूप से लगाये हुए हैं। अभी कुछ दिन पूर्व कुछ पुलिस वाले पकड़े भी गये थे। ये लोग कनैक्शन लिये हुए हैं लेकिन कोई पेमेंट नहीं करते हैं लेकिन गांवों में जिन लोगों ने मशीन खरीद ली हैं, वायरिंग करा लिया है, उनको कनैक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। और सबसे आश्चर्यकी बात तो यह है कि उनसे वसूली भी बराबर की जा रही है। अगर गांव में रहने वाले 80 प्रतिशत लोग इसी तरह से त्रस्त रहेगें तो वे कैसे खेती का उत्पादन बढ़ा सकेंगे? छोटे उद्योगों को बढ़ाने के लिये आप छोटे-छोटे लोगों को लें लेकिन अगर आप बड़े लोगों को लाइसेन्स देंगे तो कैसे वे पनपेंगे। विद्युत के उत्पादन तब तक नहीं बढ़ सकता है जब तक आप अपने अधिकारियों और कर्मचारियों पर अंकुश नहीं लगायेंगे। इस सरकारी का तो भट्टा बैठ ही रहा है यह हमारे गांव वालों का भी भट्टा बैठा रही है।

मेरी प्रार्थना है कि आप अपने दल के ही 4 विधायकों की एक समिति बना दें जो गांवों में जा कर देखें कि कब उन्हें बिजली दी जाती है, एक-एक हफ्ते उनको बिजली नहीं दी जाती है, उनके यहां पर मीटर भी नहीं लगे हैं। लेकिन फिर भी उनसे रुपया वसूला जाता है। देवरिया जिले में अगर 25 प्रतिशत ट्यूबवेल्स चल रहे हैं तो 75 प्रतिशत कनेक्शन कटे हुये पड़े हैं, लेकिन उनसे वसूली बदस्तूर जारी है। इसके बारे में आप शिकायत भी पाये होंगे लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुयी। आप जो समिति बनाये वह जाकर देखे कि गांवों में कितनें परसेन्टेज बिजली दी जा रही है, कितने घन्टे और कितने दिन बिजली दी जा रही है। आपके विभाग का एक छोटा सा अधिकारी इन्सपैक्टर होता है। अगर आप जाकर उसको चैक करें तो पायेंगे कि उसकी सम्पत्ति लाखों रुपये की है। लेकिन किसान जो अपनी पूंजी भी लगाये हैं, उसको उनके द्वारा कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है। आप जाकर देखें मेरे यहां पर कुछ लोग धरना दिये हुये हैं और यह निश्चित है कि वे वहां से मर कर ही जायेंगे गोमती में उनको दफन कर दिया जायेगा। आपकी सरकार की ओर से उनको कफन भी नहीं दिया जायेगा। तो विद्युत् विभाग में जो घपले हैं, उनको रोकने के लिये मैं मांग करता हूं कि आप सदन की एक कमेटी बिठा दें, उसमें आप हमको रखें न रखें, सत्ता पक्ष के लोगों को ही उसमें रख दें। आपकी नौकर शाही आपको उल्टा सीधा समझाकर नाजायज फायदा उठा रही है। अगर इस विभाग में घपलों को न रोका गया तो किसान उजड़ जायेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी--

मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप ने मुझे माननीय उर्जा मंत्री जी के बजट पर बोलने का अवसर दिया मैं इसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं मैं इस बजट का हार्दिक स्वागत करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं में मंत्री जी की काफी तारीफ भी करना चाहता हूं कि वे काफी लगन से काम कर रहे हैं।

मान्यवर, लखनऊ में लेसू पावर हाउस को अब लेसा बनाया जा रहा है जिस पर करीब 20 लाख रुपया सालाना व्यय होगा। यह रुपया बेकार ही जायेगा। सिर्फ इसमें अफसरों की तरक्की कर दी जायेगी, उनको मोटर टेलीफोन आदि दे दी जायेगी, और कुछ होने वाला नही है। कुछ चपरासी भी बढ़ा दिये जायेगे। इससे कुछ फायदा होने वाला नही है। इसकी जगह अगर पम्पजमैन, लाइनमैन और लेबरर्स को बढ़ा दिया जाये तो उससे काफी लाभ होगा।

जिन अफसरों के पास दिन रात का काम नहीं है या बहुत कम है उनसे गाड़ियां ले लेना चाहिये और उनको टेलीफोन भी न देना चाहिये। कार खरीदने के लिये उनको लोन दे देना चाहिये जिससे कि वे गाड़ी खरीद सकें ।

मैं बिजली की चोरी की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा । आज बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी हो रही है जिसमें आफिसरान काफी हद तक शामिल हैं । इसको रोका जाना चाहिये नये कनेक्शन देने में आफसरान मनमानी करते हैं, जिनको चाहते हैं वे नया कनेक्शन देते हैं, जिसको नहीं चाहते मना कर देते हैं । ऐसा नहीं होना चाहिये । इससे जनता को काफी परेशानी होती है ।

लखनऊ में बजट का 75 प्रतिशत भाग नये लखनऊ में खर्च किया जाता है और बाकी 25 प्रतिशत पुराने लखनऊ पर खर्च किया जाता है । जब कि पुराने लखनऊ पर विशेष ध्यान देने की जरुरत है । मैने इस ओर इससे पहले भी 29 सितम्बर, 1980 के इस सदन के माध्यम से ध्यान दिलाया था । हमारे पुराने लखनऊ में टिकैतराय तालाब एक सब-स्टेशन है जहां पर काफी समय से स्वीचगेयर्स खराब पड़े हैं । वहां पर 3 स्वीचगेयर्स खराब हैं जिनको बदलने की जरुरत है । इसके कारण दिन पर दिन वहाँ की स्थिति खराब होती जा रही है । पुराने लखनऊ के साथ इन्साफ नहीं किया जा रहा है लखनऊ में करीब एक लाख बिजली कनेक्शन हैं जिसमें 40 हजार नये लखनऊ में हैं और 60 हजार कनेक्शन पुराने लखनऊ में हैं । फिर भी नये लखनऊ की ओर भी ज्यादा ध्यान दिया जाता है । 33 के0वी0 की नये लखनऊ में 4 सब-स्टेशन हैं जब कि पुराने लखनऊ में केवल 3 ही हैं । ट्रान्सफार्मर्स भी 200 नये लखनऊ में हैं और पुराने लखनऊ में 75 ही हैं । फीडर लाइन 30 नये लखनऊ में हैं और 8 पुराने लखनऊ में हैं । पुराने लखनऊ में 800 कनेक्शन्स पर एक ट्रान्सफार्मर है और नये लखनऊ में 200 कनेक्शन पर एक है । स्वीचगेयर भी 3 हजार कनेक्शन पर एक पुराने लखनऊ में है और 500 कनेक्शन पर एक नये लखनऊ में है । नये लखनऊ में इसलिये ध्यान दिया जाता है क्योंकि यहां, पर वी0 आई 0 पी0 रहते हैं ।

पुराने लखनऊ की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है । इसके अलावा डा0सी0 से ए0सी0 लाइन बदलने का जो काम किया जाना था और लाइनों की ओवरहालिंग जो की जानी जानी थी, उसको भी रोक दिया था, तो वह भी काम आजकल बन्द पड़ा हुआ है। तरह से कोई काम पुराने लखनऊ की ओर नहीं किये जा रहे हैं, बल्कि उसका रुपया नये लखनऊ की ओर खर्च किया जा रहा है। मैं इस सदन के माध्यम से आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि आप कम से कम पुराने लखनऊ की तरफ ध्यान दें । मैने कई पत्र भी इस संबंध में आपको दिये थे । लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं हो पाई । मैं उम्मीद करता हूं कि इस सदन के माध्यम से जो मैने पुराने लखनऊ की तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया है, इस ओर आपका ध्यान रखेंगे और पुराने लखनऊ को वह सुविधा देने की कृपा करेंगे जो सुविधा आप नये लखनऊ को आप दे रहे हैं । इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस बजट का हार्दिक स्वागत करता हूं ।

*श्री मुख्तार अनीस––

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विद्युत विभाग के संबंध में हम लोग यह चर्चा कर रहे हैं । इसका महत्व यही है कि यह एक ऐसा विभाग है जिसमें कई विभागों की पूंजी लग रही है , विद्युत और सिंचाई, इनके ऊपर सारा बल है और राज्य सरकार का 55 प्रतिशत धन इन दोनों विभागों पर व्यय हो रहा है । विद्युत विभाग की आज जो स्थिति है वह शोचनीय होती चली जा रही है ।यह वर्ष 1982 प्रधान मंत्री ने उत्पादक और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मुख्तार अनीस]

औद्योगिक विकास का वर्ष घोषित किया है। जब उन्होंने यह वर्ष घोषित किया है और उद्योग बंधुओं से अपील कर रहे हैं, माननीय मुख्य मंत्री कि उत्तर प्रदेश के अन्दर आप उद्योग को लगाये। ऐसी स्थिति में विभाग के अन्दर कोई सुधार आयेगा, ऐसी हम लोग उम्मीद करते थे। लेकिन हो क्या रहा है ? एक तरफ आप उद्योग बंधुओं को उद्योग लगाने के लिये कह रहे हैं और दूसरी ओर आपने कहा, जो विद्युत है इस समय जो मौजूदा विद्युत की जरुरत है, उससे 30 परसेंट कम है। आपके विद्युत बोर्ड के चेयरमैन ने साफ-साफ कह दिया कि 85 तक यह कमी बनी रहेगी तो आप किस आधार पर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है तथा सारे उद्योगों की बिजली की कटौती हो रही है। 55 प्रतिशत सार्वजनिक उद्योगों के अन्दर इन्होंने बिजली की कटौती कर रखी है। खाद के कारखानों पर सीमेंट के कारखानों पर, जहां पर कभी भी बिजली की कटौती नहीं हुई, इस सरकार ने उस पर भी बिजली की कटौती कर दी।

इस विभाग की गड़बड़ी की हालत यह है कि डेढ़ वर्ष के अन्दर 9–9 मंत्री यहां पर बैठाले गये विद्युत के अन्दर, कोई विभाग का सुधार नहीं हुआ। आपने एक इम्पोर्टेड आदमी को, जो टाटा कंसल्टेट कम्पनी में नौकरी करने के लिये गये, उनको यहां पर लाकर चेयरमैन बना दिया और चेयरमैन इस शर्त पर बनायाकि अगर उनको हटाया जायगा, तो तीन वर्ष का वेतन माननीय राज्य मंत्री आप उनको देंगे। इन शर्तों के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में क्या सुधार हुआ है ? क्या गांवों मे बिजली मिल रही है ? क्या उद्योगों को, क्या किसी आदमी को आप बिजली दे रहें हैं भ्रष्टाचार आपके विभाग में बढ़ता जा रहा है और यह चिन्ता का विषय है, जिसके बारे में, आप नवजवान हैं, मैं आप से आशा करता हूं कि आप इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे पिछले 22 वर्ष के अन्दर इस विभाग के अन्दर जो घाटा हुआ है, उसके बारे में मै बताना चाहता हूं। 8 अरब रुपया तक का घाटा इस विभाग का हो चुका है। प्रतिवर्ष 40 करोड़ का व्यापक घाटा उत्तर प्रदेश के ऐसे कंगाल और गरीब सूबे को देता है। आज यह विभाग उत्पादन बढ़ाने का नहीं, उत्तर प्रदेश के गरीब और कंगाल के ऊपर एकबोझ बन कर रह गया है, उसको माननीय राज्य मंत्री आपको ठीक करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार लोकतंत्र में होता है और लोकतंत्र के अन्दरभ्रष्टाचार को बड़ी सीमा तक रोका जा सकता है। लेकिन यहां पर भ्रष्टाचार पूरे आपके प्रशासन पर हावी हो चुका है। आज स्थिति क्या है ? पिछले साल, दो साल के अन्दर डेढ़ करोड़ रुपये के ट्रान्सफार्मर की चोरी हुई है।

इन चोरियों को रोकने के लिये आपके विभाग ने क्या व्यवस्था किया। मैं सीधा प्रश्न करना चाहता हूं। आपके विभाग के अन्दर कमीशन बड़े पैमाने पर खाया जा रहा है उसका यही कारण है कि जिन सामानों की आवश्यकता नहीं होती है, इन्सूलेटर की जरूरत नहीं है लेकिन आप खरीद रहे हैं, ट्रांसफारमर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन खरीद रहे हैं, खम्भों की जरूरत नहीं है, खरीद रहे हैं, इसका कारण यह है कि वड़े बड़े–2 अधिकारी कमीशन खाते हैं। उनको इम्पोर्टेड गाड़ियों में घूमना है। आपका विभाग भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। यह विभाग 8 मंत्रियों को ले चुका है शास्त्री जी कहीं ऐसा न हो कि आपको भी बिना पतवार के बहा ले जाय।

मान्यवर, बड़े जोरशोर से कहा गया कि ऊंचाहार का विद्युत उत्पादन केन्द्र जो है जहां 5 सौ मेगावाट बिजली पैदा होगी इसको वर्ष 80 तक चला देंगे लेकिन क्या चला पाये। आप नये–नये विद्युत् केन्द्र खोलते चले जा रहे हैं। थोथे वादे आप जनता से करते हैं। मान्यवर, आपने उत्पादन केन्द्रों को चेक करने के लिये मैनेजमेंट आफ इन्फारमेशन कमेटी बनाई। आपने कितनी बिजली उत्पादित हुई इसको देखने के लिये कम्प्यूटर लगाया लेकिन क्या अमल हुआ। माननीय मंत्री जी मैं सीधा जबाब चाहूंगा कि इससे क्या सुधार हुआ। आज किसी

उद्योग को किसान को बिजली नहीं मिल रही है, सरकारी उद्योगों को भी बिजली नहीं मिल रही है, बिजली कहां जा रही है । मान्यवर, आधी बिजली को चोरी होती है, झूठ और गलत कनेक्शन लगे हुए हैं और आप उनको रोक नहीं पा रहे हैं । आपको इस विभाग पर अंकुश लगाने को आवश्यकता है । जनता सरकार में यह तय हुआ था कि उत्पादन और वितरण को अलग-2 हाथों में दिया जायेगा । आज 2 साल हो रहा है आपने इस योजना को मंत्री जो क्यों लागू नहीं किया । उत्पादन का अलग विभाग और वितरण का अलग विभाग । विद्युत् बोर्ड चन्द लोगों के हाथों में है, आप इसको उन लोगों को जबसे निकलने की कोशिश क्यों नहीं करते । यह शर्म को बात है ।

मान्यवर, यहां बिड़ला को बात हुई, आपको कोयला अच्छा मिल रहा है, उत्पादन क्यों नहीं हो रहा है, बिड़ला रेनूसागर में 2 सौ मेगावाट अधिक पैदा करके दिखा दिया, आपके अधिकारी कैसे हैं । जो क्षमता है उसके अनुसार यह पैदा क्यों नहीं कर पाते हैं । यह समस्या प्रदेश को है, इसमें सत्तापक्ष या विपक्ष का सवाल नहीं है । आपने अगर मन में संकल्प किया है कि इसको ऊंचा उठाना है तो हम सब लोगों को विद्युत् बोर्ड के इस सफेद हाथी को ठोक करना होगा । जो किसी अफसर को टिकने नहीं देते, किसी सेक्रेटरी और किसी मंत्री को रहने नहीं देते । आपका चेयरमैन तो कहता है बिजली सेक्रेटरी क्या होता है । वह शुकरात बने घूमते रहते हैं । मंत्री जी को वह अपनी कुर्सी पर बैठकर बेटा कहते हैं । क्या तमीज है इसको । इन्होंने क्या क्षमता दिखाया, विद्युत् बोर्ड में क्या सुधार हो गया । में यह प्रश्न पूछना चाहता हूं । मैंने सैकड़ों बार चिट्ठी लिखी । मैं जनरल भाषण मे क्षेत्रकी बात नहीं करता क्योंकि उत्तर प्रदेश क्षेत्र से ऊपर है । मैंने कई बार पत्र लिखा सन् 1977 मे रेक्सा जो सीतापुर का पिछड़ा क्षेत्र है उसके लिये एक सब स्टेशन मंजूर करवाया था । आज मान्यवर, 82 हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर एक ईंट नहीं लगी है ।

इन्होंने कहा कि जमीन नहीं है तो हमने जमीन को व्यवस्था करा दिया इसी तरह पुल को व्यवस्था कराया लेकिन आजतक यह सब स्टेशन वहां नहीं बनवा पाये और बिस्वा (सीतापुर) में एक कांग्रेसी विधायक के कहने पर, जो मंजूर नहीं था लेकिन वहां बना दिया गया । तो मैं पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी क्या इसी आधार पर काम करना चाहते हैं । मान्यवर, तम्बौर, जिला सीतापुर मै, एक कस्बा है जहां अकेले 46 केशर और 14 आरा मशीने लगी हैं, हमने मंत्री जी पत्र लिखा कि इस कस्बे को ऐसी लाईन से जोड़ दें जहां 6-8 घंटे बिजली मिलती रहे लेकिन वह आजतक काम नहीं हो पाया । इसलिये आज बिजली कहां जा रही है उस पर सोचने को आवश्यकता है । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो घोषणायें करते हैं वह याद भी रखें ।

मान्यवर, इन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड का हम सुधार करने के लिये कर्मचारियों, अधिकारियों, सचिव और विद्युत् बोर्ड के चेयरमैन की सब को कमेटी बना देंगे जो विद्युत् बोर्ड की समस्याओं को हल करेगी और उसमें मंत्री जी भी बैठेंगे । तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वह कमेटी बनी और उसकी मीटिंग हुई । मान्यवर, आज जो इनके छोटे कर्मचारी हैं उनमें असंतोष व्याप्त है । इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह नहीं कि छोटे कर्मचारी काम न करें और सरकार उनके सामने झुकती चली जाय लेकिन घोषणा करने के पहले आपको इन सवालों पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये ।

अन्त में मैं मान्यवर, कहना चाहूंगा कि कटौती के प्रस्ताव का मैं समर्थन इसलिये कर रहा हूं कि बिजली बोर्ड को यह सरकार ठीक नहीं कर पायी है और किसानों एवं उद्योगों को बिजली नहीं दे पायी है तथा भ्रष्टाचार को नहीं रोक पायी है ।

*श्रीराम औतार दीक्षित--

मा० उपाध्यक्ष, महोदय, आपने मुझे जो बिजली के अनुदान पर बोलने की अनुमति दिया, उसके लिये मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं और साथ ही साथ मंत्री जो द्वारा रखे गये बिजली के अनुदान का समर्थन करता हूं। मान्यवर, अभी अभी हमारे विरोध पक्ष के साथी ने एक सुझाव रखा जिससे मैं अक्षरशः सहमत हूं। मान्यवर, बिजली इस प्रदेश की प्रगति का सबसे बड़ा सानिध्य है। जब तक इस प्रदेश में बिजली की आपूर्ति ठीक नहीं होगी, उत्पादन ठीक नहीं होगा, बिजली ठीक से नहीं मिलेगी तब तक इस प्रदेश की तरक्की कदापि नहीं होगी। मान्यवर, मुझे इस बात को कहने में हिचक नहीं कि इस प्रदेश की प्रगति को ऊंचा उठाने के लिये इस प्रदेश का विद्युत बोर्ड बहुत हद तक बाधक है। विद्युत के ही माध्यम से आज चाहे, कृषि चाहे उद्योग, चाहे घरेलू इस्तमाल की बात हो हर जगह हमें बिजली की आवश्यकता महसूस होती है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश के अंदर विद्युत के जेनरेशन और डिस्टीब्यूशन दोनों अलग-अलग होना चाहिये और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक इस बिजली की चोरी को कदापि नहीं रोका जा सकता है। जब इस प्रदेश की जनरेशन करने वालों का एक आंकड़ा हमारे सामने आयेगा कि इतनी बिजली उपलब्ध करायी है तभी डिस्टरीब्यूशन के ऊपर हमारा अंकुश हो सकता है।

मान्यवर, दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब हम जेनरेशन और डिस्टरीब्यूशन को अलग करेंगे तब जेनरेशन से संबंधित इंजीनियरों को प्राथमिकता देनी होगी और साथ ही साथ इनको कुछ विशेष उपलब्धियां भी देनी होंगी, इसलिये कि वह जेनरेशन का इंजीनियर 8 घंटे कान्टीन्यूस ड्यूटी हमारे किसी भी पावर हाउस में देता है। और जब जनरेशन के इंजीनियर 8 घंटे लगातार उनको ड्यूटी देनी पड़ेगी तो उनकी तनख्वाह आपको बढ़ानी होगी और उनको फैसिलिटीज देनी होगी। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जनरेशन के इंजीनियर्स का सेलेक्शन भी अलग कर दिया जाय ताकि जो डिस्ट्रीब्यूशन में इंजीनियर्स के जाने की होड़ मची है वह कम हो सके और लोग जनरेशन की तरफ प्रभावित हों। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं बिजली की चोरी की जाती है, यह चोरी क्यों होती है और किस प्रकार से इसको हमे अपने रोका जा सकता है इसके ऊपर हमें एक अंकुश लगाना होगा। हमें देखना होगा हमें अपने इंजीनियर्स से इस बारे में मशविरा करना होगा कि कौन सी प्रणाली अपनायी जाय, जिससे हम बिजली की चोरी को रोक सकें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में लगभग 42 ट्यूबवेल जिला हरदोई के अंदर शाहाबाद तहसील के भरथनी ब्लाक में लगे हैं लेकिन उनको बिजली नहीं मिली है जिसके कारण किसानों को पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसके पीछे जब हम तर्क में जाते हैं तो यह आभास होता है कि कोई न कोई कमी जरूर है। बिजली बोर्ड के बारे में मुझे जहां तक पता चला है उससे मालूम होता है कि करोड़ों रुपये की प्रापरटी बिजली बोर्ड परचेज करता है और लाखों रुपया बिजली बोर्ड रेलवेज को डैमरेज का पे करता है। मंत्री जी को इसके बारे में अंकुश लगाना होगा और बिजली प्रतिष्ठान को आदेश दें कि इस पर अंकुश लगाया जाय जिससे लाखों रुपयों सरकार का जो डेमरेज में चला जाता है उसको रोका जा सके। हमारे मित्र ने ट्रांसफरमर खरीदने की बात कही। इस विषय में मुझे केवल इतना ही कहना है कि निकट भविष्य में जब से मंत्री जीनेइस पद को संभाल है कोई ट्रांसफरमर नहीं खरीदा गया है। पिछले शासन काल में कुछ ट्रांसफारमर खरीदने की चर्चा हुई थी और उस चर्चा में काफी हद तक क्या रहा है मैं उस विषय को उठाना नहीं चाहता। एक बात तो बहुत मुनासिब है इसमें कोई दो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

राय नहीं हो सकती हैं कि इस प्रदेश में पिछले वर्षों की अपेक्षा बिजली में काफी प्रगति हुई है जिसके आंकड़े अभी माननीय मंत्रीजी ने अपने प्रस्ताव के साथ यहां सदन में कहे हैं । इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने प्रगति की है लेकिन वह प्रगति इतनी भरपूर नहीं है जिससे हमारा प्रदेश तरक्की कर सके । उन्होंने इस बात की आशा प्रकट की है और सदन को विश्वास दिलाया है कि प्रगति के लिये हम निरन्तर प्रयत्नशील हैं क्योंकि इस देश और प्रदेश की प्रगति बिजली पर निर्भर करती है ।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिये जो प्रतिनिधित्व की बात हमारी सरकार ने की है वह बहुत ही सराहनीय कदम है । हमारे प्रदेश की सेवा में सेवायोजन के अन्तर्गत हमने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिये सेवा में उनको काफी उपलब्धियां दी हैं यह अत्यन्त प्रशंसनीय काम हुआ है । साथ ही साथ हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के बारे में हम निरंतर प्रयत्नशील हैं । 17612 हरिजन बस्तियों के अंदर विद्युतीकरण कराया गया है । यह हमारे उस स्तर के लोगों के लिये जो समाज के निम्न-स्तर के हैं उनके लिये किया गया है जो सराहनीय है । हमारे यहां सबसे बड़ी प्राब्लम जो आज बिजली की उपलब्धता नहीं हो रही है प्रकृति ने हमारा साथ नहीं दिया है और ज्यादा वर्षा न होने के कारण हमारा रिहन्द खाली रहा और कुछ जलाशय खाली रहे और टरबाइन जलाशयों से पूरी तरह से टर्न ओवर नहीं ले सकीं तथा बिजली का उत्पादन जो पानी के द्वारा होता था, उसमें गिरावट आयी । इसमें दो राय नहीं कि जितना जल के द्वारा बिजली का उत्पादन होता है,उसमें गिरावट आयी है लेकिन उसके साथ ही साथ कोयले और ताप के द्वारा जो बिजली पैदा करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा प्रगति की है । उसी का माध्यम रहा है कि प्रदेश के हर वर्ग को, दो-चार घण्टे की कटौती का प्रश्न नहीं है, बिजली की आपूर्ति की गयी । उद्योग-धन्धों को और घरेलू लोगों को बिजली की आपूर्ति करने में कोई हिचकिचाहट नहीं आयी और बराबर उन लोगों को बिजली देने की कोशिश की है ।

अन्त में आपके माध्यम से मा0 मन्त्री जी से यही अनुरोध करूंगा कि आज जो बिजली का संकट है, उसको प्रगति की दिशा में लायेंगे और साथ ही साथ हमारे क्षेत्र में जहां कि बिजली के ट्यूबवैल्स सिर्फ बिजली न होने की वजह से पानी नहीं दे पा रहे हैं, उसकी ओर भी आप ध्यान दें क्योंकि लाखों और करोड़ों रुपयों की तादाद में सिंचाई विभाग ने उनको बनाने में खर्च किया है, उनको बिजली मिल सके और पानी का संकट दूर हो सके । अन्त में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री राम स्वरूप वर्मा--

बिजली उत्पादन के बारे में जो मेरा कटौती का प्रस्ताव है, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं और.....

श्री उपाध्यक्ष--

कटौती का प्रस्ताव पहले प्रस्तुत करना चाहिए था । चूंकि आपने इसे रक्खा है इसीलिए मैंने आपको समय दिया लेकिन कटौती के प्रस्ताव के ऊपर जो टाइम दिया जाता है,वह नहीं दे सकूंगा ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, समर्थन तो करूंगा ही कटौती के प्रस्ताव का ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राम स्वरूप वर्मा--]

मान्यवर, ऊर्जा कितनी आवश्यक है और यह सरकार कितनी विपथ गामी है, यह खेद का विषय है। सारा सदन चिन्तित है। सबने भीषण चिन्ता व्यक्त की है। ऊर्जा उत्पादन के मामले में सरकार पूरी तरह से निष्फल रही है। इस संबंध में दो आंकड़े दूंगा। विद्युत, उत्पादन 31 दिसम्बर, 1980 में 30.4 मिलियन यूनिट था, जो कि 31 दिसम्बर, 1981 को 33.1 मिलियन यूनिट था। यह लगा था कि कुछ वृद्धि हो गयी उत्पादन में। जहां तक 80 में 3145 मेगावाट थी, वह बढ़कर 3479 मेगावाट हो गयी 81 में। अगर इस हिसाब से देखा जाय तो विद्युत उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई, उत्पादन अपनी जगह ठहरा है और 40 प्रतिशत से नीचे ही रहा है।

वह विद्युत गृह 100 मेगावाट जिसकी उत्पादन क्षमता है, उसका रिकार्ड है कि 90 प्रतिशत से नीचे विद्युत उत्पादन होता ही नहीं है। मुनाफा तो बिड़ला को हो रहा है। जब दर बढ़ती है तो यह भार बढ़ा देते हैं विद्युत की दरें बढ़ा देते हैं। उसके बाद भी जब घाटा पूरा नहीं होता तो कहते हैं कि ऋण मिलेगा तो काम चलेगा। एक तरफ तो व्यय भार बढ़ाते हैं और दूसरी तरफ कर भार बढ़ाते हैं। यहां की जनता विद्युत के व्यय भार और कर भार से अपने को मुक्त देखना चाहती है। परन्तु मंत्री जी में इतनी क्षमता नहीं कि इन दोनों भारों से जनता को मुक्त कर सकें। यदि दूसरे देश में ऐसा मंत्री होता तो उसे अपने पद से हटा दिया गया होता परन्तु मुख्य मंत्री जी में इतनी क्षमता नहीं है कि अपने किसी ऐसे मंत्री को वे मंत्रिमण्डल के बाहर निकाल दें। मंत्री जी अपनी अयोग्यता से योग्यता की ओर नहीं जा रहे हैं और जनता को व्यय भार और कर भार से नहीं मुक्त कर पा रहे हैं तो आखिर काम चले तो कैसे चले ?

अगर कोई आदमी कम पैदा कर सकता है तो उसका उपाय यही है कि कम खर्चा करे। इनका जो विद्युत क्षरण हो रहा है यह सारी दुनियां में 8 परसेन्ट है। विद्युत परिषद् की लाइन हानियां जब कि मध्य प्रदेश में 14 प्रतिशत, तमिलनाडु में 18 प्रतिशत होती हैं तो उत्तर प्रदेश में 23 प्रतिशत है। इतने अयोग्य हैं आप कि जितनी बिजली मिलती है उसमें चोरी कर ली जाती है। प्रदेश की जनता असहाय हो गयी है विद्युत विभाग से। विद्युत विभाग को कितना काम करना पड़ता है यह एक चिन्ता का विषय है।

मेरा सुझाव है, यह सरकार समाजवाद का नारा देती है, यदि समाजवादी होना है, समाजवाद को लना है तो ऐसी राष्ट्रीयकरण से काम चलने वाला नहीं है। सरकारीकरण में सरकारी आफिसर क्या जिम्मेदार नहीं है कि यदि घाटा होगा तो वह कैसे पूरा होगा। होना यह चाहिये कि जब विद्युत उत्पादन में घाटा हो और जो सरकारी अफसर इसके लिये जिम्मेदार हो, उसकी सारी सम्पत्ति जब्त हो जाय। परन्तु आप किसी आफिसर की तनख्वाह कम करने वाले नहीं है, किसी आफिसर की सुख सुविधा को घटाने वाले नहीं है चाहे बिजली का उत्पादन हो या न हो। इस तरह से गैर जिम्मेदारांना काम हो रहा है। इसको माननीय मंत्री जी जब तक आप समाप्त नहीं कर पायेंगे तब तक इनको एक रुपया तो मैंने कह ही दिया है, तो इनको एक रुपये से ज्यादा पैसा नही देना चाहिये क्योंकि ये कर भार और व्यय भार से जनता को पीस रहे हैं।

मान्यवर, मैंने इनको एक चिठ्ठी लिखी थी कि इनके यहां जितने कैडर हैं, विद्युत विभाग में कर्मचारियों या अधिकारियों के उन सब में से अच्छे काम करने वाले जो लोग हैं, तो हर कैडर में से चार-चार आफिसर ये भेज दें। तो इस तरह से आप 20 इंजीनियर नियुक्त कर दीजिये और 20 विधायक नियुक्त कर दीजिये। सरकार कहती है कि इतने प्रतिशत मुनाफा देना चाहिये। उत्पादक यह कहेंगें इतना उत्पादन हमारा होगा और उसमें 12 आने हमारे और 4 आने सरकार के होंगे। उपभोक्ता कहेगा कि कर की वृद्धि नहीं

कर सकते। इसके अलावा कनेक्शन देनें में, बिल में, भुगतान में जो परेशानी होती है, उनके हित के लिये कोई उनको रिप्रेजेन्ट करने वाला होना चाहिये।

इसीलिये मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार विद्युत परिषद् को भंग करें। सारे कैडर को मर्ज करके एक कैडर रखे और वह निश्चित कर दें कि हम विद्युत उत्पादन में इतने प्रतिशत मुनाफा देंगे, जो बचें उनके लिये आप एक सीमा बांध दें कि इस सीमा तक हम उनको तनख्वाह देंगे। यह तय कर दें कि उनको अमुक-अमुक सुविधा देंगे और वह सुविधा वे लेते रहे। लेकिन हमारा पैसा कम नहीं होना चाहिये। तब उपभोक्ता के प्रतिनिधि कहेंगे कि कर नहीं बढ़ना चाहिये। बिजली देनें में, बिजली के कनेक्शन देने में सुविधा होनी चाहिये। तब तीनों का प्रतिनिधित्व होगा और सरकार का बहुमत होगा चाहे जो निर्णय दे दे। इससे कोई फायदा नहीं होगा कि उत्पादन और वितरण को अलग-अलग कर दें। इसलिये सरकार को निश्चित रूप से हमारे सुझावों को मानना चाहिए और अगर वे बात नहीं करते हैं तो साफ कह देना चाहिये।

विद्युत के बारे में जितनी योजनायें थीं, अंग्रेज सरकार जो तय कर गये थे उनके अलावा कोई सर्वेक्षण नहीं कराया। हिमालय में काली है, गोरी है, बड़ी-बड़ी नदियां हैं। 10 हजार क्यूसेक पानी अगर 10 हजार फिट से गिराया जाये तो इससे डेढ़ हजार कि0 वा0 विद्युत बनती है। तो इस फार्मूले से जितनी भी विद्युत बनायी जा सके बनायी जानी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सारे सदस्य इसका समर्थन करेंगे।

(श्री बिहारी लाल के नाम पुकारे जाने पर।)

एक सदस्य--

मान्यवर, महिलाओं को भी बोलने दीजिये।

(समय 3 बजकर 54 मिनट)

श्री बिहारी लाल--

मान्यवर, मैं आप का आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और माननीय विद्युत मंत्री जी का भी आभारी हूं। एक बात कहता हूं, घर-घर में उजाला है, मेरे घर में अन्धेरा है, बचपन में छोड़ कर मेरे बाबुल चले गये, जनता पार्टी चली गयी, कटौती का बजट भी चला गया। इसके संबंध में अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं। मेरा आधा क्षेत्र तराई में है और आधा पहाड़ में है। पहाड़ में धौरी ब्लाक, ओखलकांडा ब्लाक है, वहां एक धौली गांव है। वहां आज तक विद्युत नहीं है लाइन बिछा दी गई है और वहां के लोगों ने पैसा भी जमा कर दिया है लेकिन विद्युत आज तक वहीं नहीं पहुंची है। इसी तरह से श्रीमन्, दो ब्लाक सितारगंज एवं खटीमा तराई में दे। नायक गौड़, टकनपुर में है वहां पर आज तक की यह स्थिति है कि तार तो बिछाये गये हैं लेकिन विद्युतीकरण अभी तक नहीं हुआ है। इसी तरह से श्रीमन् गढ़वाल में बीरूखाल, रिगड़ीखाल, जड़ाऊखाल, आदि जगहों पर हरिजन बस्तियों में मैंने देखा कि वहां पर अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है।

मा0 विपक्ष के भी सदस्य कहते हैं और पक्ष के भी सदस्य कहते और सरकार भी कहती है कि हरिजनों को सहूलियत दी जाय लेकिन यह सब आंकड़ें कहां चले जाते हैं मैं नहीं समझ पाता। इसके लिये एक ऐसी कमेटी नियुक्त की जाय पर्वतीय क्षेत्र के लिए जो हरिजन बस्तियों में इसकी इन्क्वायरी करे कि हरिजन बस्तियों में कहां-कहां विद्युतीकरण हुआ है और कहां-कहां नहीं हुआ है। इस तरह यह एक बड़ी गम्भीर बात है कि नाम तो

[श्री विहारी लाल]
हरिजनों का सभी लेते हैं और चूंकि मैं भी हरिजन वर्ग से आता हूं और यहां 56 जिले हैं और कुमायूं के 8 जिले हैं मुझे इस बात की जानकारी रखना चाहिये कि मैं हर क्षेत्र की बात कहूं। मैं चाहूंगा मा0 उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मा0 विद्युत मंत्री जी से कि वे इसमे एक कमेटी बनायें जो यह देखे कि जो हरिजन बस्तियां हैं उनमें विद्युतीकरण हुआ या नहीं तभी इस बात का पूरा सबूत मिलेगा। अधिकारी वर्ग को इसकी फुरसत नहीं है। वह कार से नीचे उतरना नहीं चाहते। देहातों में जो हरिजन बस्तियां हैं उसमें पदयात्रा की जरूरत है। एक मनोरा गांव है और मेरा क्षेत्र है खटीमा, यह नैनीताल के पास है लेकिन आज तक उस गांव में विद्युतीकरण नहीं हुआ। पैसा उन्होंने जमा कर दिया, लाइन आ गई लेकिन विद्युतीकरण नहीं हुआ। इसी तरीके से एक आलू खेत जगह है नैनीताल से 4–5 किलोमीटर दूर है। मैं चाहता हूं कि मंत्रीजी एक कमेटी बनायें जो छान-बीन करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और मा0 मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री थम्मन सिंह गहलौत—

मा0 उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं ऊर्जा विभाग की मांगों पर कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। वास्तव में तो यह शब्द जो इसमें आया है, ऊर्जा है लेकिन सारा विचार केन्द्रित होकर रह गया है बिजली के ऊपर बिजली की जो व्यवस्था है वह दोनों पक्षो के मा0 सदस्यों ने किसी ने खुलकर और किसी ने दबकर कही है। मान्यवर, एक समर्थन करने का नया तरीका शुरु हुआ है कि पहले तो कह दिया कि मैं समर्थन करता हूं उसके बाद विभाग की, सरकार की सारी शिकायतें सुनानी शुरू कर दीं। यह अच्छा है समर्थन करने का तरीका।

श्री उपाध्यक्ष—

मा0 थम्मन सिंह जी, समर्थन का मतलब केवल आंख बन्द करके समर्थन करना ही तो नहीं है। सुझाव तो है ही।

श्री थम्मन सिंह गहलौत—

यह बिजली विभाग एक ऐसा विभाग है जिससे सारी जनता बेहद दुःखी है और ऐसा इस तरह का कोई मुहकमा नहीं है इस सरकार के अन्दर जैसा कि यह विद्युत विभाग है। इससे सारी जनता त्रस्त है। इसके भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य आपस में बातें न करें।

श्री थम्मन सिंह गहलौत—

मेरा यह निश्चित विश्वास है कि जिस तरह से गणतन्त्र दिवस पर नेक कामों के लिये सरकार अनेक उपाधियां, पदमश्री, पद्म विभूषण आदि की देती है उसी तरह से भ्रष्टाचार के लिये सारे अलंकरण यह विद्युत् बोर्ड ले जायेगा। किसी दूसरे को इसमें हिस्सा नहीं मिल सकेगा। इतना बड़ाभ्रष्टाचार इनके अन्दर है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि चेयरमैन बदल गये हैं जो एक अच्छे आदमी हैं। मैं नहीं जानता कि वे कौन हैं। हो सकता है कि वे, अच्छे हों, माननीय मंत्री जी भी अच्छे हैं लेकिन उससे होगा क्या? मैं एक उदाहरण देता हूं। अगर कोई टूटा फूटा ट्रक लेकर खड़ा कर दिया जाय और उसकी मशीनरी में जंग

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लगी हुई हो, टंकी में तेल ही न हो तो मैकेनिक सारे औजारों के रहते हुये भी कर क्या पायेगा? मेरा निश्चित विश्वास है कि चेयरमैन कितने ही अच्छे हों, माननीय मंत्री जी कितने ही अच्छे हों लेकिन जब तक भावना सही नहीं होगा कोई व्यक्ति सफल नहीं हो सकेगा और न कोई सफल हुआ है। इस ओर शासन का ध्यान देना भी सम्भव नहीं हो सकेगा। इसमें सुधार का कोई तरीका होना चाहिये।

बिजली बोर्ड के वर्तमान गठन का स्वरूप बदला जाना चाहिये। जब जन प्रतिनिधि सरकारी कर्मचारियों के सहयोग से सारे प्रदेश का शासन चला सकते हैं, जब उनमें इतनी क्षमता है तो फिर वे बिजली बोर्ड में बैठ कर वहां का प्रबन्ध क्यों नहीं सम्भाल सकते। मेरा कहना यह है कि बिजली बोर्ड के सुझाव देने के लिये, जन प्रतिनिधियों की सलाहकार समिति बनायी जानी चाहिये। जन प्रतिनिधियों को इस बात की रोजाना शिकायतें मिलती हैं कि छोटे से छोटे कर्मचारी भी आम उपभोक्ताओं को बेहद परेशान करते हैं। किसी का अगर 30 यूनिट का बिल है तो उसे 330 यूनिट का बना कर भेज देते हैं ताकि वे परेशान हों। मेरे क्षेत्र के एक व्यक्ति की परेशानी मैं बतला दूं कि उसका ट्यूबवेल खराब है, मीटर जाम है और उसके पास फर्जी बिल बना कर भेज दिया गया। गरीब आदमी है, गांव का सीधा किसान है, उसने सोचा कि बिल आता रहेगा, क्यों कि मीटर तो जाम है ही। लेकिन एक साल पहले उसे 16 हजार रुपये का बिल बना कर भेज दिया गया। पूछने पर विभाग वालों ने बतलाया कि हमारे यहां का तो नियम है कि बिल तो हम बराबर भेजते ही रहेंगे चाहे मीटर चले या न चले। मैं समझता हूं कि इस तरह का अत्याचार तो संसार में कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगा। वह गरीब किसान 16 हजार रुपये अपने घर बेचने के बाद भी नहीं दे सकेगा। मेरे ही क्षेत्र के एक सज्जन होरीसिंह हैं अफजलगढ़ के, जो शायद माननीय मंत्री जी से मिले भी थे। उनकी रिकवरी के लिये सर्टिफिकेट जारी हो गया था जिसे मंत्री जी ने रोकवा दिया। लेकिन इसी माननीय मंत्री जी द्वारा वायरलेस से रिकवरी रुकवाने के बाद भी वहां के अधिकारियों ने उनके खिलाफ रिकवरी जारी करा दी और उनकी कुर्की करायी जा रही है। वह गरीब बेचारा यहां पड़ा हुआ है। इसी तरह से मेरे क्षेत्र के ही एक श्री राज पाल सिंह हैं जो धामपुर के पास ही पूरनपुर के हैं। उन्होंने तीन कमरों का एक छोटा सा मकान बनाया है। उनके यहां बिजली का बिल 2600 रुपये का भेज दिया गया। इसके लिये उनसे कहा गया कि 400 रुपये जमा कर दें और दो सौ रुपये हमें दे दें, इस तरह से वहां खुले आम भ्रष्टाचार हो रहा है। वहां भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है कि उसे आप कहां तक रोक सकते हैं।

नाम मैंने बतला दिया और आप शिकायतों की जांच भी करायेंगे तो उससे होगा क्या। इसके लिये मेरा कहना यह है कि जिला स्तर पर आप एक कमेटी का गठन करें जिसमें जन प्रतिनिधि हों, साधारण उपभोक्ता हों, और उनका परमानेंट दफ्तर बनाया जाय जहां उनको एक क्लर्क दिया जा सके। उपभोक्ताओं से कहा जाय कि जिस को भी बिजली के बारे में जो शिकायत हो वह यहां दर्ज करावें। उस कमेटी की हर महीने एक मीटिंग होनी चाहिये जो क्लर्क हो वह सम्बन्धित अधिकारी से मिल कर उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने का प्रयत्न करे। अक्सर गलत बिल्स की शिकायतें आती रहती हैं। 30 को 330 का बिल बना कर भेज दिया जाता है। अगर सौ बिल्स बनाने में एक दो बिल में गलती हो जाय, यह तो सम्भव है लेकिन अगर 100 में 80 बिल गलत बने हुये हों तो इसका क्या मतलब लगाया जायेगा। इतना गलत बिल केवल भ्रष्टाचार करने के लिये बनाया जाता है। इसको रोकने के लिये मेरा कहना यह है कि इन कर्मचारियों और अधिकारियों की सेवा शर्तों में इस बात का प्रबन्ध करें कि जिला स्तर पर या मंडल स्तर पर एक न्यायालय

[श्री थम्मन सिंह गहलौत]
गठित करे जिसमें रिटायर्ड जज हों और अगर न्यायालय पावे कि किसी आदमी ने जानबूझ कर गलत बिल बनाया है तो उसे सजा दी जाय । यह कोई तरीका नहीं है कि यहां से इनक्वायरी हो और वर्षों इनक्वायरी में लगें । जब तक इनक्वायरी समाप्त होती है तब तक वह तरक्की कर जाता है या रिटायर हो जाता है या भाग जाता है । कोई तरीका होना चाहिए ।

मान्यवर, ऊर्जा की बात चली थी । ऊर्जा के और तरीके भी हैं । सौर ऊर्जा चली । सूरज से ऊर्जा ले सकते हैं । पवन चक्कियां हैं, हवा से चला कर, पन चक्की है, पानी से चला कर ऊर्जा ले सकते हैं । नगीना में एक नहर के ऊपर पन चक्की लगी हुई थी जो खत्म हो गई क्योंकि बिजली मिलने लगी थी । इन पर क्यों विचार नहीं किया जाता, लिखा पढ़ी क्यों नहीं की जाती । मिर्जापुर में एक फर्म हवा से चलने वाली पवन चक्की बनाती है । खाली समय में कुऐं से पानी उठ सकता है । इसी के ऊपर निर्भर क्यों कर रहे हैं ।

यह बिजली की समस्या कभी सुधरने वाली समस्या नहीं है । 45, 40 प्रतिशत क्षमता हम बना पा रहे हैं जनरेशन । अगर 80 प्रतिशत, 90 प्रतिशत भी करने लगे तो भी समस्या कुछ सुधरे । रेनूकोट में बिड़ला का पावर हाउस लगा हुआ है । 100 प्रतिशत पर जनरेशन कर रहा है । हमारे पावर हाउस 34 प्रतिशत जनरेशन कर रहें हैं । क्यों कर रहे हैं । इसकी जांच होनी चाहिये । वर्षों हो गये जांच न हुये । अलीगढ़ जिले में एक बिजली घर था । नीलाम कर दिया गया कौड़ी के भाव में । मोती बाबू ले गये । ज्यों का त्यों ले जा कर अपने यहां लगा लिया । थोड़े से समय में अपनी क्षमता से सवा सौ बिजली का उत्पादन कर रहा है । मेरा स्पष्ट आरोप है कि ये अधिकारी इतने भ्रष्ट हो गये हैं कि यह खा जा रहे हैं प्रदेश की सारी अर्थ व्यवस्था । पांच सौ करोड़ रुपये की हानि आज तक बिजली में पायी जा चुकी है और सौ करोड़ बकाया है । किन पर बकाया है । बड़े बड़े कारखाने हैं उन पर पड़ा है । चोरी हो रही है बिजली की । पता लगा सकते हैं, क्यों हो रही है । कोई मुश्किल नहीं है । आपके फीडर बने हैं । किस फ़ीडर में कितनी बिजली आई । बिल कितने का बना । सब सत्य सामने आ जायगा । बड़े कारखाने जहां लगे हैं वहां ज्यादा ट्रान्समिशन लासेज हो रहे हैं । मैं दक्षिण भारत के भ्रमण पर गया हुआ था । किसी प्रदेश में 12 प्रतिशत से, 10 प्रतिशत से ज्यादा ट्रान्समिशन लासेज नहीं हैं । यहां उत्तर प्रदेश जितना बड़ा है उतना ही यहां पर बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है । इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

मान्यवर, यह कहा जाता है ऐसा पता चलता है, विभाग का कहना कि हमारे प्रदेश के अन्दर विद्युत की 20,000 मेगावाट की क्षमता है अगर बनायी जाय । इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है । अखबारों में मैंने पढ़ा । रुस के तकनीकी विशेषज्ञों का कहना है कि दस फीट अगर बिजली कराई जाय नीचे से तो इस से छोटा मोटा बिजली घर चल सकता है । यदि यह सत्य है तो आप क्यों इसको नहीं देखते । कुछ खर्च जरुर होगा । कुछ समय लगेगा । कितने बिजली घर आसानी से लग सकते हैं । इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

पिछले साल भी एक बात कही थी किन्तु बिजली विभाग ने उसे पीछे डाल दिया । चीनी मिलों ने आफर किया था कि हम फालतू समय में बिजली बना कर दे सकते हैं । बिजली विभाग कें इंजीनियरों ने कहा कि यह तो तेज पड़ेगा एक चीज जो मिलती नहीं है उसके मुकाबले तेज मिलेगी तो हिसाब लगा कर देखना चाहिये था । जनता को विश्वास

में नहीं लिया जाता है। तेज पड़ेगी तो हिसाब तो सामने आना चाहिये था। पता लगायें कितना अन्तर हो रहा है।

रिहन्द डैम की बात आती है। स्पष्ट बात है। रिहन्द डैम जिस किसी ने भी बनाया वह इस प्रदेश का बड़ा शत्रु बड़ा दुश्मन है। रिहन्द डैम को टेक्निकल एडवाइस मिल चुकी है कि कभी भी अपनी निश्चित स्तर तक नहीं भरेगा। जब तक कि जल प्रलय न हो जाय। आज तक रिकार्ड है कभी भरा है। काहे का अफसोस कर रहे हैं। चूंकि भरा नहीं है इसलिये बिजली नहीं बन पायेगी। कभी नहीं भरेगा। क्यों बनाया है रिहन्द डैम को। ये तो विभागीय बातें होती हैं। इन पर विचार कभी हुआ है।

एक हमको पुस्तिका मिलती है जो आडिटर जनरल ने आडिट किया वह सार्वजनिक उपक्रम समिति के सामने आया। उस किताब को पढ़ कर लज्जा आती है। उसके एक-एक पृष्ठ पर लाखों-लाखों रुपयों के भ्रष्टाचार का वर्णन लिखा हुआ है। वह पुस्तक सार्वजनिक उपक्रम समिति के सदस्यों को बांटी गई है। उसमें लिखा हुआ है कि 10 करोड़ रुपया एक दिन में बिजली बोर्ड के पास विभिन्न बैंकों में अपने एकाउन्ट में जमा था जिसको कि बिजली बोर्ड ने डेमरेज के रूप में दिया है। पिछले साल 18 करोड़ रुपये रेलवे बोर्ड को डेमरेज के रूप में दिया है। सामान खरीदने के लिये तो आदेश दे देते हैं लेकिन उसको छुड़ाने के लिये इनके पास पैसा नहीं होता है।

मान्यवर, अपने क्षेत्र के बारे में दो-एक बातें निवेदन करना चाहता हूं हमारे क्षेत्र के हस्तावाद और नगला-बधुवा में एक भी खम्भा बिजली का नहीं लगा है। मैं इस बारे में बहुत दिनों से प्रयत्नशील हूं और मैंने इस ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाया है लेकिन ये गांव जिनमें पिछले वर्ग के हरिजन और गरीब लोग रहते हैं, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस देश को आजाद हुये 35 वर्ष हो गये हैं लेकिन गांवों के गरीब लोगों को प्रकाश की सुविधा नहीं दी गई है। वहां पर लोग रोशनी में नहीं रह सकते हैं, वे ट्यूबवेल नहीं लगा सकते हैं।

अन्त में मैं यह कहकर समाप्त करूंगा कि इस प्रदेश के अन्दर हजारों हजार गांव ऐसे हैं, जिन में पछले पांच सालों में एक मिनट के लिये भी शाम के 6 बजे से सोने के वक्त तक बिजली नहीं दी गई और तब दी गई जब लोग सो जाते हैं। गांव के लोग भी पैसा देते हैं लेकिन उनके साथ नम्बर दो का व्यवहार किया जाता है और गिरे हुये नागरिक समझे जाते हैं। लखनऊ में आप 24 घंटे बिजली दे रहें हैं। मंत्री जी ने बड़े गौरव के साथ कह दिया कि बड़े-बड़े शहरों में बिजली की कटौती बन्द कर दी है, यह बड़े शर्म की बात है। गांवों के लिये भी यदि यह कह दिया जाता, उनको भी 24 घंटे, बिजली की सुविधा प्रदान की जाती तब तो मैं कहता कि वे निःसंदेह बधाई के पात्र हैं। आज भी गांवों के लोग इस सुविधा से महरूम है और सड़कों पर पड़े हुये हैं। उनको आप बिजली देने के लिये तैयार नहीं हैं अन्त में मैं माननीय मंत्री जी से यही कहूंगा कि वे यहां पर सदन में आश्वसन दें कि कब तक गांव वालों को 24 घंटे बिजली देने के लिये तैयार हो सकेंगे।

*श्री राजकुमार राय--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे विद्युत जैसे विषय पर कुछ कहने का अवसर दिया है। विद्युत् का सीधा सम्बन्ध किसान से है, मजदूर से है, सिंचाई से है, हर क्षेत्र से इसका लगाव है। अगर इसके सम्बन्ध में ठीक से व्यवस्था नहीं की गई थी तो इसका कुफल हम सबको भुगतना पड़ता है। जब से माननीय सुनील शास्त्री ने इस विभाग को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजकुमार राय–]
सम्भाला है जेनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रिब्यूशन– हर क्षेत्र में हमें बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई हैं और उसके संबंध में जो भी दिक्कतें सामने आ रही थीं, उसमें भी कमी आयी है। इसके साथ ही आज की प्रदेश की समस्याओं को देखते हुये और माननीय विपक्ष के भाइयों न बातें कहीं हैं उनको पूरा करने के लिये जो बजट रखा गया है वह थोड़ा है। मान्यवर, माननीय ऊर्जा मंत्री ने जो बजट की मांगे रखी हैं, उनका मैं समर्थन करता हूं और विपक्ष के भाई ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं विरोध करता हूं।

जिस विभाग का लगाव प्रदेश के हर क्षेत्र में हो, हर व्यक्ति से हो उसके बारे में कहना चाहता हूं कि चाह यह बोर्ड के रूप में हो या कारपोरेशन के रूप में हो––विद्युत् बोर्ड और नौकरशाही––यह एक चतुर घोड़े के समान है जिसकी लगाम यदि ठीक से नहीं रखी जायगी तो वह किसी भी तरह स हाथ में आने वाला नहीं है। मान्यवर, मानस में कहा गया है ––

भवानो शंकरों बन्दे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो।

पहले भवानी की वंदना की, और तब शंकर की की। हमारी सरकार इस विश्वास के साथ चल रही है जिसे माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह चला रहे हैं। लेकिन उसमें श्रद्धा हो इसके लिये शक्ति की आवश्यकता है, तो वह शक्ति बिजली है अगर उसमें कमी आई तो प्रदेश का सत्यानाश हो जायेगा। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि शक्ति के सारे श्रोतों को ढूंढ़ा जाय और बहुत कड़ाई के साथ उसका पालन किया जाय ताकि प्रदेश की जनता में इस शक्ति के जरिये, इस ऊर्जा के जरिये विश्वास पैदा हो। हमने इससे जो इस विभाग से उम्मीद कर रखी थी वह पूरी नहीं हुई।

श्रीमन्, यह ऐसा विभाग है जिसका सीधा संबंध गरीब किसानों और मजदूर से है। मान्यवर, इनका एक कन्ट्रैक्ट उपभोक्ताओं से है कि जितनी बिजली देंगे उतना पैसा लेंगे। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इन तमाम गरीब उपभोक्ताओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और एक तरफ कन्ट्रेक्ट किया जाता है। एसा कन्ट्रेक्ट दुनिया के किसी कानून में नहीं मिलेगा जूरिसप्रूडेंस जिसका अनुसरण सारी दुनिया के कानून करते हैं उसमें कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है कि आप कन्ट्रैक्ट पूरा न करें और पैसा ले लें, जितनी बिजली देंगे उतना पैसा आप लेंगे। अगर किन्हीं दैवी आपदाओं से अगर बिजली नहीं दे सके तो यह यूनिवर्सल ला है और कामन सेंस की बात है, जूरिसप्रूडेंस इस पर कायम है, गलती आप करते हैं, कंट्रेक्ट आप पूरा नहीं करते ह और दूसरी तरफ कंट्रेक्ट को बदल देते हैं और बिजली के दुगुने और तिगुने रेट वसूल करते हैं। जोनल आधार पर बिल चला गया चाहे बिजली दी या नहीं दी उसकी वसूल हो गयी फिर उसकी कहीं स्टे नहीं होता है। मैंने माननीय मंत्री जी को और माननीय मुख्य मंत्री है जी को कहा जिन लोगों ने रुपया दे दिया है उनके पास ओरिजिनल रसीद हैं। उन्होंने वह दिखाई लेकिन फिर भी उनसे वसूली जारी है। ऐसा कोई तरीका होना चाहिये कि जितनी बिजली दो उतना पैसा लो। यह विभाग जनता के सामने गुनहगार है अगर कोई व्यवहारिक कठिनाई आये तो उसे दूर करें।

हमारी पार्टी निश्चित रूप से गरीबों की हमदर्द है और उसी नीति के बल पर हम विधान सभा में आये हैं और उसी के तहत हमने हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण की योजना सबसे पहले ली और हम लोगों को बिजली देने के लिये गांवों की तरफ जा रहे हैं और उनसे पैसा ले रहे हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपका मैटीरियल विभाग जो है उसमें चाहे आपकी कमी हो या जिसकी भी कमी हो वह मैटीरियल नहीं देता है। मेरा पिछले साल डेढ़ साल का अनुभव है कि जब हम पूछते हैं एस० इ० या दूसरे कर्मचारियों से तो वह कहते हैं कि

पैटीरियल नहीं है लकिन वह अपनी कमी नहीं बताते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास मैटीरियल नहीं है, या आपकी क्षमता नहीं है तो पेशगी लेने की क्या जरुरत है, पहल पुरान अनुबन्धों को पूरा कर लीजिये तब हरिजन बस्तियों में बिजली देन की बात कीजिये, जिनको आपने मधुर आश्वासन दे रखे हैं उनको पहले बिजली दे दीजिये, पुराने बकायें को पहले साफ कर लीजिये तब फिर नये रूप से किसी को देने की बात कीजिये। यह कितनी विडम्बना है मैं एक उदाहरण देता हूं हमारे आजमगढ़ जिले का जो स्टोर है वह गोरखपुर जिल में है उसका एक्जीक्यूटिव इंजीनियर गोरखपुर में बैठता है। अगर दोहरी घाट मांग करता है तो वह सामान पहले गोरखपुर से आजमगढ़ जायेगा और उसके बाद मऊ जायेगा और फिर दोहरीघाट जायेगा अगर यह गोरखपुर से आजमगढ़, आजमगढ़ से मऊ और मऊ से दोहरीघाट जायगा तो इस तरह से कैसे काम चलेगा. . . (व्यवधान) अतः स्टोर्स और विद्युत वितरण खण्डों पर ही किया जाय और मैटेरियल की कमी को पूरा कर लिया जाय।

मैंने देखा उत्तर प्रदेश विद्युत प्रसार, 1981, जिस पर तमसो मा ज्योतिर्गमय लिखा हुआ है। इसको देखने से लगता है कि हमारी नीति क्या है और कहां हम जा रहें हैं। जहां हमने यह ध्येय बनाया कि तापीय विद्युत गृहों को बढ़ायेंगे। वहां देखेंगे कि उन सारी योजनाओं के साथ साथ पेज 11 पर दोहरीघाट तापीय विद्युत योजना है और इनके नक्शे में आप देखेंगे कि वहां भी दिया हुआ है—यह भी प्रस्तावित विद्युत गृह है। उसके साथ ऊंचाहार है, जो प्रदेश की दूसरी योजना है इस बारे में जब हमने विद्युत परिषद को लिखा था और केन्द्र को लिखा था तो इसके बारे में हमें जवाब मिला था कि इसको बहुत ही लो-प्रायरिटी पर दिया गया था, लाईन छोटी है। इसलिये अभी नहीं हो सकता है। आपन पूरे सोच समझकर निश्चय किया था कि तापीय विद्युत गृह बनेगा तो अब कौन सी बात हो गई कि ऊंचाहार में जो योजना को आप 1990 तक पूरा करने जा रहे थे, उसे 1984 85 में कर रहे हैं और दोहरी घाट चूंकि उपेक्षित जगह है, उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए आपको जरा भी ख्याल नहीं आया उसमें इतनी देर करते हुये। उस गरीब क्षेत्र को भी आप ले लेते तो कितना अच्छा होता। यदि किताबों में दोहरीघाट योजना ली गई है तो ऊर्जा मंत्री जी आज यहां घोषणा करें कि वहां दोहरीघाट में तापीय विद्युत गृह बनना है वह बन कर रहेगा। वह यह भी बता दें यदि बनना है तो कब तक बनेगा। मुझे आशा है कि यह विभाग आज जैसे सशक्त हाथों में है उसके मंत्री जी आज इस चीज की आवश्यक घोषणा करेंगे. . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

लोकदल के लोगों को मौका दिया गया था, लेकिन वह नहीं खड़े हुये तो जो खड़ा हुआ उसको मौका दे दिया गया।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया। इस सरकार की बिजली के बारे में जो घोषणायें हैं, उनसे मेरा हृदय नहीं फूलता। पंडित जवाहरलाल नेहरु ने इस देश के अन्दर बहुत पहले यह कल्पना की थी कि सच्चे युगदृष्टा की तरह यदि देश के पिछड़ेपन को दूर करना है, उसे आगे ले जाना है तो यहां विद्युत उत्पादन करना पड़ेगा और उसके संयंत्रो को लगाना पड़ेगा और भारी मशीनीकरण करना पड़ेगा। पं0 नेहरू ने जो नीति चलाई थी उसकी दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने पब्लिक सेक्टर को आगे बढ़ाया था और उसकी शुरुआत की थी। आज हमारे प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश के पहाड़ों के अन्दर विद्युत उत्पादन करने के लिये जिन बड़ी बड़ी कम्पनियों को ठेके दे रही है वे केवल हिन्दुस्तान के इजारदार घराने क नहीं हैं, बल्कि

[श्री विद्यासागर नौटियाल–]

उनका संबंध दुनिया के मल्टीनेशनल कम्पनियों के साथ है । मेरा पहला आरोप यह है कि यह सरकार बिजली उत्पादन में भी वर्ल्ड बैंक की बात को मानती है , अमेरिका के सामने घुटने टेकती है । कांग्रेस के भाई, जिन्होंने कभी थापर्स का नाम नहीं सुना है, बालचन्द्र हीराचन्द्र का नाम नहीं सुना है, वे सिर्फ इन्दिरा गांधी का नाम जानते हैं । या दैवी सर्व भूतेशु इंदिरा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः । तो अगर कांग्रेस के भाई इंदिरा जी का नाम नहीं लेते तो यह खतरा हो जाता कि मेरा नाम पहुंचेगा या नहीं । उत्तर प्रदेश में जो बिजली पैदा होती है, उसको चलाने में आज इस सरकार का कोई हाथ नहीं रह गया है । गले के नीचे का हिस्सा आज इस सरकार का कांग्रेस का है और ऊपर का हिस्सा नौकरशाही का हो गया है । मैंने तो माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखकर भी दिया और उनसे बात भी की थी कि पहाड़ सैकड़ों मील के क्षेत्र में फैला हुआ है । वहां पर ऊर्जा के बिलों को वसूलने के लिये जूनियर इंजीनियरों को लगाया जाता है । एक इंजीनियर को तैयार करने में सरकार का लाखों रुपया लग जाता है । मैंने यह सुझाव दिया था कि यह पैसे को सीधे कोआपरेटिव बैंक में जमा करा दिया जाय । 6 महीने के बाद मेरे पास राज्य विद्युत परिषद् के किसी अधिकारी का उत्तर आया कि आपने जो पत्र माननीय मुख्य मंत्री को लिखा था उससे उत्तर में यह कहना है कि यह संभव नहीं है ।

मान्यवर, हम गुजरात में गये थे, वहां पर सहकारिता मंत्री जी से बात हुयी थी । उनसे मालूम हुआ था कि गुजरात के अन्दर सहकारी बैंकों के द्वारा बिजली के बिलों का भुगतान लिया जाता है । यहां पर मान्यवर, हमारे प्रदेश में पिछले सप्ताह कुछ पत्रकारों का दल पूर्व की ओर गया था । उनके साथ हमारे विद्युत परिषद् के बड़े बड़े अधिकारी भी गये थे । यह दल ओबरा और रेंनूकूट के इलाके में गया था । वहां पर घूमने के बाद विद्युत बोर्ड के एक बड़े अधिकारी जिनका नाम मुझे नहीं मालूम, वे शायद नौकरी से रिटायर होने बाद बिडला के यहां नौकरी करना चाहते हैं, ने यह बात कही कि बिड़ला को जिस समय बिजली गयी थी तब दूसरे लोग बिजली खरीदने वाले नहीं थे । अगर उनको यह जानकारी है जिनके द्वारा विद्युत परिषद् चलाया जा रहा है तो विद्युत् परिषद् कैसे प्रगति कर सकती है ।

मान्यवर, हमारे यहां पर चिल्ला प्रोजैक्ट बनाया गया है । बिजली का उत्पादन करता है विद्युत परिषद् और सिचाई विभाग योजना को बनाता है दोनों विभागमें कोई सामन्जस्य नहीं है । इस योजना से दवा की फैक्टरी में पानी बन्द हो गया है । विद्युत विभाग की कार्यवाही से काश्तकारों का बड़ा नुक्सान होता है । बिजली की लाइनों के खीचे जाने में जो काश्तकारों का नुक्सान होता है , उसका उनको मुआवजा नहीं मिलता है । हमारा जो इलैक्ट्रिसिटी ऐक्ट है वह भी बाबा आदम युग का अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है जिसकी वजह से लाइनें खींचने में जो किसानों का नुकसान होता है, उसका उसका कोई मुआविजा नहीं मिल पाता है । मैं आपके द्वारा, मान्यवर, मांग करता हूं कि वर्तमान बोर्ड को भंग किया जाय और पर्वतीय क्षेत्र में एक अलग से बोर्ड बना दिया जाय । तब सम्भव है कि कुछ काम हो सके । इस सरकार के बस की बात नहीं है कि यह राजधानी में बैठकर हजारों मील के अन्दर काम कर सकें ।

(व्यवधान)

श्रीमती महारानी दोहरे के साथ घटी घटना के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

(श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी के श्रीमती महारानी दोहरे के पास जाकर उसके मुह पर हाथ रखकर कुछ कहने पर)

कई सदस्य––

मान्यवर, कुछ मारपीट हो गयी है ।

श्री उपाध्यक्ष–

शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है ।

(व्यवधान––शोर)

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, कांग्रेस पार्टी की एक महिला सदस्या रो रही हैं, उनका बड़ा अपमान किया गया है और उनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ, इसको आप देखले . . . .

(व्यवधान)

डाक्टर बृजकि शोर मिश्र–

यहदो महिलाओं का आपस का मामला है , कोई अभद्र व्यवहार नहीं हुआ है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष––

आप चिन्तित न हों ।

श्री विद्यासागर नौटियाल––

टेहरी बांध जब तक बनेगा, तब तक क्या हम बिजली के लिये इन्तजार करेंगे . . .

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन––

एक व्यवस्था का प्रश्न है । श्रीमन्, इस सदन को व्यवस्थित ढंग से चलाने की जिम्मेदारी आपकी है । अभी कांग्रेस पक्ष में जो कुछ हुआ वह हम लोग पीछे से बैठे देख रहे थे, एक महिला के साथ मारपीट हो गयी, आप मार्शल को भेज पर रिपोर्ट मंगा लें कि क्या बात है . . . . .

श्री उपाध्यक्ष––

प्रसन्नता- की बात है कि अब माननीय अध्यक्ष आ गये हैं, वे खुद अपनी व्यवस्था देंगे ।

(इस समय 4 बजकर 31 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन: पीठासीन हुये ।)

श्री रियासत हुसैन––

मान्यवर, अभी सत्ता पक्ष में एक महिला के रोने और मारपीट की कुछ बात हुई । हम-लोगों ने उसे देखा । मै यह चाहूंगा कि आप मार्शल को भेज कर रिपोर्ट मंगा लें कि आखिर माजरा क्या है ।

डाक्टर बृजकिशोर मिश्र––

कोई मामला नहीं है ।

(व्यवधान––शोर)

श्री अध्यक्ष––

आप लोग कृपया शांत रहें ।

श्री मुख्तार अनीस––

मान्यवर, माननीया महारानी दोहरे लाबी में चली गयी हैं और लाबी के अन्दर हंगामा मचा हुआ है ।

(व्यवधान)

श्री खैरुल बशर--

मान्यवर, आप देख लें, लाबी का दरवाजा तक बन्द कर दिया गया है ।

श्री धरमपाल--

एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार हुआ है ।

श्री अध्यक्ष --

माननीय रियासत साहब आपको क्या कहना है ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, आपके पहले जब माननीय उपाध्यक्ष जी विराजमान थे तब हम लोगों ने पीछे से देखा कि कांग्रेस दल की एक माननीया सदस्या श्रीमती महारानी दोहरे रो रहीं थी, कुछ कह रही थीं, और माननीया गृह मंत्री श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी उनके मुंह पर हाथ रख हुये उनको चुप करा रही थीं और कुछ खींचातानी चल रही थी।

(व्यवधान)

श्रीमती महारानी दोहरे---

(व्यवधान के बीच) मैं रोने वाली महिला नहीं हूं ।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

उस समय कुछ मारपीट तथा रोनाधोना हुआ । हमने माननीय उपाध्यक्ष का ध्यान तुरन्त आकर्षित किया कि सदन को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने की जिम्मेदारी आपकी है । यह प्रश्न मैंने उस समय उठाया था.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

श्रीमती महारानी दोहरे ने तो स्वतः अपने मुंह से अपनी बात कह दी है, अब और क्या बात है ।

(व्यवधान)

श्री खैरुल बशर--

माननीय अध्यक्ष जी, आपके आने से पूर्व भारी संख्या में लोग लाबी में गये और दरवाजा बन्द कर लिया । मान्यवर, उससे पूर्व माननीया गृह मंत्री महारानी दोहरे के पास जाकर ...

(व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के कई सदस्यों ने खड़े होकर कहा कि यह व्यक्तिगत मामला है । यह आप का मामला है ।)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आप बैठ जाइये । आप बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

मान्यवर, एक मिनट का मुझे मौका दे दीजिए ।

(व्यवधान)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

आपको इसमें क्या दिलचस्पी है ?

(व्यवधान)

श्री फ़िरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, माननीया गृह मंत्री महारानी दोहरे के पास गयीं और वह महारानी दोहरे का गला व मुंह दबा रही थी। उनकी सांस फूल रही थी।

(व्यवधान)

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

कांग्रेस (अ.ई0) के अधिकांश सदस्य लाबी के अन्दर गये, उनको मनाने के लिये.....

(व्यवधान)

श्री गौरीशंकर भैय्या---

माननीय अध्यक्ष जी, कल भी सत्ता पक्ष की तरफ़ मारा-मारी इसी वक्त की गयी थी और आज भी उसी वक्त मारा-मारी किया है। मान्यवर, ये लोग कल भी इसी वक्त मारा-मारी कर सकते है। मान्यवर, इस पर आप व्यवस्था दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

माननीय रियासत हुसैन ने व्यवस्था का प्रश्न यह उठाया कि सदन के अन्दर मेरे आने से पूर्व सत्ता पक्ष के सदस्यों में मार-पिटाई हो रही थी, लेकिन सत्ता पक्ष क किसी भी सदस्य ने यह बात तो कही नहीं कि मार-पिटाई हुई थी। माननीया दोहर जी का नाम लिया गया।

(व्यवधान)

श्रीमती महारानी दोहरे---

मुझे मारने की किसी में हिम्मत नहीं है। मैं रोने वाली महिला नहीं हूं। अगर आप चाहते हैं सदन के अन्दर महिलाओं को सम्मान मिले, तो आप कायदे से बात करिये। लेकिन इस तरह से मेरे ऊपर धब्बा न लगाइये।

(व्यवधान)

(श्री खैरुल बशर के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---

माननीय खैरुल बशर साहब, आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष---

कृपया शान्त रहिये।

यह बात महारानी दोहरे के संबंध में कही गयी। महारानी दोहरे ने स्पष्ट रूप में कहा कि ऐसी घटना नहीं हुई।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों ने खड़े होकर यह कहा कि यह नहीं कहा।)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये। मैं सुन रहा हू।

इसके बाद माननीय खैरुल बशर साहब यह कह रहे थे कि कुछ लोग लाबी में गये, लाबी में क्या घटना घटी, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है।

(व्यवधान)

श्री धरमपाल--

मान्यवर, लाबी सदन का अंग है।

श्री अध्यक्ष--

कृपया बैठ जाइये आप।

वह सदन नहीं है, वह लाबी है, वह परिसर है। सदन यह है। सदन की कार्यवाही चलते हुये लाबी में कुछ होता हो, उससे सदन से संबंध नहीं है। इसलिए यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है जिसमें मुझे कोई व्यवस्था देने का प्रश्न है।

1982-83 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या 7

ऊर्जा विभाग--(क्रमागत)

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मान्यवर, मैंने माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन किया कि वह पहाड़ों के अन्दर छोटी-छोटी जलविद्युत् योजनायें चालू करें। लेकिन पहाड़ों के अन्दर छोटी नदी-नालों के अन्दर छोटी जल विद्युत् योजनायें नहीं चालू हो रही है। वहां पर जो योजनायें चल रही हैं वह विशाल बांधों पर हैं। वह विशाल बांध उत्तर प्रदेश को तोड़ने वाले हैं। वहां पर मान्यवर, छोटी-छोटी जल विद्युत् योजनायें चालू की जांय और मैं मंत्री जी से एक आखिरी निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूं। मंत्री जी, आप निराश न हो उत्तर प्रदेश के अन्दर आने वाले जमाने में विद्युत् की आवश्यकता बहुत ज्यादा बढ़ेगी। जो रोजाना मजदूरों को रखा जाता है बाद में उनकी सेवाओं की सुरक्षा नहीं रहती है इसको समाप्त करें। प्रदेश के अन्दर बिजली फैलाने के लिये छोटे लोगों की एक फौज बनायें और वह फौज स्थायी हो। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर अच्छा काम करना चाहते हैं तो आप अफ़सरों को पालने के बजाय छोटे आदमियों को जो खम्भों से लटका रहता है, तार से लटका रहता है और अपनी जान हथेली पर रख कर विद्युत् उत्पादन करता है, उनको स्थायी करें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री भोला पाण्डेय--

मैं विद्युत विभाग की जो बजट माननीय विद्युत् मंत्री जी ने सदन में रखा है उसका समर्थन करता हूं और इस समर्थन के साथ-साथ माननीय मंत्री को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी देना चाहता हूं। मैं बहुत देर से सुन रहा था विपक्ष और सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया। मैं कहना चाहता हूं कि विद्युत विभाग को मजबूत करने के लिये कांग्रेस सरकार ने जो कदम उठाया है, मेरी समझ में सब से बड़ा कदम था। विद्युत परिषद् के पुनर्गठन करने की योजना इस सरकार ने बनाई थी। एक तरफ तो उत्पादन को मजबूत करने का आयोग गठित किया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो वास्तव मे व्यवहारिक था। दूसरा वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने की योजना विचाराधीन थी।

मान्यवर, विपक्ष के लोगों ने आरोप लगाया है कि उत्पादन गिरता जा रहा है, अगर निष्पक्षता से इसकी तह में जांय तो इसका मूल भूत आधार उस समय बढ़ा जब जनता पार्टी और लोकदल की सरकार थी। मैं कहना चाहता हूं कि जब बनारसीदास इस सदन के नेता थे मुख्यमंत्री थे तो पूरे सूबे के अन्दर जो वितरण किया जाना था वह केवल बुलन्दशहर में वितरण किया जा रहा था। हर जगह जहां पर विद्युत् का वितरण होना चाहियें वह वितरण इस सरकार के अन्दर हुआ है। मैं मानता हूं कि कुछ गलतियां हुई है। उत्पादन घटने का सबसे बड़ा कारण उसको तह में जांय तो 3 वर्ष के दौरान गलत तरीके से विद्युत विभाग मे प्रोन्नति अभियन्ताओं के द्वारा चीफ दफ्तर में की गई है उसी की देन है। यह 3 वर्ष का मलवा जो आप छोड़ गये थे उसको हटाने के कारण विद्युत उत्पादन घटता चला आ रहा है। उस मलवा को साफ करके कांग्रेस सरकार ने विद्युत उत्पादन सही तरीके से करने की व्यवस्था की है। एक महत्वपूर्ण सुझाव में और देना चाहता हूं। मान्यवर, यह देश किसानों का देश है किसानों की आत्मा यहां बसती। लेकिन जो रवैया जनता पार्टी और लोकदल की सरकार का था कि पूंजीपतियों को तो बिजली दी जाती थी लेकिन किसान को नहीं दी जाती थी। मान्यवर, आज मौजूदा हालत मे विद्युत वितरण की व्यवस्था आम आदमी और किसानों के लिये जो इस सरकार की है उसके लिये यह सरकार बधाई की पात्र है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि देहातों के अन्दर नलकूपों पर जो बिजली दी जाती है उसमें जिनको बिजली नहीं भी मिलती है तो भी सरकार पैसा उनसे वसूलती है, इस बात की आलोचना विरोध पक्ष और सत्ता पक्ष दोनों पक्ष के माननीय सदस्यों को करनी चाहिये थी कि ऐसा नहीं करना चाहिये, इसलिये सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये। यह मैं नहीं कहता कि बड़े-बड़े घरानों को बिजली न दी जाय लेकिन जरुरत इस बात की है कि अल्मूनियम हिंडालको मे बनती है जिसका देश में सबसे बड़ा उत्पादन होता है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है इस सरकार में कि केवल अल्यूयूनियम उत्पादन के बहाने टाटा या हिंडालको को ही बिजली दी जाय। वह बिजली हरिजनों को गांवों में देने के लिये गावों मे विद्युतीकरण की योजना बनायी गयी लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 2 वर्ष से मंत्री जी आपके विभाग में वह योजना विचाराधीन है और खटाई में पड़ी है। मान्यवर, मैं बलिया जनपद से आता हूं और कहना चाहता हूं कि योजनायें हरिजनों के गांवों के विद्युतीकरण की बनायी गयी हैं लेकिन 10 वर्षों से जिनके प्रार्थना पत्र पड़े हैं कि विद्युत कनेक्शन दे दिये जांय लेकिन उनको कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं जबकि दूसरे लोगों को बिजली मिल जाती है इसलिये यह बात नहीं होनी चाहिये।

मान्यवर, आज बिजली उत्पादन को बढ़ामे की जरुरत है, लेकिन यह कैसे बढ़ेगा, उस संबंध में मैं मान्यवर, आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं और मांग करता हूं कि जो बिजली विभाग के कर्मचारी कुंठाग्रसित हो चुके हैं वह इसलिये कि जनता पार्टी के 3 वर्ष के शासनकाल में उनके साथ अन्याय किया गया कि, जिनकी पदोन्नति होनी चाहिये उनको पदोन्नत नहीं किया गया है इसलिये इसकी जांच होनी चाहिये जिससे कर्मचारियों का मानसिक संतुलन ठीक हो सके और उत्पादन आगे बढ़ सके। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ओबरा विद्युतगृह में आप देखें तो जिस अधिकारी के खिलाफ कर्मचारियों ने बगावत किया उसको विद्युत बोर्ड से सरकार ने हटाकर ओबरा में प्रतिष्ठापित किया श्री मथुरा राय को। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इस विभाग में कुछ ऐसे अधिकारी

[श्री भोला पांण्डेय--]

हैं जो सरकार की छबि को धूमिल करने की साजिश कर रहे हैं जिसकी जांच करानी चाहिये क्योंकि जनतांत्रिक मूल्यों की जो सरकार द्वारा करनी चाहिये उसमें गलत पदोन्नति करके जो अनियमितायें वह कर रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिये जिससे राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि हो सके।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं अपने जनपद बलिया की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी हमारे जनपद में गये थे, पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, देहात की बात छोड़ दें, जो बिजली के खंभे और बिजली देने में असुविधा हो रही है, मैदानी इलाकों में जहां सिंचाई के लिये बिजली की जरुरत है वहां बिजली उपलब्ध करायी जाय।

इन्हीं शब्दों के साथ मुझें प्रस्तुत बजट पर जो बोलने का समय दिया गया उसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं और इस विश्वास के साथ कि जो बिजली में परिकल्पना कांग्रेस सरकार ने किया है उसकी पूर्ति के लिये मंत्री जी इस बात पर ध्यान देंगे कि कर्मचारयों और अधिकारियों द्वारा इसमें किसी प्रकार की अनियमितता न बरती जाय।

(श्री रामहर्ष राय का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री खैरुल बशर--

मान्यवर, मेरी बात सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष--

मैंने राम हर्ष राय जी को बुला लिया है।

श्री खैरुल बशर--

मान्यवर, मेरी बात सुन लीजिये। उपाध्यक्ष जी ने कहा था.....

श्री राम भजन लाल--

मान्यवर, यह बहुत बड़ी नाइंसाफी है। हम लोग तीन गुने हैं, हम लोगों को मौका नहीं मिलता है। अपनी बात कहने नहीं दिया जाता है।

एक शेर है। न तड़पने की इजाजत है.....

श्री अध्यक्ष--

शेर नहीं व्यवस्था का प्रश्न उठायें।

श्री खैरुल बशर--

माननीय उपाध्यक्ष जी ने कहा था कि हर दल के एक एक आदमी को बुलवा लेंगे। उसी क्रम से चल रहा था। उसके बाद हमारा नम्बर था तो राय साहब को आपने उठवा दिया। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो व्यवस्था उपाध्यक्ष जी दे दिये हैं कम से कम उसे चलायें।

श्री अध्यक्ष--

यह कहना कि मैं हर दल को बुलवा दूंगा यह कोई व्यवस्था नहीं है। काय संचालन के लिये उन्होंने ऐसा कहा होगा कि अगर समय होगा तो हर दल को बुलवा दूंगा। 5 बजे इसको पास होना है। कटौती के प्रस्तावक के बाद मंत्री जी को बोलना है।

श्री धरमपाल--

आधे घंटे के लिये कल टाइम बढ़ाया गया है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जांय।

श्री धरमपाल---

काफी समय निकल गया है, समय बढ़ा दें। सबकी रुचि है सत्तारूढ़ दल से भी कई महिलायें बोलने वाली हैं।

श्री बलबीर सिंह---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---

कृपया आप बैठ जांय। इसमें अभी अभी वक्तव्य हैं और यह आपका प्रस्ताव है। मैं समय बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं समझता हूं।

श्री खैरुल बशर---

मैं इस व्यवस्था के विरोध करता हूं और प्रोटेस्ट करते हुये सदन का त्याग करता हूं। आइन्दा ऐंसा किया गया तो इसका कड़ा विरोध होगा। जमकर विरोध होगा ।

श्री अध्यक्ष---

मैं माननीय सदस्य की इस बात को जो उन्होंने कही है कि आइन्दा ऐसा किया गया तो कड़ा विरोध होगा यह धमकी है। मैं किसी सदस्य से इस तरह की उम्मीद नहीं करता हूं कि वह इस तरह की धमकी देंगे, ऐसा करना उचित नहीं है।

श्री खैरुल बशर---

मैं धमकी नहीं देता हूं। मैं इसका प्रोटेस्ट करुंगा चाहे आप मार्शल को बुलाकर फिकवा दें।

श्री अध्यक्ष---

नियमों के पालन में मुझे जो कुछ भी कार्यवाही नियमों के अन्तर्गत करनी पड़ेगी, मैं करुंगा ।

(मेजों की थपथपाहट ।)

(श्री खैरुल बशर सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री राम हर्ष राय---

मान्यवर, मैं विरोधी दल के माननीय सदस्यों और माननीय सत्ता पक्ष के तमाम सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। असलियत यह है कि विरोधीपक्ष के माननीय सदस्यों ने जहां प्रत्यक्ष रुप से हमारे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है वहीं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने भी अप्रत्यक्ष रूप से हमारे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन ही किया है। मान्यवर, मैं दो एक सुझाव मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि माननीय भोला पांडेय बोल गये कि जनता पार्टी ने यह गलतियां की तो वह गलतियां कर दीं। मैं नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि ढाई तीन वर्ष शासन काल को उन्होंने लम्बाई चौड़ाई से नापा है लेकिन 35 वर्षों के शासन को आपने नहीं नापा। माननीय मंत्री जी को मैं एक दो सुझाव देना चाहता हूं।

मन्त्री जी, आप हर एक बात में इन्दिरा जी का नाम लेते हैं, यह अच्छी बात है, वह आपकी नेता हैं, इससे मैं सहमत हूं, लेकिन जिन बातों को या उसूलों को वह कायम कर रही हैं, उनको आप भी कायम करेंगे? यदि हां, तो इन्दिराजी ने पार्लियामेण्ट को सेक्रेटेरियट में पूंजीपतियों के एजेण्टों के बैग लेकर घूमने पर पाबन्दी लगा दी है क्या उसी तरह आप लखनऊ में जो पूंजीपतियों के एजेण्ट यहां घूमते हैं, उन पर पाबन्दी लगायेंगे ?

[श्री राम हर्ष राय]

दूसरी बात यह है कि आपके जो विद्युत् बोर्ड के कर्मचारी हैं, जो लाइन खींचते हैं, उसमें एल्यूमिनियम के तार का इस्टीमेट बनाते हैं और उसकी जगह पर जो अर्थ वायर होता है, जिस जी0आई0 वायर कहते है, उसकी लाइन वह खीच देते हैं, जिस पर जंग लग जाती हैं और मोर्चा लग जाता है, उससे दुर्घटनायें होती हैं। इस्टीमेट एल्यूमिनियम के तारों का देते हैं तो उसी से सारा काम क्यों नहीं कराते हैं। जब पैसा एल्यूमिनियम के तार का लिया गया है तो क्यों घटिया तार से काम कराते हैं। जो आप इस्टीमेट लाइन देने में लगवाते हैं उसमें यह है कि आर0सी0सी0 पोल जो देहात में लगाये जाते हैं, उसके नीचे व स्टोन का प्रयोग किया जाता है,न मिट्टी का प्रयोग किया जाता है यों ही जमीन खोद-कर गाड़ देते हैं परिणाम यह होता है कि हल्की सी भी हवा से वे गिर जाते हैं जिससे दुर्घटनाएं हो जाती हैं।

तीसरी चीज यह है कि जब आपके कर्मचारी लाइन को सड़क के इस पार से उस पार ले जाते हैं, तो विद्युत् नियम के अन्तर्गत यह चीज आती है कि उसके नीचे गार्डरिंग या तार की जाली होनी चाहिये, लेकिन वह नहीं लगाते है, इसका फल यह होता है कि आये दिन तार गिरने से मौतें होती रहती हैं। ऐसी हालत में 302 का मुकदमा उन कर्मचारियों पर चलेगा या आप पर चलेगा ? इसको सोच लें।

जहां तक हिण्डालको का सवाल है, तो हिण्डालको को आप बिजली दें लेकिन एक चीज का भी आप ख्याल रखें कि जब वह उत्पादन बिजली का कर रहे हैं और यह सोचकर कि वह अपने बिजली के उत्पादन की खपत अपने कारखाने में नहीं कर सकते, तो उनका रेट वही होना चाहिये, जिस रेट पर बिजली आपने हिण्डालको को दी है। यह न हो कि 3 रु0 और 2.50 रु0 की दर से आप उनको बिजली लें। एक कदम और आप आगे बढ़ जाइए और हिण्डालको के कारखाने का राष्ट्रीयकरण कर दीजिये। आप जब राष्ट्रीयकरण की प्रवृत्ति अपना रहे हैं तो इसका क्यों नहीं राष्ट्रीयकरण कर लेते, लेकिन आप करेंगे नहीं यह मेरे को मालूम है।

जो कर्मचारी आपके इधर-उधर जाते हैं और पेट्रोल और डीजल फूकते हैं, उसको जब आप रोकेंगे तभी लागत बिजली उत्पादन की घटेगी। आगे जो हरिजन बस्ती और ग्रामों के विद्युतीकरण की बात आप करते हैं। उसके लिये आप एक समिति सदन की बना दीजिये ताकि वह जाकर देखे कि आपने जो योजना बनाई थी कि हरिजन बस्तियों को, अपने ग्रामीणक्षेत्रों में विद्युतीकरण करने की वह सफल हुई या नहीं। और यदि हुई है तो किस हद तक हुई है। वहां विद्युतीकरण के नाम पर 3–4 पोल एक किनारे गाड़ दिये जाते हैं और कह दिया जाता है कि यहां का विद्युतीकरण हो गया। मान्यवर, कहीं कोई विद्युतीकरण नहीं हुआ है परन्तु आपके यहां कागज पर 5,000 विद्युतीकरण हो चुके हैं। लेकिन मंत्री जी यह जान लीजिए कि यह कागजकी चीज है, वैसे न तो कहीं गांव में बिजली गयी है और न कहीं हरिजन बस्तियों में बिजली गयी है,

मंत्री जी, मेरे सुझावों पर आप ध्यान देंगे, ऐसी मेरी आशा है क्योंकि यह जनहित में है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर पुनः बल दे रहा हूं और मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव पर पुनः बल इसलिये दे रहा हूं कि यह सरकार जो है अपनी हठधर्मी पर अड़ी हुई है।

इसी सदन में माननीय रियासत हुसैन ने एक प्रस्ताव रखा था और वह प्रस्ताव यह था कि हरिजनों के जान और माल की सुरक्षा का प्रबन्ध सरकार करें। उस दिन सदन नेता माननीय काशी नाथ मिश्र जी थे वह अपने बलिया के प्रभाव में थे तो इस सरकार ने उस प्रस्ताव का विरोध किया। तो मेरे पास कोई औचित्य नहीं है कि मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लूं और इसलिये मैं पुनः अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*ऊर्जा राज्य मन्त्री (श्री सुनील शास्त्री)---

मान्यवर, मैं सबसे पहिले माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने विद्युत जैसे महत्वपूर्ण विषय पर और उसके सुधार हेतु अपने सुझाव दिये। सबसे पहले हमारे माननीय सदस्य जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है उन्होंने यह जानना चाहा था कि हमारी अधिष्ठापित क्षमता कितनी है। तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि हमारी कुल अधिष्ठापित क्षमता 3494 मेगावाट है जिनमें 1202 मेगावाट जल विद्युत की है और 2282 मेगावाट तापीय विद्युत की है।

मान्यवर, विद्युत् के संकट को दखते हुए हमारे प्रदेश की सरकार ने इस बात का प्रयास किया है और निरन्तर प्रयास कर रही है कि हम अधिक से अधिक नई योजनायें अपने प्रदेश में बनायें चाहे वह जल विद्युत् से हों, चाहे वो तापीय विद्युत् से हों या चाहे वो माइक्रो हाईडिल के द्वारा हों, जिससे कि हम प्रदेश के उत्पादन को बढ़ा सके और विद्युत की मांग को पूरा कर सके।

इसी सन्दर्भ में इस वर्ष की योजना में तापीय विद्युत् का उत्पादन 200 मेगावाट से बढ़ाने का था। मुझे प्रसन्नता है कि मार्च, 1982 के एण्ड तक ओबरा से 200 मगावाट का जनरेशन हो जायेगा। इसकें कारण हमारी क्षमता कुल 3,694 मेगावाट तक हो जायेगी। साथ ही साथ 1982–83 में भी हमारी दो मशीनें पारेषण वाली 220 मेगावाट जिनमें 110 मेगावाट की एक और 110 मेगावाट की दूसरी लग जायगीं। उसके साथ ही साथ जल विद्युत् की तीन मशीनें 30 मेगावाट की हमें मिल जायेंगी।

इससे हमारी क्षमता 310 मेगावाट की अगले वर्ष 1982–83 में बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त हमारा यह प्रयास है कि हम अधिक से अधिक योजनाओं का निर्माण कार्य प्रारम्भ करें। इस समय हमारी जो योजनायें जिन पर कार्य चल रहा है उसमें परीक्षा, जैसा हमने अभी जिक्र किया, उस पर तेजी ये कार्य चल रहा है और दोनों मशीनें हमारे इस वित्तीय वर्ष के अन्दर आ जायेंगी। जहां तक दूसरी योजना की बात है। टांडा में 4 मशीनें 110 मेगावाट की लगायी जा रही हैं? अनपरा में हमारी 3 मशीनें 210 मेगावाट का लगायी जा रही हैं। ऊंचाहार में हमारे प्रथम चरण में 210 मेगावाट की लगने जा रही हैं और 7 वें पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बाकी 3 मशीनें और लगायी जायेंगी और ऊंचाहार परियोजना की कुल क्षमता 1 हजार मेगावाट हो जायेगी। ऊंचाहार में कोई कार्य नहीं हो रहा है, कहा गया, इस संबध में विधान सभा में प्रश्नोत्तर काल में मैंने जिक्र किया था कि वहां पर जमीन ले ली गयी है और तेजी से कार्य प्रगति पर है। 11 करोड़ 80 लाख रुपया खर्च चुका है और जो कोल लमिकेज 85–86 में ऊंचाहार के लिऐ केन्द्र सरकार ने निश्चित किया था, हमने प्रयास करके 85–86 करा लिया है जिससे हो प्रथम यूनिट है, दिसम्बर 84 में मैं चाहता हूं उत्पादन शुरू हो जाय इससे उसमें सहयोग मिल सकं। इसके अतिरिक्त ऊंचाहार के ससंबं में भारत हैवी एलेक्ट्रिकल लिमिटेड को 2 मशीनों का आर्डर भी दे दिया है और रेल विभाग ने भी अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है। इसके अतिरिक्त हमारी जल विद्युत् योजनायें हैं उन पर बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। धनाभाव के कारण थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है लेकिन हमारा प्रयास है कि हम उसे समय के अन्दर ही पूरा कर लें जिससे कि अधिक से अधिक विद्युत् जल स्रोतों से भी प्राप्त हो, जैसा बताया गया। हमारे एक सदस्य ने बताया कि 20 हजार मेगावाट की क्षमता हिमालय की नदियों में है, मैं उनको बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ही नहीं बल्कि केन्द्र सरकार भी प्रयास कर रही है कि अधिक से अधिक इन स्रोतों का इस्तेमाल करे और जल विद्युत् उत्पन्न करे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुनील शास्त्री]

नई योजनायें, जिन्हें हमने केन्द्र सरकार को किल्यिरेंस के लिए भेजा है उनमें 5 योजनायें हैं, पाला मनेरी, लोहारी नागपाला, श्रीनगर, कोटेश्वर बांध, किशाऊ बांध। इसके अतिरिक्त तापीय परियोजनाये हैं आनपारा-बी, रोजा, जवाहरपुर, दोहरीघाट, वारीक्षा विस्तार, नरोरा, ऊंचाहार विस्तार, आनपारा-सी के लिये भी किल्यिरेंस मांगी है और विश्वास है कि हमें इसकी अनुमति मिलेगी। और जो हमने निर्णय लिया है कि उत्पादन बढ़ायेंगे, उसमें सफलता प्राप्त होगी किसानों को विद्युत आपूर्ति के संबंध में यहां माननीय सदस्यों ने जिक्र किया। मैं उन को बताना चाहूंगा कि हमने इस वर्ष औसतन 7 घण्टे की विद्युत् आपूर्ति किसानों को ही है इसके अतिरिक्त जब भी हमारे पास विद्युत् अधिक हुआ, अधिक मात्रा में की। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि हमने.....

श्री बलबीर सिंह—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जैसा कि अभी मंत्री जी ने कहा कि गांवों में 7 घंटे तक बिजली दी गई, मैं दावे के साथ कहता हूं कि मंत्री ने सदन को गुमराह किया है। गांवों में बिजली केवल 4 घंटे और 5 घंटे दी गई है, आप इसकी जांच करवायें।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप बैठ जाइये।

श्री सुनील शास्त्री—

मैं यह बात पुनः कहता हूं कि औसतन हमने 7 घंटे बिजली की आपूर्ति ग्रामीण अंचलों में किसानों को दी है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमारा जो परसेंटेज है वह उद्योगों के मुकाबले में कम नहीं है। जहां पर हमने उद्योगों को 44 परसेंट अपनी कुल क्षमता की बिजली दी वहां पर हमने 34 परसेंट कृषि क्षेत्र में भी बिजली दी। यह बात स्पष्ट करती है कि हमारे प्रदेश की सरकार किसनों को बिजली अधिक से अधिक देने के लिये भरसक प्रयास कर रही है। मान्यवर, यही नहीं जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सूखा पड़ा, जब वहां पर फसल नष्ट हो रही थी पानी के कारण तब हमने अधिक से अधिक बिजली वहां पर दी। उस समय हमने 10 घंटे तक की विद्युत् आपूर्ति की और जो हमारे बड़े-बड़े उद्योग थे उनमें हमें कटौती भी करनी पड़ी। मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि प्रथम बार उद्योगों की डाई लाइन को खोल दिया गया था। यह हमारे प्रदेश की सरकार ने किया। हमारे मुख्य मंत्री जी के समय में किया गया। उसके बाद भी रोज हमारे पास मांग आती है कि हमें बिजली दें लेकिन हमने इस बात का निर्णय किया है कि हम पहले अपने छोटे-छोटे उद्योगों को, किसानों को, ग्रामीण अंचलों को हम विद्युत् पहले देंगे। अभी उनकी मांग है 85 मेगावाट लेकिन हम उनको केवल 10 मैगावाट दे रहे हैं। मान्यवर, इसके अतिरिक्त बहुत से सुझाव यहां पर रखे गए जिनका मैं स्वागत करता हूं और यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आगे आने वाले समय में इन सुझावों पर हम विचार करेंगे और इनको अमल करने का पूरा-पूरा प्रयास करेंगे।

मान्यवर, यहां पर बकाये के संबंध में भी चर्चा की गई। इस संबंध में मैं मा0 सदस्यों को बताना चाहूंगा कि हमारी जो बकाया धनराशि इस समय है वह 106 करोड़ रु0 के करीब है लेकिन जैसा कि उन्हें भ्रम है कि अधिक बकाया बड़े-बड़े उद्योगों पर है तो यह सही नहीं है। हमारा सबसे अधिक बकाया जो निजी नलकूपों को लोग इस्तेमाल करते हैं उन पर है जो इस समय करीब 35.5 करोड़ रु0 है। इसके साथ ही साथ छोटे उद्योगों पर 14 करोड़ 95 लाख के करीब है और बड़े उद्योंगों पर 16 करोड़ 77 लाख है। इस संबंध में हम लोगों ने एक विशेष अभियान शुरू किया। हम चाहते थे कि अधिक से अधिक धनराशि जो बकाया है उसे हम वसूल करें। मैं यहां पर सदन को बताना चाहूंगा कि वर्ष 81-82 के प्रथम 6 माह सितम्बर तक औसतन वसूली 23.98 करोड़ रु0 थी जो अक्तूबर में बढ़कर 25.79 करोड़ हुआ और नवम्बर में बढ़ कर 27.77 करोड़ रुपया हुआ। मुझे पूरा

विश्वास है कि जो 106 करोड़ रुपये का एरियर्स है उसे दिसम्बर और जनवरी में लगभग वसूली के बाद 60 करोड़ रुपये तक ले आ सकेंगे। और धीरे-धीरे पूरी बकाया राशि वसूल हो जायेगी। जो बकाया राशि है उसे हम शीघ्र से शीघ्र 90 करोड़ रुपये तक ले आयेंगे।

जहां तक रेड वगैरह करने की बात है, जो डिफाल्टर होते हैं उनसे पैसा वसूल करने का भी प्रबन्ध किया गया है। हमारे बिजली बोर्ड में ही डी0आई0जी0 के अन्दर एक स्क्वाड बना है जिसने ऐसे 6073 लोगों को चैक किया है। जो चोरी के केसेज हैं उनकी संख्या 2638 है। जिन्होंने रूलस को वायलेट किया उनकी संख्या 938 है, जिन्होंने बिजली की चोरी की वे 704 थे। इसी तरह से हमारा राज्य विद्युत् बोर्ड में विभाग का स्क्वाड भी है जिसने 3664 कंज्यूमर्स को चैक किया। इसमें चोरी के 1314 केसेज हैं एक्सेस लोड के 596 और रूल्स वायलेशन के 271 केस पकड़े गये। इन सभी कैसेज में कार्यवाही की जा रही है। असेसमेंट बनाये जा रहे हैं। किसी को भी बख्शने का हमारा इरादा नहीं है। जो भी गलत कार्य करता हुआ पकड़ा जायेगा उसके खिलाफ अवश्य ही कार्यवाही की जायेगी।

इसके साथ ही साथ कृषि क्षेत्र में रांग बिलिंग के संबंध में कहा गया। मैं बतलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि 10 हजार जनसंख्या की आबादी से कम वाले जो गांव हैं और जहां हम विद्युत् की आपूर्ति करते हैं उनसे जहां 50 प्रतिशत कंजम्शन गारंटी लेते थे उसे अब समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही साथ जो बिल अधिक समय के लिये 4 या 8 माह के लिये उपभोक्ता को प्राप्त हुए हैं उसके लिये निर्देश चला गया है कि उनकी वसूली किस्तों में की जायगी। उसमें भी पहली किस्त 50 प्रतिशत का और दूसरी व तीसरी किश्त 25–25 प्रतिशत का होगा। मैं फिर कहता हूं कि कृषि क्षेत्र में उपभोक्ता को औसतन हमने 7 घंटे बिजली दी है और आगे अधिक से अधिक बिजली की आपूर्ति का प्रयास करेंगे। मैं एक बार फिर अपने सभी माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि उन्होंने जो सुझाव दिये हैं उसके अनुसार अधिक से अधिक सुधार का प्रयास किया जायेगा और जैसे-जैसे विद्युत का उत्पादन बढ़ता रहेगा बिजली की कमी दूर होती रहेगी। माननीय सदस्य जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है, उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि वे विद्युत के महत्व को देखते हुए कटौती के प्रस्ताव को वापस लकर इस बजट को पारित कराने के लिये समर्थन देंगे। (व्यवधान)

श्री गौरी शंकर भैय्या––

मान्यवर, आर0ई0सी0 स्कीम के तहत भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को पैसा देती है और उत्तर प्रदेश सरकार उसके तहत गांवों में बिजली लगाने का काम करती है। उसमें हमारा जनपद बलिया तथा उत्तर प्रदेश के और भी जनपद आते हैं। मेरी पक्की सूचना है कि भारत सरकार से प्रति वर्ष रुपया लिया जा रहा है और आर0ई0सी स्कीम के तहत गांवों में विद्युतीकरण करने का काम बन्द कर दिया गया है। इसके बारे में माननीय मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष––

माननीय मंत्री जी आप स्पष्टीकरण देना चाहेंगे.....

श्री रियासत हुसैन––

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण मेरा है.....

श्री मुख्तार अनीस––

मान्यवर.....

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं। आप भी बैठ जायं। माननीय मंत्री जी ने अपना इस पर भाषण समाप्त कर दिया है। इस बीच में माननीय गौरी भैय्या खड़े हुए जब वह बैठ गये थे। वह प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देना चाहते। बात खत्म हो गई।

श्री रियासत हुसैन--

मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं, फिगर्स की बात.....

श्री अध्यक्ष--

नई प्रथा निकालेंगे.....

श्री मुख्तार अनीस--

माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में मुझे आश्वासन नहीं दिया। रेनू सागर का सब स्टेशन कब बनना शुरू हो जायगा। उस जमीन पर इल्लीगल कब्जा होने जा रहा है।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 7--ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 7--ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,20,76,77,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज नियम 51 की आठ सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री नन्द राम की सूचना--अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की बहन द्वारा अपना इलाज आर्थिक संकट के कारण न किये जा सकने के संबंध में--स्वीकृत की गई शेष सभी सूचनायें अस्वीकृत हुई।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इसमें वक्तव्य कब होगा? राम प्रसाद बिस्मिल की बहन बिल्कुल मरणासन्न अवस्था में है। कई बार मैं स्वयं देखने गया। सरकार के द्वारा दवा की कोई व्यवस्था नहीं की गई है.....

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, इस संबंध में बयान की तिथि बता दें और यह जो सूचना आपको मिली है इसमें क्या हो सकता है, यह बता दें।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री राम रतन सिंह)--

मान्यवर, इस संबंध में 3 मार्च को वक्तव्य हो जायगा। उसके पूर्व जो माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने कहा है उसके संबंध में व्यवस्था भी करेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मेरा निवेदन यह है कि यह राष्ट्रीय प्रश्न है। राम प्रसाद बिस्मिल की बहन स्वयं

क्रांतिकारी रहीं, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी रह चुकी हैं। इतनी प्रार्थना चाहता हूं कि आज ही जिलाधिकारी को निर्देश दे दें कि उनकी दवा की पूरी समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्री राम रतन सिंह---

मैंने पहले ही यह निवेदन किया कि इसकी पूर्ण व्यवस्था कराई जायगी।.....

(समय 5 बजकर 25 मिनट)

मानिकपुर--सतना रेल लाइन पर जा रही मालगाड़ी के डिब्बे से 12 पेटी कारतूसों के चोरी के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत अग्रेतर वक्तव्य

गृह मन्त्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 30-1-82 को ट्रेन संख्या वाई/30 अप मालगाड़ी रेलवे स्टेशन इटवा-टुंडैला पर लगभग 8-55 बजे पहुंची। रेलवे कन्ट्रोल के निर्देशानुसार उक्त ट्रेन का इंजन कुतुब एक्सप्रेस के लिये मानिकपुर भेज दिया गया तथा उपरोक्त ट्रेन रेलवे स्टेशन इटवा टुंडैला पर रोक दी गयी। उस ट्रेन के गार्ड ट्रेन नं0 338 अप से करीब 13-10 बजे सतना चले गये। इस प्रकार से उक्त ट्रेन बिना इंजन एवं गार्ड के रेलवे स्टेशन इटवा टुंडैला स्टेशन पर खड़ी रही। इसकी सूचना रेलवे विभाग द्वारा चौकी आर0 पी0 एफ0, सतना को दी गयी जिसके आधार पर हेड रक्षक द-29 1 रुद्र शर्मा रेलवे स्टेशन इटावा टूंडैला ट्रेन की भेखभाल के लिये समय 19-30 बजे रेलवे स्टेशन सतना से ट्रेन नं0 287 डाउन अर्थात् जो रेलवे स्टेशन सतना से रेलवे स्टेशन इटवा टूंडैला पर आने के लिये प्रथम उपलब्ध ट्रेन थी के द्वारा लगभग 22-30 बजे रेलवे स्टेशन इटवा टूंडैला पर पहुंचा। रेलवे स्टेशन इटवा टुंडैला से चौकी आर0पी0 एफ0, सतना लगभग 44 किलोमीटर दूर है। हेड रक्षक 291 रुद्रधर शर्मा ने उक्त ट्रेन को चेक किया तो बैगन नं0 एस0सी0 8293 जो पानागढ़ से अहमद नगर के लिये बुक था जिसमें सेना का अम्युनिशन था, की सील टूटी पायी तथा स्टेशन साइड का दरवाजा खुला पाया। इस घटना के संबंध में हेड रक्षक ने आर0पी0एफ0 चौकी सतना को सूचना दी जिसके प्राप्त होने पर सहायक उप निरीक्षक चौकी आर0पी0एफ0 सतना मय कर्मचारीगण के साथ रेलवे स्टेशन इटवा-टुंडैला पर पहुचा और माल की तलाश स्टेशन के आस-पास के क्षेत्र में की तो स्टेशन के बगल के नाले में दो खाली पैकेट पड़े पाये।

हेड रक्षक को जब चोरी का ज्ञान हुआ तो तत्काल सूचना निरीक्षक आर0पी0एफ0 मानिकपुर एवं जी0आर0पी0 मानिकपुर को करनी चाहिये थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस घटना के संबंध में श्री इन्द्रजीत सिंह निरीक्षक आर0पी0एफ0, मानिकपुर ने थाना जी0आर0पी0, मानिकपुर पर दिनांक 31-1-82 को 19-30 बजे शाम को सूचना दी जिसके आधार पर मुकदमा अपराध सख्या 7, धारा 379 भा0द0वि0 थाना जी आर0पी0 मानिकपुर पर पंजीकृत किया गया। मुकदमें की विवचना थानाध्यक्ष जी0 आर0पी0, मानिकपुर द्वारा शीघ्र प्रारम्भ की गयी।

उक्त ट्रेन के गार्ड को यह हिदायत होते हुए भी कि वैगन संख्या एस0सी 8293 को रेलवे स्टेशन सतना पर चैंकिग के लिये अलग कर देगा लेकिन ऐसा उसने नहीं किया जिसके फलस्वरूप उक्त वैगन रेलवे स्टेशन जबलपुर जंक्शन तक चला गया। वहां रेलवे एवं आर0 पी0 एफ0 अधिकारीगण के समक्ष वैगन संख्या एस0 सी0 82 93 जिसकी सील टूटी हुयी थी की चैंकिग की गयी तो ज्ञात हुआ कि मिलेट्री अम्युनिशन के 104 पैकेट के बजाय 93 पैकेट पाये गये अर्थात् 7.62 एम0 एम0 के 11 पैकेट कम पाये गये। एक पैकेट में 1180 कारतूस थे, इस प्रकार से कुल 12,760 कारतूस, 7.52 एम0 एम0 चोरी हुये।

विवेचना के दौरान राजकीय रेलवे पुलिस, रेलवे सुरक्षा दल तथा स्थानीय नागरिक पुलिस ने घटना घटित क्षेत्र में घेराबन्दी की तथा संन्दिग्ध स्थानों की तलाशी ली जिसके

परिणाम स्वरूप रेलवे स्टेशन टिकरिया एवं इटवा टुडैला के मध्य रेलवे लाइन के किनारे किनारे तथा आस पास के क्षेत्र में कुल 7,696 कारतूस 7.62 एम0 एम0 बरामद हुये। विवेचना अभी जारी है और चोरी गये शेष कारतूसों की बरामदगी व अपराधियों का पता लगाने हेतु राजकीय रेलवे पुलिस, रेलवे सुरक्षा दल एवं स्थानीय नागरिक पुलिस द्वारा तत्परता से प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री रियासत हुसैन---

क्या माननीय मंत्री जी बतान की कृपा करेंगी कि 8.55 बजे गाड़ी इटवा टुडैला पहुंची और 5 घंटे बाद गार्ड उसको छोड़ कर वापस दूसरी गाड़ी से कहीं चले गये। इसकी सूचना रेलव विभाग द्वारा चौकी आर0 पी0 एफ0 को दी गयी तो वह जो सूचना दी गयी उसका विवरण क्या है? और वह सूचना क्या है और किस वक्त दी गई?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

उसकी सूचना रेलवे विभाग द्वारा दी गयी और आर-पी0 एफ0 चौकी सतना को दी गयी और हेड रक्षक रुद्रधर शर्मा सतना तुरन्त जो ट्रेन मिली उससे आगये चूकि वह पैसेंजर ट्रेन थी तो उसमें थोड़ी देर हुई और 22.30 बजे इटवा टूंडला पहुंच गये।

श्री रियासत हुसैन---

मेरा स्पष्ट प्रश्न है कि गाड़ी स्टेशन पर खड़ी रही इंजन एक तरफ चला गया और गार्ड दूसरी तरफ चला गया। आपने अपने वक्तव्य में कहा है कि सूचना दी गयी तो वह सूचना क्या है जिसके आधार पर हैड रक्षक पैसेंजर ट्रेन से वहां पहुंचा, इसकी सूचना कब दी गयी यह बता दें?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

सूचना यह दी गयी कि कोई रक्षक नहीं है, गार्ड नहीं है और किसी को भेजें ताकि उसकी सुरक्षा वह कर सकें।

श्री हुकुम सिंह---

माननीय अध्यक्ष जी, इस सारी घटना के संबंध में जानकारी करने के बाद बड़ी निराशा इस बात से होती है कि इतना इंपार्टेन्ट एम्युनिशन आर्मी का है और किस प्रकर उसकी सुरक्षा का प्रबंध होता है 8.55 में ट्रेन आती है और रात के 10 बजे वहां एक हैड कानिस्टेबल आता है इतनी देर तक आर्मी एम्युनिशन बिना रक्षक के वैगन में पड़ा रहा और उसकी सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया इसमें एक हजार से ऊपर आपने कहा कारतूस हैं तो 7.62 के कारतूस नहीं राऊंड होते हैं। तो आपने कहा कि वह एम्युनिसन रेलवे के किनारे पटरी में पड़े थे। तो मैं जानना चाहता हूं कि यह किसी के यहां से बरामद यए या कहीं पर रखे हुए थे। अगर किसी से बरामद हुए तो क्या किसी की गिरफतारी भी हुई कि नहीं। इसमें ऐसे मालूम होता है कि रेलवे वालों की और पुलिस के षड़यंत्र से यह हुआ है। तो मैं जानना चाहता हूं कि यह कहीं खुले में रखा हुआ मिला या किसी के यहांसे रिकवर हुआ? यदि किसी के यहां से रिकवर हुआ तो उसकी गिरफ्तारी न होने का क्या कारण है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

मान्यवर, यह मैंने अपने वक्तव्य में बताया कि जब छान-बीन हुई तो रेलवे लाइन के किनारे आसपास खुले मैदान में पड़े हुए कारतूस बरामद हुए। अब बरामद किये गये तो कहते हैं क्यों किये अगर बरामद नहीं किये जाते तो कहते क्यों नहीं किये। इसमें विवेचना जारी है यू चैन न यू चैन। पट भी मेरी चित भी मेरी।

(व्यवधान)

श्री गौरीशंकर भैय्या---

उस दिन यह वक्तव्य के लिये स्वीकार हुआ था। उसमें यह हुआ था कि उस सूचना

में से हम लोगों के नाम काट कर मंत्री जी ने अपना नाम करके बंटवा दिया था ।तब आपने आदेश दिया था उस दिन कि वह इस पर ठीक तरह से तैयार होकर आवें और प्रश्नों का जवाब दें । इसमें सरकार किसी तरह से अपने को बचाने की कोशिश कर रही है.....

(व्यवधान)

इसमें बखूबी यह किया गया है कि रेलवे, पुलिस और जब लपुर लेजाकर अन्य प्रदेश की पुलिस के मध्य का यह मामला बना दिया गया है । जिससे एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर अपनी जिम्मेदारी से बचा जा सके..... ।"

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न कीजिए अपना, आप जानना क्या चाहते हैं ? सीधे प्रश्न कीजिए ।

श्री गौरी शंकर भैय्या—

जो गार्ड था, जो लेकर इनकी इच्छा की विपरीत चालू हो गया था, उसे मेमो दिया गया था कि वह अपनी बोगी लेकर नहीं जा सकता है, तो वह कैसे लेकर चला गया । तो ऐसी स्थिति में क्या उत्तर प्रदेश सरकार इस ड्राइवर और गार्ड के खिलाफ साक्ष्य मिटाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने जा रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मैंने तो स्वयं इसमें कहा, जरा गौर से पढ़िये । इसमें है–उक्त ट्रेन के गार्ड को यह हिदायत होते हुए भी, मैं तो यह मान रही हूं कि यह गलती हुई है । मुझे बड़ा आश्चर्य है कि इस गम्भीर समले को आप बड़ी गम्भीरता से ले रहे हैं । यह प्रश्न हमारे प्रान्त की सुरक्षा से सम्बन्धित है और इसमें जो गल्तियां हुई हैं और वह जिसने भी की हैं और जिसकी गलती से यह दुर्घटना हो गई है इसके लिये बड़ी तेजी से छानबीन हो रही है और जो इतना सामान मिल गया है उससे सिद्ध है कि इसमे बड़ी तत्परता से काम हो रहा है । एम्युनिशन के संबंध मे प्रासेज यह होता है, इसके तीन स्तर होते हैं । एक आर्डीनेन्स फैक्टरी जहां पर माल बनता है, दूसरे जब ट्रांजेक्ट में वह माल होता है और तीसरा स्टेज वह होता है जहां पर जिस हेडक्वार्टर पर वह दिया जाता है—वहां पर रिसीव होता है । इसमें रेलवे डिपार्टमेंट भी जिम्मेदार है, उसकी जिम्मेदारी है और आर्मी की भी जिम्मेदारी है और हमारी जो जी0 आर0 पी0 है उसकी भी जिम्मेदारी है । तीनों के सहयोग से इतना बड़ा मुश्किल काम सम्पन्न होना चाहिये । इसमें यही तो प्रश्न है कि गार्ड क्यों शुरू में चला गया । 8.55 पर जब गाड़ी पहुंची, तो वह 1.10 पर वहां से चम्पत हो गया और जब उसे हिदायत दी गई थी कि सतना में गाड़ी रोकनी है, तो वह चलते चलते सीधे गोरखपुर (जबलपुर) क्यों पहुंच गया । तो मैं यह मान रही हूं । मैं ,इतने गम्भीर मसले में कुछ छिपाना नहीं चाहती हूं । तो हमें सबको मिलकर इसका फर्दाफाश करना है । किसने यह षड़यंत्र किया, हमें यह भी देखना है । जिसने भी षड़यंत्र किया उसका पूरी तरह से पर्दाफाश किया जायगा । जो भी दोषी है–चाहे इधर के हो या उधर के, किसी को बख्शा नहीं जाएगा । जो ऐसे तत्वों को संरक्षण देते हैं उनको भी बख्शा नहीं जाएगा ।

श्री रियासत हुसैन—

माननीय मंत्री जी ने इस घटना की गम्भीरता को स्वयं स्वीकार किया है । इसमें रेलवे विभाग और आर्डिनेन्स डिपार्टमेंट का भी इन्वाल्वमेंट है और चूंकि यह घटना हमारे प्रदेश क डकैती एफैक्टड एरिया में हुयी है, तो इसकी गम्भीरता को देखते हुए क्या इसकी जांच सी0 बी0 आई0 द्वारा कराने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

हम पहले से ही क्यों हाथियार डाल दें। पूरे हिन्दुस्तान में हमारी सी0 आई0 डी0 का झंडा ऊंचा है।

श्री सुरेन्द्र कपिल--

मान्यवर, गार्ड इन्स्ट्रक्शन के बावजूद भी उस बोगी को सतना के बजाय जबलपुर ले गया तो उसके खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

यह गार्ड रेलवे का कर्मचारी है। जो छानबीन हो रही है उसमें उनसे भी पूछताछ की जा रही है और अगर वह किसी तरह से दोषी पाये जायेंगे तो उनके विरुद्ध भी कार्यवाही होगी।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, राज्य की सीमा में सुरक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। जब यह गाड़ी वहां पर 8.55 बजे आयी जिसमें एक क्लासिफाइड एम्युनिशन था तो 10 1/2 बजे तक राज्य सरकार ने गाड़ी सुरक्षा का क्यों प्रबन्ध नहीं किया और यदि नहीं किया तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मैंने अभी निवेदन किया कि विवेचना जारी है। अगर विवेचना में पुलिस अधिकारी दोषी पाये जायेंगे तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि जब रेलवे लाईन के किनारे किनारे पुलिस दविश डालने गयी तो 7,698 कारतूस बरामद हुए तो ये किस तारीख को बरामद हुए और किस गांव के पास से बरामद हुए ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, 31 तारीख को सायंकाल जी0 आर0 पी0 में रिपोर्ट लिखी गयी और पहली तारीख की प्रात: को जब उस एरिया में छानबीन की गयी तो कुछ हिस्सा पहली तारीख को मिला और कुछ बाद में मिला।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बड़ी ललकार के साथ सी0 बी0 आई0 द्वारा जांच कराने पर मना कर दिया। इसी प्रकार से एक घटना आगरा में हुयी थी तब भी मना कर दिया गया था। यह-घटना पहली तारीख की है और आज 24 तारीख हो गयी है तो मैं जानना चाहता हूं कि जिन रेलवे अधिकारियों और दूसरे प्रदेश के लोगों का इन्वाल्वमेन्ट है, क्या उनसे हमारी पुलिस ने कोई बयान लिया ? यदि हां, तो किस तारीख को ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, विवेचना जारी है, उसके बीच में किसी प्रकार के ऐसे तथ्य सामने रखना जन-हित में नहीं है। लेकिन जितने आप चिन्तित हैं उतने ही हम लोग भी हैं और इस पर गम्भीरता के साथ विचार कर रहे हैं। मैं आप लोगों की चिन्ता को एप्रीसिएट करती हूं, हम पूरी तरह सक्रिय हैं और विवेचना जारी है। हमारी रेलवे विभाग के राज्य मंत्री जी से उनके अधिकारियों से और आर्मी के भी आफिसर्स के साथ मीटिंग हुई है....

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं तो मान्यवर, इतना ही जानना चाहता हूं कि विवेचना के समय वया अब तक किसी का बयान लिया गया है ?

श्री अध्यक्ष---

क्या किसी का बयान लिया गया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

विवेचना के संबंध में जो भी हमारे सम्पर्क में हैं यह तो नैचुरल है कि उनकी आख्या ली जायेगी, पूछताछ की जायेगी। लेकिन इस समय जनहित में कुछ बताना सम्भव नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री मोतीलाल देहलवी--

यह बात स्वीकार की गयी है कि इसमें रेलवे और सेना के लोग शामिल है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीया गृह मंत्री जी ने कोई पत्र इस संबंध में रेलवे विभाग को लिखा है ? दूसरा प्रश्न यह है कि जो धारा 379 के अन्तर्गत एफ0 आई0 आर0 दर्ज करायी गयी वह क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, विवेचना अभी जारी है और इस बीच कुछ और कहना जनहित में नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह आश्वासन देना चाहती हूं कि दोषी व्यक्तियों को छोड़ा नहीं जायेगा उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री मित्र सेन---

मैं यह जानना चाहता हूं कि विवेचना जो जारी है इसमें कौन कौन सी प्रक्रिया अपनायी गयी है ? और अब तक जो अम्युनिशन प्राप्त हुये हैं वे क्या कुछ दस्यु उन्मूलन के स्थानों पर भी बरामद हुये हैं ? और अभी तक की पुलिस नजर में कोई अपराधी आया या नहीं आया ?

श्री अध्यक्ष---

इसका उत्तर तो वे दे चुकी हैं कि विवेचना अभी जारी है।

श्री मित्रसेन---

मान्यवर, विबेचना में क्या-क्या कदम उठाये गये, वह तो मान्यवर बता दें।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री गौरी शंकर भैय्या--

मान्यवर, एक प्रश्न की इजाजत दे दीजिये ।

श्री अध्यक्ष---

आपने कई प्रश्न कर लिया। आप बैठ जाइये अब।

(श्री बदन सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मोती लाल देहलवी---

मान्यवर, आपकी पीठ से यह निर्देश हो चुका है कि प्रश्नों के संगत उत्तर दिये जायं। मान्यवर, आप देख रहे हैं.....

श्री अध्यक्ष---

मैंने माननीय बदन सिंह को बुलाया है।

श्री बदन सिंह---

मान्यवर, मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि राजकीय रेलवे पुलिस, रेलवे सुरक्षा दल और स्थानीय नागरिक पुलिस के द्वारा घेराबंदी की और संदिग्ध होने की तलाशी भी की। जब संदिग्ध होने की तलाशी ली, तो उन्होंने संदिग्ध व्यक्तियों को क्यों नहीं पकड़ा ? जब स्थान संदिग्ध हो सकता है, तो संदिग्ध व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो उन संदिग्ध व्यक्तियों को क्यों नहीं पकड़ा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

मान्यवर, पूछताछ हो रही है, जब वह व्यक्ति दोषी साबित होगा, तभी तो पकड़ा जायगा।

श्री मोती लाल देहलवी---

मान्यवर, आपकी पीठ से और आपके द्वारा कई बार यह निर्देश दिये गये हैं कि प्रश्नों के संगत उत्तर दिये जायं। मान्यवर, आप देख रहे हैं कि गम्भीर से गम्भीर मामला आता है यह अम्युनिशन का मामला है और फिर फौजी अम्युनिशन का मामला किसी भी प्रश्न का संगत उत्तर माननीया गृह मंत्री नहीं दे रही हैं। तो मान्यवर आपके निर्देश की यह अवहेलना हो रही है। इसके विरोध में मान्यवर, हम लोग सदन का त्याग कर रहे हैं।

(श्री मोती लाल देहलवी अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री रियासत हुसैन---

मान्यवर, हर बात का उत्तर है कि विवेचना जारी है। जनहित में बताना उचित नहीं है। 36 घंटे के बाद एफ0 आई0 आर0 लाज हुई है। यह सारे उत्तर सुनने के लिये इस माननीय सदन का समय बरबाद करने की कोई जरूरत नहीं है। जो प्रश्न हमारा गृह विभाग से सम्बन्धित होगा, उसका उत्तर हम माननीय गृह मन्त्री से सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। माननीय मुख्य मंत्री स्वयं उत्तर दें। इसके विरोध में हम अपने दल सहित सदन का त्याग करते हैं।

(श्री रियासत हुसैन अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, यह हम फैसला करते हैं कि गृह मंत्री श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी जानबूझ कर सदन को गुमराह करने की कोशिश करती हैं। तथ्यों को छिपाती हैं, गम्भीर मामले को देखने की कोशिश नहीं करतीं। इसलिये आगे से मैं उनके बयान को सुनने के लिये नहीं तैयार हूं। माननीय मुख्य मंत्री स्वयं आयेंगे, तभी हम बयान सुन सकते हैं। इसके विरोध में मैं अपने दल सहित सदन का त्याग करता हूं।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री मित्र सेन---

मान्यवर, गृह मन्त्री के इस तरह के उत्तर के विरोध में मैं भी सदन का त्याग करता हूं।

(श्री मित्रसेन सदन त्याग कर चले गये।)

श्री कुंवर सिंह नेगी---

मान्यवर, मैं भी इस तरह के उत्तर के विरोध में सदन का त्याग करता हूं।

(श्री कुंवर सिंह नेगी सदन का त्याग कर चले गये।)

539 अप गोरखपुर–लखनऊ पैसेंजर रेलगाड़ी लूटे जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह मन्त्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)---

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 10–2–82 को स्टेशन मास्टर, रेलवे स्टेशन, गोण्डा ने घटना के सम्बन्ध में थाना जी0आर0पी0 गोण्डा पर एक मेमो दिया जिसमें उल्लिखित किया कि ट्रेन नं0 539 अप में रेलवे स्टेशन कस्तूरी के निकट डकैती की घटना घटी है जिसमें रेलवे स्टेशन, लखनऊ का एक कुली घायल हुआ है वह लेन नं0 540 डाउन से वापस जा रहा है। घटना की सूचना पर थाना जी0आर0पी0 गोण्डा पर मुकदमा अपराध संख्या 38 धारा 395/397 भा0 द0 वि0 अंकित करके थानाध्यक्ष ने विवेचना प्रारम्भ की। थानाध्यक्ष ने अपने स्टाफ के साथ विवेचना के दौरान दो घायल व्यक्तियों (1) कोइल पुत्र विपत व (2) रामपति पुत्र श्री हरीराम, ग्राम–महुआर, थाना रुधौली, जिला बस्ती को लखनऊ रेलवे

स्टेशन पर कुली का कार्य करते हैं के साथ एक और व्यक्ति गंगा राम चौहान, पुत्र जैकरन चौहान को साथ में थाना जी0आर0पी0 गोण्डा लाये और कोइल तथा रामपति को जिला अस्पताल गोण्डा डॉक्टरी परीक्षण एवं उपचार हेतु भेजा। दोनों घायलों के साथ ही गंगाराम चौहान ने कथित घटना की एक लिखित तहरीर भी दी कि यह घटना सीट पर बैठने के लिये मारपीट की है जिसमें वादविवाद बढ़ने पर अपराधियों ने जिनकी संख्या 5 थी उनमें से एक ने रामपति को चाकू से व कोइल को एक बदमाश ने कट्टे की गोली से घायल किया और बदमाश रेलवे स्टेशन कस्तूरी पर उतर कर भाग गये।

घटना के दिन श्री राम कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, रेलवे गोरखपुर सरकारी कार्य से गोण्डा गये थे। घटना की सूचना पाकर उन्होंने जिला अस्पताल, गोण्डा में जाकर कुछ अन्य घायल तथा साथियों के बयान लिये इनका विवरण इस प्रकार है:––

(1) कोइल पुत्र विपत ग्राम–महुआर, थाना–रुधौली, जिला–बस्ती।
(2) राम पति पुत्र हरीराम ग्राम पता उपरोक्त।
(3) राम सुभग पुत्र हरीराम ग्राम पता उपरोक्त।
(4) राजाराम पुत्र झिन्ना, ग्राम पबरिहा, थाना बिलौहा, जिला–बस्ती।
(5) गंगाराम पुत्र जैकरन चौहान, ग्राम पता उपरोक्त।
(6) अर्जुन प्रसाद पुत्र भागीरथ, साकिन बलवनता, थाना बिलहौरा, जिला–बस्ती।

उपरोक्त सभी व्यक्तियों ने अपने बयान में श्री गंगाराम चौहान द्वारा दी गयी सूचना की पुष्टि की।

अब तक की विवेचना से यह निष्कर्ष निकला है कि अपराधियों ने सीट पर बैठने के प्रश्न को लेकर यात्रियों से मार पीट की व चाकू एवं कट्टे का प्रयोग किया। ट्रेन यात्रियों से पैसे लूटे जाने तथा ट्रेन के थ्री टायर में घुस कर किसी प्रकार की लूट, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने की बात सही नहीं है। चूंकि घटना सीट पर बैठने के लिये उठे विवाद के फलस्वरूप घटित हुई थी अतः यह मामला रेलवे ऐक्ट की धारा 120/तथा भा0 द0 वि0 की धारा 324/307 के अन्तर्गत आता है जिससे अपराध की धारा 395/397 भा0 द0वि0 से परिवर्तित करके धारा 120 रेलवे ऐक्ट/324/307 भा0द0वि0 के अन्तर्गत विवेचना हो रही है। अभी तक एक अपराधी दक्षिणा वीर पान्डेय की गिरफ्तारी हुई है और उसके कब्जे से एक कट्टा भी प्राप्त हुआ। विवेचना चल रही है तथा अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

श्री अकबाल हुसैन––

मान्यवर, मेरे जनपद का मामला है। मान्यवर, थानाध्यक्ष जी0आर0पी0 गोण्डा जानबूझ कर इस मामले को तोड़ मरोड़ कर गलत रूप में देकर क्राइम को मिनिमाइज करके 324 और 307 में इसको परिवर्तित किया है। इस सम्बन्ध में जो घटना की रिपोर्ट यू0एन0 आई0 के करेसपान्डेन्ट श्री छेदी लाल अग्रवाल ने दी है उनको भी इस न्यूज के लिये थानाध्यक्ष ने डराया है और कहा कि जो डकैती की रिपोर्ट अखबार को भेजा है उसको कन्ट्राडिक्ट करिये, हम पुलिस के आदमी हैं।

मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि जब थानाध्यक्ष के साथ जिनको चोट लगी और गोली लगी तो उनसे एफ0आई0आर0 न लिखाने का क्या कारण है और श्री गंगा राम चौहान से तहरीरी रिपोर्ट लिखाई गयी। तो नियमों के आधार पर जो मुकदमा दायर किया गया उसको न मानकर जो तहरीरी रिपोर्ट लिखाई गयी उसको मानने का क्या आधार था ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री राज कुमार राय--

मान्यवर, एक रिपोर्ट स्टेशन मास्टर ने लिखवाई 395/397 दफा में और बाद में उसको कनवर्ट कर दिया गया भा0द0वि0 की धारा 324/307 में। तो स्टेशन मास्टर जिम्मेदार व्यक्ति हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस स्टेशन मास्टर को इन्टरोगेट किया गया और उसने कुछ बताया और उसके बाद क्या रिपोर्ट गलत पायी गयी ? यदि हां तो स्टेशन मास्टर के खिलाफ क्या कार्यवाही किया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सबसे पहले रिपोर्ट स्टेशन मास्टर ने लिखाई जो छोटी रिपोर्ट है और वह है कि लखनऊ में ट्रेन में लड़ाई हुई, उसकी इंक्वायरी की जाय। यह गोंडा के थाना जी0आर0पी0 को लिखा है। उसकी नकल रिपोर्ट है। उसके बाद विवेचना हुई तो उसमें यह पाया गया कि जब उन लोगों से इंटरोगेशन किया गया तो पाया गया कि इसमें कुछ लोग पहले से ही ट्रेन पर सवार थे और बीच में कुछ लोग आये और उनको उठाने एवं बर्थ को अकूपाई करने की कोशिश करने लगे जिससे मारपीट हुई। यह बयान, ट्रेन में जिनको मारा गया और जिनको चोटें लगीं उनमें, श्री कोइल और रामपति ने दिये हैं।

श्री अकबाल हुसैन--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जब विवेचना अधिकारी थानाध्यक्ष, जी0आर0पी0 गोंडा हैं। तो सी0आर0पी0सी0 के तहत किस प्रोवीजन में पुलिस अधीक्षक ने इन लोगों का बयान लिया और उसके आधार पर कैसे वक्तव्य दिया जा रहा है।

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

पुलिस अधीक्षक रेलवे के हैं और उनके जुरिसडिक्शन में है, इसलिये वह वहां आये थे तो इन्होंने बयान लिया, वह बाहर के नहीं हैं।

श्री राम कुमार भार्गव--

मान्यवर, बताया गया कि एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है तो उसने इन्ट्रोगेशन के बाद अन्य अपराधियों के नाम उसने बताये होंगे, तो उनके खिलाफ क्या कुर्की की कार्यवाही पुलिस ने किया और 87/88 की कार्यवाही हुई अन्य मूल्जिमों के खिलाफ की नहीं।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, पूछ ताछ चल रही है और उसमें कुछ नाम आयेंगे तो पकड़ने की कोशिश करेंगे और जब वह नहीं होंगे तो 82-83 की कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे (पूर्वाह्न) फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 5 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ:
24 फरवरी, 1982

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या- 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 313 पर)

तालिका

जिला	क्रमांक	मार्ग का नाम	स्वीकृत लागत (लाख रु0)	31-12-81 तक भौतिक प्रगति (कि0 मी0)
1	2	3	4	5
		1980-81		
पिथौरागढ़	1	सानदेव धनधुरा	15.87	..
	2	बांस आवला घाट ..	6.994	..
	3	बड्डा वोतड (विस्तार) ..	24.21	0.07
	4	लोहाघाट-चमदेवल (विस्तार)	13.00	4.64
	5	दशाईथल-गनाई (विस्तार) ..	30.00	..
	6	बेरी नाग-बनाक -नवानी पुराना थल का विस्तार ..	51.00	..
	7	वन विश्राम गृह से अस्कोट लिंक	6.00	0.03
	8	भागोचौड़ा-बगडी हाट मोटर मार्ग	15.00	0.06
	9	छिरकला- सोबला (विस्तार)	6.00	..
	10	चरमा-दुलेख- भवानी ..	24.00	0.04
	11	छिनका छीना-सिमलखत (विस्तार)	60.00	..
	12	पुलहिडोला---चमदेवल- सिलिंग	42.00	0.11
	13	एथोली-बडावे का विस्तार	54.00	2.86
		1981-82		
	1	तवाघाट जिप्ती ..	111.00	..
		1980-81		
नैनीताल	1	बुढीबना सफी मार्ग का विस्तार (कसिया-बुढिबना मार्ग) ..	3.932	..
	2	रातीघाट-बेतालघाट मार्ग ..	5.667	..
	3	रामबाग-दौलतपुर मार्ग का शेष भाग	1.233	1.00
	4	भीमताल टेलीट्रानिक्स फैक्ट्री तक मार्ग का निर्माण ..	2.728	0.80
	5	रजपुरा से गजरौला गोबरा मार्ग	9.00	..
	6	भैसिया बिरहा मार्ग ..	6.00	..
	7	बानपुर गांव से जगन्नाथपुर-छोई मार्ग	6.00	..
	8	काशीपुर मैने से दुर्गापुर मिल बडनी गढी नेगी ..	18.00	..
	9	पानीपत खटीमा मार्ग से दूयाला	6.00	..
	10	नथुवाधान सुयाल बाडी मार्ग	24.00	1.00

1	2	3	4	5
	11	गदरपुर मिलखानम मार्ग से सकनिया, बकनिया कजकला ..	12.00	..
	12	राम करनपुर मार्ग ..	18.00	..
	13	नौ कुचियाताल जंगलिया गांव मलुबा-नाल अमदो दुधला–बबियाड़ मार्ग	24.00	..
	14	बाजपुर–खमरिया–नन्दखेड़ा मार्ग	6.00	..
	15	बेतखेड़ी–भूरी रोड ..	3.00	..
	16	खटीमा बैंजरबाग–बिगराबाग कुटरा छिनकी मार्ग ..	24.00	..
	17	सितारगंज नकुलिया मार्ग ..	24.00	..
	18	जमजद से मीनार मार्ग ..	24.00	..
	19	मुहेली उच मिछुवट झानकेया का विस्तार ..	3.584	..
		1981–82		
	1	झगजोर ग्राम के लिये रुद्रपुर किच्छा मार्ग से सम्पर्क मार्ग ..	4.213	..
अल्मोड़ा		1980-81		
	1	हवलबाग–बसौली (द्वितीय भाग)	8.40	2.00
	2	चायखाना–थवासिमल (6 से 25)	60.00	..
	3	पातलीबगड़ गडनाथ मार्ग ..	30.00	..
	4	खूंट काकड़ीघाट मार्ग (द्वितीय भाग)	6.827	3.00
	5	सितलाखेत–काकड़ीघाट ..	31.00	..
	6	कोसी दौलाघाट कोराछिनारी (द्वितीय भाग) ..	51.00	..
	7	चमखाल कवेरला–उभरा मार्ग का विस्तार ..	9.76	1.50
	8	पैसिया पीपना मार्ग का विस्तार	12.62	..
	9	गनिदयोली [illegible]ना विशालकोट मार्ग	8.16	..
	10	चौबटिया [illegible] वेत ड्योहाखाल, सिलोर महादेव मार्ग का विस्तार	24.00	..
	11	भिकियासैंग बासोट छटा मार्ग का विस्तार ..	27.00	..
	12	सियोनी द्योली डयोडाखाल सिलोर महादेव मार्ग का विस्तार ..	15.00	..
	13	बरीकोट–वेल्टी विनायक मार्ग भाग-2	21.00	..
	14	जसलोखान उत्मछीना नौबाडा मोटर मार्ग ..	15.00	0.10
	15	चौखुटिया गढी तड़ागताल मार्ग भाग-2	7.808	0.10
	16	बागेश्वर दफोट मार्ग ..	8.73	..
	17	काण्डा सानि उडियार रावसेरा मार्ग भाग–2 ..	8.776	1.00

1	2	3	4	5
	18	इगोली स्थाली छदिया भाग-2	14.899	2.00
	19	कठपुडिया छीनाशेराघाट मार्ग	30.00	..
	20	धरमधर कोटमन्या मार्ग ..	15.00	..
देहरादून		1980-81		
	1	बारवाला लोअर जौली ग्रांट थानों मार्ग ..	..	..
	2	रसम माजरी शेरगढ़ मार्ग ..	9.38	..
	3	कालसी बैराठ खाई मार्ग ..	4.92	2.3
	4	गुमानीवाला भट्टोंवाला मार्ग-स्टेज-1	6.44	..
	5	देहरादून बाईपास छूटा भाग ..	27.00	..
	6	साहिया-क्वानू (शेष भाग) ..	90.00	..
	7	पुरोडी से रावना वाया डामटा (शेष भाग) ..	81.00	..
	8	लोखण्डी अटाल मसक गांव तक	18.00	..
	9	सेलाकुई भाउवाला सुदीवाला दलानी तथा दुधई गांव के लिंक मार्ग ..	15.00	..
	10	माजरी माफी हरिपुर नगदा मार्ग	9.00	..
	11	देहरादून कारगो से मथुरावाला तक	9.00	..
	12	गुमानीवाला भट्टोवाला मार्ग स्टेज-2	9.00	.
	13	थानो बड़कोट मार्ग ..	15.00	..
	14	चकराता मुण्डाली-कथियान मार्ग	24.00	..
	15	बास्वाला-खोवर जोली ग्रांट थानों मार्ग का विस्तार स्टेज-2 ..	9.00	..
पौड़ी गढ़वाल		1980-81		
	1	नाहसेण बहेड़ाखाल ..	8.177	..
	2	पथराडाखाल गेटीछेड़ा (रखूनपलोटरा अनुभाग) ..	8.60	..
	3	उपल्डा देहलचौरी पौड़ी ..	9.371	..
	4	पावों दमदेवल ..	7.547	..
	5	पौड़ी ल्वाली ..	21.00	..
	6	पिपला टेका ..	30.00	..
	7	बुगा सालिन खेत ..	9.00	..
	8	सिसल्ड़ी सतपुली ..	30.00	..
	9	बिजोरापाली कुज्जुखाल सिमलीखाल	30.00	..
	10	दुडवारखाल नौटखेत मार्ग ..	16.00	..
	11	पौखाल भवासी (कि0मी 4 से 8 तक) ..	7.91	1.50
	12	डाडामण्डी द्वारीखाल ..	24.90	1.00
	13	नालीखाल बद्री ..	30.00	1.00
	14	पौखाल मवासी ..	21.00	1.00
	15	पुलिण्डा काडाखाल ..	15.00	0.2

1	2	3	4	5
	16 कोटद्वार रामनगर	..	135.00	..
	17 कण्वा श्रम पौखाल	..	30.00	..
	18 नैनीडाडा संकूटपुर	..	30.00	..
	19 सोक्खाल सुगरिमा	..	15.00	..
चमोली	1980–81			
	1 क्यूजा काडारा के लिये सम्पर्क मार्ग		30.00	..
	2 पैठालीधार को सम्पर्क मार्ग	..	18.00	..
	3 काकाड़ागाड परकण्डी मोटर मार्ग का शेष भाग	..	18.00	..
	4 मक्कू पहुंच मार्ग का शेष भाग		18.00	..
	5 घाट रामड़ी मोटर मार्ग (कि0मी0 3 से 18 तक)	..	35.706	..
	6 कर्णप्रयाग नैनीसैंण मोटर मार्ग (कि0मी0 3 से 18 तक)	..	45.00	0.00
	7 नन्द प्रयाग देवखाल मोटर मार्ग (कि0मी0 7 से 12 तक)	..	15.00	..
	8 गोचर सिदौली मोटर मार्ग (कि0मी0 3 से 19 तक)	..	49.00	1.00
	9 गोपेश्वर देवरखाडोरा मोटर मार्ग		30.00	0.50
	10 चमोली पलेडी मोटर मार्ग	..	30.00	..
	11 सलूड डूंगा को पहुंच मार्ग	..	24.00	..
	12 देवाल जैनविष्ट घोस मोटर मार्ग		30.00	..
टिहरी	1980–81			
	1 कांडीखाल चन्द्रबदनि	..	9.91	..
	2 माजफ मदार (कि0मी0 8 से 12 तक)	..	6.76	..
	3 माजफ मदार (कि0मीं013 से17 तक)		15.00	..
	4 कमाद–ज्वारना (कि0मी0 4 से 8 तक)	..	14.02	3.00
	5 कोडार दीनगांव मुखम	..	30.00	..
	6 लम्बगांव कोटालगांव चमियाला (8 से 32 तक)	..	75.00	..
	7 आमराखाल कुसरेला	..	5.36	..
	8 गुलर–चमेली–कखूरखा–गजा (4 से 12.9 तक)	..	19.8	2.00
	9 बड़ियाड़गढ़ धेडगी–मोराखाल (4 से 8)	..	7.55	..
	10 डांगन्धार (3 से 7)	..	7.63	..
	11 दुगड्डा–सौड–पीपलीघाट (8 से 12.0)	..	7.74	..
	12 गजानकोट मार्ग से चम्बारानाचौरा		24.00	..

1	2	3	4	5
	13	गुलर गजा (13 से 24) ..	39.00	..
	14	देवप्रयाग डिगरी कालेज से पहुंच मार्ग	6.00	..
	15	बडियार गड़–थेडगी (9 से 13)	15.00	..
	16	अखोड़ी पोखार (4 से 8) ..	7.82	..
	17	घनसाली-कोटी पहुंच मार्ग ..	4.34	..
	18	अखोड़ी कोटी ..	30.00	..
	19	घेड़ाखुटी–नैनग्राम ..	18.00	0.50
	20	मरोडा बनाली ..	15.00	..
		1981–82		
	1	रोडधार पौड़ीखाल मार्ग ..	13.58	..
उत्तरकाशी		1980–81		
	1	धनारी डुण्डा मोटर मार्ग का निर्माण कि0मी0 4 से 7 तक	4.593	2.00
	2	खावली गुन्दियाट गांव मोटर मार्ग	12.759	2.50
	3	नौगात स्यूरी मोटर मार्ग कि0मी0 3 से 5.50 ..	4.103	1.90
	4	चिनियालीसौड जोगथ (धरासू जोगथ मार्ग) ..	19.75	..
	5	राजगढ़ी सरनौल मोटर मार्ग ..	7.881	..
	6	धौतरी–थाडी मोटर मार्ग ..	24.00	..
	7	रूनगांव–कफनौल मोटर मार्ग ..	30.00	..
	8	मनेरी जखोल मोटर मार्ग ..	30.00	..
	9	दवारी रैथल ..	15.00	..
	10	अराकोट–भूटाथू मोटर मार्ग	30.00	..
	11	चिनियालीसौड जोगथ मोटर मार्ग	72.00	..
	12	पुरौला–कुमौलानौडी गडोली मोटर मार्ग ..	30.00	

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या–5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 345 पर ।)

राम स्वरूप वर्मा,
एम0 एल0 ए0,
भूतपूर्व वित्त मंत्री ।
पत्र संख्या 87/अ/80

4–ए, विशम्भर बिल्डिंग,
नरही, डा0 अम्बेदकर मार्ग,
लखनऊ
दिनांक 29–11–80 ।

सेवा में,

माननीय मुख्य मंत्री,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

महोदय,

इसके पूर्व हम एक पत्र आपको राज्य परिवहन की बसों का किराया न बढ़ाने के बारे में लिख चुके हैं जिसका उत्तर आपने अब तक नहीं दिया है । मुझे यह लिखते हुए दुःख हो रहा है कि राज्य सरकार द्वारा इस सार्वजनिक संस्थान को हानि पर चलाने की पूरे तौर पर जिम्मेदार है ताकि समाजवाद की छवि धूमिल हो और व्यक्तिगत उद्योगों को दक्षता का प्रमाण-पत्र मिल सके । इसके प्रमाण में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किये जा रहे हैं:—

सन् 1972 में जब राज्य परिवहन का नामकरण उ0प्र0रा0 स0 परिवहन निगम हुआ तब से निगम बोर्ड ने सेंट्रल बैंक हजरतगंज लखनऊ से चार करोड़, यूनाइटेड बैंक हजरतगंज लखनऊ से एक करोड़, आई0डी0वी0आई0 बाम्बे तीन करोड़, एल0आई0सी0 बाम्बे से 3 करोड़, भारतीय रेल मन्त्रालय नई दिल्ली से छः करोड़, कैस क्रेडिट एकाउन्ट्स से चार करोड़ पचीस लाख का ओवर ड्राफ्ट के रूप में कर्ज लिया जा चुका है ।

इसके अलावा उ0प्र0रा0स0परि0 निगम बोर्ड ने राजकीय रोडवेज की चल व अचल सम्पत्ति के रूप में पच्चीस करोड़ की पूंजी का अधिग्रहण किया था और 1972 से 1980 तक आठ वर्ष में तेइस करोड़ पच्चीस लाख का कर्ज हो चुका है । इस प्रकार परिवहन निगम बोर्ड लगातार किराया बढ़ाकर घाटा उठा रहा है और उ0प्र0रा0स0परि0 की बसों से कम किराये पर चला कर दो वर्षों में प्राइवेट बस वाले लागत का दूना कर देते हैं । लेकिन निगम की बसें बेकार होती जा रही है उसे पूंजी का निर्माण कतई नहीं हो रहा है ।

मेरी यह भी सूचना है कि उ0प्र0रा0स0 परि0 निगम जो प्राइवेट बसें अनुबंधित कर रहा है । उन्हें अच्छा रूट देने की रिश्वत 10 हजार फी बस ली जा रही है और प्राइवेट बस वाले वह रिश्वत देकर अच्छा रूट इस लिये लेना चाहते हैं कि उनकी बस की लागत दो वर्ष में वर्तमान किराये की दर से वसूल हो जाय और वे दूसरी बस लेने की सोचने लगते हैं । आखिर आप इस वस्तुस्थिति पर विचार करके इसका हमारे पूर्व पत्र के अनुसार समाजीकरण क्यों नहीं करते । राजकीय सम्पत्ति की इतनी बड़ी हानि देखकर जो सरकार चुप रहे उसे क्या कहा जाय ? आशा है आप पत्रोत्तर देकर अनुग्रहीत करेंगे ।

आपका,

राम स्वरूप वर्मा ।

पी0एस0यू0पी0ए0पी0 23 वि0सभा—30–7–83(1580)–1983–813(मैग0)।